राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का २६वां दिवस [संख्या २०

शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, सिंचाई, कृषि, मंत्रि-मंडल, स्वायत्त शासन, समाज कल्याण, खाद्य, राजस्व, उद्योग, पशु-पालन, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, श्रम, राजस्थान नहर एवं वन-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलाल।

प्लॉट्स की खरीद

७०३. श्री जुगलाल (रावतसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि नीलाम करने वाले अधिकारियों को नीलाम की वस्तुएं खुद के नाम खरीदने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि पंचायत रामगढ़ तहसील नोहर (डिस्ट्रिक्ट गंगानगर) के सर्व पंचायत के सदस्यों ने गोगामेड़ी मंडी के १० प्लॉट जिसका रकबा १२००० गज है २७०) रू० में स्वयं ने ही फर्जी रिकॉर्ड के द्वारा नीलाम किया और स्वयं ने ही अपने व अपने परिवार के नाम से खरीद किया जहां कि सरकार ने २॥) प्रतिगज के हिसाब से प्लॉट बेचा है? यदि हां, तो सरकार ने पंचों के खिलाफ क्या एक्शन लिया?

(२) क्या यह भी सत्य है कि गोगामेड़ी के सरकारी मुलाजिम अपने व अपने परिवार के नाम से बिला मंजूरी कलेक्टर के प्लॉट नीलाम में खरीद सकते है? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि गोगामेड़ी का रामदेव साबिक माली पटवारी व कल्याणसिंह भाखरा का पटवारी व आसूसिंह नहरी पटवारी ने अपने व अपने परिवार के नाम से गोगामेडी मंडी में ६ प्लॉट जिसका रकबा ६१ ८२½ गज है २१०) रुपयों में नीलाम का फर्जी रिकॉर्ड द्वारा खरीद किये है? यदि हां, तो गवर्नमेंट ने इन मुलाजमान के खिलाफ क्या एक्शन लिया है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) पंचायत रामगढ़ द्वारा मंडी गोगामेढ़ी

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो प्लॉट नीलाम किये गये थे वे कोलोनानाइजेशन विभाग द्वारा नाजायज् घोषित किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों के विरुद्ध अनुचित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है।

(२) जी हां। केवल राजपत्रित अधिकारी व २००) रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी। जांच पूरी की जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री जुगलाल : यह कोलोनाइजेशन विभाग की ओर से पंचायत विभाग की ओर से पंचायत विभाग को किस तारीख को लिखा गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सन् ६३ में फैसला हुआ है यह ३०–३–६३ को हुआ।

श्री जुगलाल : उसके बाद में क्या कार्यवाही हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको १७-४-६३ को नोटिसेज् दिये हैं और एस. डी. ओ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री मानिकचन्द (कोलायत) : क्या उन लोगों के कब्जे उन प्लॉटों पर अभी भी कायम हैं जिनको कैन्सल कर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : कब्जा है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, यह तो पंचायत समिति को मालूम होगा लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उन प्लॉटों को नीलाम किया गया था उनको कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा नाजायज् घोषित कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका मतलब यह कि कोलोनाइजेशन को उनको वापिस ले लेनी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने और कोलोनाइजेशन विभाग ने यह आँर्डर निकाला है कि सन् ६२ तक जिनका नाजायज तौर पर कब्जा रहा और पंचायतों द्वारा (जो जमीन) बेची गई है उनको रिकॉगनाइज् करने के लिये सर्क्यूलर निकाला गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सर्कुलर उन्हीं लोगों तक ही सीमित है जो सर्क्यूलर के अन्दर दिये गये हालात के अन्दर जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राज्य सरकार की यह मंशा है कि इन लोगों को भी जिन्होंने अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है उनको भी इसका फायदा दिया जाए ?

श्री रामप्रसाद लडढा : सारे मामले की इस सम्बन्ध में जांच हो रही है लेकिन जो इस सर्कुलर की तहत में आते है और इस सर्कुलर का लाभ पाने के अधिकारी हैं उनको उन सीमाओं तक लाभ दिया जा सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक तरफ आप यह कहते हैं कि इस सर्कुलर के तहत

Page No 3

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उनको लाभ दिया जा सकता है और दूसरी तरफ आप यह कह सकते हैं कि प्लॉट्स के बेचान को कैंसल किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सर्कुलर बाद में निकाला गया है। मैंने कहा कि उस समय तक इस सर्कुलर का जन्म नहीं था। जो केसेज़ वन्स फोर ऑल डिसाइड हों उनको री-ओपन नहीं किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो केसेज़ डिसाइड हो चुके हैं उनको री-ओपन नहीं किया जावे। इन प्लॉटों को बहुत सस्ते बेचा गया। जिन प्लॉटों की कीमत १०) रु० प्रति गज है, उनको एक नये पैसे प्रतिगज के भाव से बेच दिया गया है। इसलिये यह मामला री-ओपन नहीं किया जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको निवेदन किया कि अवैध जमीन का लेना घोषित कर दिया गया है वह इस सर्कुलर से पहले का है। That is a case decided in itself. That case cannot be reopened.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल।

क्यारदा बांध से सिंचाई

७०४. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या मंत्री सिंचाई यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह भी सच है कि तहसील हिन्डौन के क्यारदा बांध से कोई खास पिलाई नहीं होती है ?

(२) क्या यह भी सच है कि पानी अधिक भर जाने से छोटे क्यारदा में पानी गांव के अन्दर तक भर जाता है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस पानी को निकालने के लिये दोनों गांवों में झगड़ा होता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि बांध में १० फीट पानी रखने की सरकार की इजाजत है।

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध की सपाट को कुछ नीचा करने के बारे में सोच रही है ?

(६) क्या यह भी सच है कि इस बांध की सपाट को नीचा करने में गांव वाले श्रमदान करने को तैयार हैं।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) :

(१) से (४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) ऐसी कोई इत्तिला विभाग को नहीं है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलें।

श्री दिनेशराय डांगी : (१), (२), (३) व (४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) ऐसी कोई इत्तला विभाग को नहीं है यदि ऐसे पानी निकालने से लोगों को फायदा होगा तो इसको अवश्य अमल में लाने का प्रयत्न किया जाएगा।

Page No 4

श्री श्रवणलाल : आपने (१), (२), (३) व (४) के जवाब में 'जी हां' कहा है। इसका मतलब यह है कि क्यारदा बांध से कोई खास पिलाई नहीं होती। दूसरे में भी आपने 'जी हां' कहा है। इसका मतलब यह कि पानी अधिक भर जाने से छोटे क्यारदा में पानी गांव के अन्दर तक भर जाता है। तीसरा यह कि दोनों गांवों में आपस में झगड़ा होता है, इसका उत्तर भी आपने 'जी हां' दिया है। इसका मतलब यह है कि इस बांध की कोई उपयोगिता नहीं है ? जब आप इस बात को मानते हो तो फिर आपको इसके बारे में क्या कहना है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने 'जी हां' कहा इसका मतलब यह नहीं होता कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध से कोई फायदा नहीं होता। पानी अधिक भर जाने से छोटे क्यारदा में पानी गांव के अन्दर तक भर जाता है और इस पानी को निकालते हैं तो दोनों गांव वालों के आपस में झगडे होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण न दें, जो प्रश्न चाहते हैं वह पूछें।

श्री श्रवणलाल : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बांध के सपाट है उसको नीचा करने के लिये लोग श्रमदान देने को तैयार हैं। उसके लिए सरकार आश्वासन देगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं आपको प्रश्न के भाग (६) के उत्तर में कह चुका हूँ।

श्री श्रवणलाल : गांव वालों से मैंने पूछा है और वे इसके लिये श्रमदान देने के लिये तैयार हैं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ।

श्री दिनेशराय डांगी : यदि वे तैयार हैं तो हम भी तैयार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : (पाटन) पहले के उत्तर में कहा, 'जी हां'। इसका मतलब यह कि इससे कोई पिलाई नहीं होती है। दूसरा और तीसरे में भी यही कहा, "जी हां"। इसका मतलब यह हुआ कि इस बांध से कोई फायदा नहीं, उलटा नुकसान है। जब आपने यह मंजूर किया कि इससे कोई फायदा नहीं तो आप इसके लिये आश्वासन क्यों नहीं देते कि इस बांध की सपाट को नीचा करने के लिये जब लोग श्रमदान देते हैं तो सरकार उसमें योग क्यों नहीं देती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने जो उत्तर दिया वह सही है। जो छोटे मोटे बांध बने हैं उनसे कोई खास सिंचाई नहीं होती है। अगर दोनों गांव वाले आपस में समझौता कर लें तो हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं।

श्री श्रवणलाल : जो १० फीट पानी का प्रावधान है, क्या इसमें १० फीट से ज्यादा पानी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कपास में कृषि फार्म

७०५. श्री गणेशलाल पलिया (भदेसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 5

(श्री गणेशलाल पलिया)

क्या पंचायत समिति कपासन में कोई कृषि फार्म है ? अगर हां, तो अब तक इस फार्म पर कितना खर्चा हुआ है व कितनी पैदावार हुई है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां। इस फार्म पर अब तक ३६,७५४.१६ रु० खर्च हुए है। और ७५६ मन अनाज की पैदावार हुई।

श्रीगणेशलाल पलिया : यह फार्म लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : अब तक हानि में चल रहा है क्योंकि अब तक एक ही फसल होती थी। ६२–६३ में वहां पर दो कुए खोदे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा पैदावार इस साल हुई है और आशा की जाती है कि भविष्य में और अधिक पैदावार बढ़ेगी।

श्री रामकिशन (बैर) : जमीन कितने एकड़ है ?

श्री परसराम मदेरणा : सीड मल्टी-प्लिकेशन फार्म को हन्ड्रेड एकड़ जमीन देते हैं, यही हर एक ऐसे फार्म के लिये फिक्स्ड होता है।

श्री गणेशलाल पलिया : यह फार्म कब बनाया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : ५८ में शुरु हुआ था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इसमें करीब ३६ हजार रुपया खर्च हुआ है। तो केपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है ?

श्री परसराम मदेरणा : १,०२४.४८ रु० २ न. पै.।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो ३६ हजार का खर्चा बताया है, क्या यह रेकरिंग एक्सपेन्स है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जमीन ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकारी जमीन पड़त थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो फिर १ लाख का खर्चा किस आधार पर बताया, केपिटल इन्वेस्टमेंट कहां कहां लगा था ?

श्री परसराम मदेरणा : सीड स्टोर, मकान, कुए खुदवाने का, पम्पिंग सैट ट्रैक्टर का आदि का।

श्री रामकिशन (बैर) : यह ७५६ मन की पैदावार क्या ५ साल की बताई है ?

श्री परसराम मदेरना : सभी सालों की है।

श्री रामकिशन : इसका मतलब है कि ३ सेर बीघा की पैदावार प्रति बीघा ले रहे है ?

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि एक साल ६०–६१ में फसल खराब हो गई क्योंकि सिंगल क्रोप एरिया है। ७५० मन पैदावार इस साल हुई है, कूओं से सिंचाई करके पैदावार बढ़ाई है।

Page No 6

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या गवर्न-मेंट इसे सीरियसली नहीं लेती कि १ लाख से ऊपर का केपीटल इन्वेस्टमेंट है, अगर इस रकम का सिम्पल इन्टेरेस्ट भी लगाया जाय तो ८,४०० रुपये होते हैं, उसमें ७५६ मन कुल पैदावार हो जो व्याज के बराबर भी नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये पांच साल के आकड़े हैं तो इस कपासिन के फार्म में बड़ा भारी गबन हो रहा है और सरकारी फंड का मिसएप्रोप्रियेशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण न करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन फार्म जहां जहां हैं सब पंचायत समितियों के पास हैं। सरकार के पास भी यह शिकायत है कि कपा-सिन फार्म का मेनेजमेंट ठीक नहीं है, सरकार ने निश्चय किया है कि जहां फार्म घाटे में जा रहे हैं उन पंचायत समितियों को नोटिस दिया जाय, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं करती है तो सरकार ने निर्णय किया है कि उनको अपने कब्जे में लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री रामकिशन : एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और है। ६१-६२ में फसल खराब हो गई तो क्या छटांक भर भी पैदाइश नहीं हुई ? एरिया और पैदावार बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : ६१-६२ में अनाज ६२ मन ३० सेर और ५ छटांक हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये लोग अपने घर तो नहीं ले गये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! The Minister has already said that such mis-managed farms will be enquired into and proper steps will be taken. That is all right.

Shrimati Laxmikumari Chaudawat

श्री मानिकचन्द सुराणा : लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो यह आश्वासन दे दें कि it will be enquired into, is not sufficient. Why it has not been enquired into so far ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

शहरों में सैनिकों के लिये सस्ती भूमि

७०६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) [श्रीमती निर्मला देवी नाहर (भीलवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि दिल्ली, पूना, बंगलोर तथा दूसरे राज्यों के शहरों में सैनिको के लिये मकान बनाने के लिये कुछ क्षेत्र सुरक्षित रख लिये गये हैं और वहां सैनिकों को मकान बनाने के लिये रियायती कीमत पर जमीनें दी जाती हैं ?

(२) क्या इसी प्रकार राजस्थान के कुछ शहरों में सैनिकों के लिये मकान बनाने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

के लिये रियायती भाव पर जमीन देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(३) यदि हां तो, किन किन शहरों में और कब तक योजना लागू हो जायेगी ?

(४) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) इस सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) (३) स्टेट और डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर सैनिकों के लिये मकान बनाने के लिये जमीन सुरक्षित रखी जायेगी। आवश्यक नियमों के बनाये जाने के पश्चात भूखण्डों का वितरण शीघ्र ही किया जायगा।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

नगरपालिक मतदाता सूची नियम

७०७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कलेक्टर कोटा ने धारा २२ राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ के अन्तर्गत नगरपालिका की मतदाता सूचियों के बनाने उनमें दुरुस्ती करने, उनमें नाम बढ़ाने तथा सूचियों का एनुअल रिवीजन करने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो राजस्थान राजपत्र की कौनसी तारीख के अंक में प्रकाशित हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि धारा २१ राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट की सारे राजस्थान में पालना नहीं हो रही है और किसी भी नगरपालिका की मतदाता सूची का एनुअल रिवीज़न नहीं हो रहा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) कलेक्टर कोटा ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाये हैं।

(२) धारा २१ राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट की पालना हो रही है और एन्युअल रिवीज़न हो रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक्ट की बिना पर इन नियमों को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर द्वारा कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायणसालोदिया।

रैंगर हरिजन बस्ती बनाने की योजना

७०८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कस्बा मालपुरा, जिला टोंक में रेल्वे स्टेशन के पास विभाग की सहायता से रैंगर हरिजन बस्ती बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब से शुरु किया गया है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में उक्त रैगरों की ओर से काफी रुपये खर्च किये जा चुके हैं, पर समाज कल्याण विभाग से सहायता नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ?

(३) क्या सरकार उक्त बस्ती को बनवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं । रैगरों ने अपने आप उक्त स्थान पर कुछ मकान बनाना प्रारम्भ किया था । समाज कल्याण विभाग ने रैगर बस्ती के लिये कोई सहायता नहीं दी ।

(२) इस योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में केवल सफाई करने वाले मेहतरों को ही मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है । मालपुरा में रेल्वे स्टेशन के समीप का क्षेत्र नगरपालिका की परिधि में होने के कारण वहां रैगरों को सहायता देना सम्भव नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : रैगर हरिजनों ने जहां बस्ती बसाने का कार्य प्रारम्भ किया है वह एरिया म्युनिसिपैलिटी में नहीं, ग्राम पंचायत में है ।

श्री भीखाभाई : ग्राम पंचायत में है तो विचार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

शक्कर का कोटा

७०६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला जालोर में जिला सिरोही के मुकाबले में कम शक्कर का कोटा मुकर्रर किया गया है जब कि जालोर की जन-संख्या सिरोही से करीब दुगुनी है ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या-क्या कारण हैं ?

(२) जालोर व सिरोही जिलों को माहवारी कितना-कितना शक्कर का कोटा मुकर्रर किया गया है ?

(३) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर को माहवारी कोटा सर्फ ११६ बोरी शक्कर का मुकर्रर किया है । जब कि वहां की जन-संख्या १ लाख ४६ हजार है ? यदि हां, तो इतना कम कोटा देने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सरकार भविष्य में जिला जालोर का शक्कर का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सच है कि सांचोर क्रय-विक्रय सहकारी समिति को शक्कर का होल-सेल कोटा वावजूद मांग के नही दिया गया है ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या-क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसी सहकारी समितियों को शक्कर वितरण का कोटा देने में प्रिफरेंस देना नहीं चाहती ?

(६) क्या यह सच है कि सांचोर में शक्कर भीनमाल से ले जानी पड़ती है और वहां से

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

शक्कर री-लोड करने व ले जाने में बड़ी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ? क्या सरकार रानीवाड़ा आखिरी रेल्वे स्टेशन से सांचोर को शक्कर दिलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उपमन्त्री, खाद्य (श्री परसराम मदेरना): (१) जी हां। यह सच है। राज्य सरकार ने चीनी का माहवारी कोटा गत कन्ट्रोल (६०-६१) के समय प्रत्येक जिले की चीनी के उठाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है। उस समय भी जालोर में सिरोही के मुकाबले कम चीनी उठाई जाती थी।

(२) जालोर को ७१ मि० टन और सिरोही को १०७ मि० टन।

(३) जी हां, यह सच है। तहसील सांचोर की जनसंख्या १ लाख ४६ हजार नहीं है अपितु १ लाख १६ हजार है। कम कोटा देने के कारण वे ही हैं जो पार्ट १ के उत्तर में कहे गये हैं।

(४) राज्य सरकार को चीनी का कोटा भारत सरकार से कम मिलने के कारण जिलों का कोटा बढ़ाना मुमकिन नहीं है। फिर भी जिले की आबादी का ध्यान रखते हुए कोटा बढ़ाने पर विचार किया जावेगा।

(५) जी हां, यह सच है। सब-डिवीज़न भीनमाल में थोक व्यापारी पहले से ही मुकर्रर किया जा चुका था, इसलिये मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी सांचोर को थोक का कोटा न देकर रिटेल का कोटा दिया गया है। ऐसी समितियों को सरकार प्रिफ़रेंस देना चाहती है।

(६) जी हां, यह सच है किन्तु यह व्यवस्था जिलाधीश पर छोड़ी हुई है। जिलाधीश को इस कठिनाई को दूर करने के लिये आदेश दे दिये जावेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बताया गया कि थोक व्यापारी भीनमाल में पहले मुकर्रर किया जा चुका था यह गलत है। कोआॅपरेटिव सोसाइटी ने पहले रुपया जमा कराने की दर्खास्त दे दी थी उसके बावजूद भी कोआॅपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया, इन्डिविजुअल व्यापारी को दिया इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : थोक व्यापारी का कोटा २६-४-६३ को मुकर्रर किया जा चुका था, जब कि मार्केटिंग सोसाइटी तहसील सांचोर की दर्ख्वास्त १६-६-६३ को प्राप्त हुई है। क्योंकि पहले थोक व्यापारी को कोटा दिया जा चुका था इसलिये आपको रिटेल का कोटा दिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मार्केटिंग सोसाइटी रिटेलर की तरह काम करे तो कहां तक ठीक हो सकता है ? कोआॅपरेटिव सोसाइटी को इन्डिविजुअल व्यापारी के मुकाबले में प्रिफ़रेंस दिया जाना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने कलेक्टर को आदेश दे रखे हैं कि सब-डिवीज़न का कोटा सब-डिवीज़न के हैडक्वार्टर्स पर ही दिया जाय। आपके यहां तहसील है, सब-डिवीजन नहीं है ; भीनमाल में सब-

(श्री परसराम मदेरणा)

डिवीजन है इसलिये वहां के थोक व्यापारी को कोटा दिया गया, आपके यहां रिटेल का कोटा दिया। अगर सांचोर को थोक का कोटा दे देते हैं तो ट्रान्सपोर्टेशन का सवाल है, सांचोर से फिर भीनमाल में डिस्ट्रीब्यूट हो तो बड़ी असुविधा हो जाती है कन्ज्यूमर्स को। कोऑपरेटिव सोसाइटी या थोकबन्द व्यापारी को भीनमाल में कोटा देना जरूरी था इसलिये भीनमाल में दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य सरकार जब कि सांचोर में तीन रिटेलर्स व्यापारी मौजूद होते हुए सांचोर के रिटेलर्स को छोड़ कर दूसरी जगह वाले को कोटा क्यों दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर देता है, ओन दी स्पोट देता है। आपके वहां के व्यापारियों को लाइसेन्स दिये हुए थे या नहीं ? यह भी देखना पड़ता है कि जो कोटा दिया जा रहा है उसका वितरण वे ठीक प्रकार से कर पायेंगे या नहीं ? कलेक्टर का डिस्क्रिशन होता है ? कलेक्टर ने जो डिस्क्रिशन यूज़ किया है वह ठीक ही किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपके उत्तर को देखने से मालूम पड़ता है कि इतनी जनसंख्या होते हुए पास के जिलों में ज्यादा कोटा दिया गया और इस जिले को सब से कम कोटा जालोर को दिया गया है, क्या उस कोटे को आप पर्याप्त कोटा मानते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने भाग ४ के उत्तर में कहा है सरकार इस पर विचार कर रही है, उस समय कोटा बढ़ाने के ऊपर भी विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कोटा देने का क्या आधार है ? जो कोटा सारे डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया है वह क्या पुराने आधारों पर ही दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो ६०–६१ का ऑफ-टेक है, उसी ऑफ-टेक के आधार पर दिया गया है। कम इसलिए दिया गया कि भारत सरकार ने ६०-६१ के अप्रेल मास में ७॥ हजार टन कोटा दिया है, उसके बाद ८॥ हजार टन किया है। अब जो कोटा आ रहा है वह ६ हजार टन है। उसी हिसाब से ऑफटेक को ध्यान में रख कर वितरण किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ, उदयपुर का रजिस्ट्रेशन

७१०. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि 'पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारी संघ, उदयपुर' नामक यूनियन ने उदयपुर डिविज़न में रजिस्ट्रेशन के लिए मांग की है ?

(२) क्या यह सही है कि विभाग ने इस मांग को इसलिये स्वीकार नहीं किया है कि यूनियन के विधान में यूनियन का कार्य-क्षेत्र उदयपुर नगर लिखा हुआ था ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(३) क्या यह सही है कि यूनियन ने इस संबन्ध में अपने विधान में इस शब्द का संशोधन कर विभाग को भेज दिया है ?

(४) क्या यह सही है कि डिप्टी लेबर कमिश्नर उनके यूनियन के सदस्यों की संख्या की जांच करने उदयपुर गये थे ।

(५) अब इस यूनियन को मान्यता देने में क्या कठिनाई है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१), (२), (३), (४) व (५)—जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : There is no authority.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसी प्रकार की परम्परा चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम फुलवारिया ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मकानादि के लिये सहायता

७११. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला जालोर में सहायतार्थ कुल कितनी धनराशि सन् १९६१–६२ व सन् १९६२–६३ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकान बनाने व कुआं बनाने हेतु दी गई ?

(२) सन् १९६३–६४ में उक्त कार्यों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

श्रम-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सन् १९६१–६२ और सन् १९६२–६३ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को मकान बनाने व कुओं के निर्माण के लिये जालोर जिले में २३,२५०) रुपये दिये गये ।

(२) सन् १९६३–६४ में जिला जालोर में उक्त कार्यों के लिये ८,२५०) रुपये की धनराशि दी गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : दूसरे साल में कम रखने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : योजनाओं के साथ प्रस्ताव भेजती है, पंचायत समिति भेजती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ६१–६२ में जो मन्जूर किया गया वह सारा खर्च किया जा चुका है ?

श्री भीखाभाई : इसमें अलग-अलग सहायता है, पूरे डिटेल्स तो इस समय मेरे पास नहीं हैं । मकान बनाने के लिये कुओं के लिये यह सहायता दी गई है । इसमें से कितना खर्च हुआ यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ६१–६२ में जो मन्जूर किया था वह सारा खर्च हुआ या नहीं यह जानकारी चाहते हैं ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त में यह जानकारी नहीं है, मंगा कर जवाब दे सकता हूँ ।

प्रश्न संख्या ७१२

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७१३

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

झुंझुनू जिले की रिज्यूम की गई जागीरें

७१४. **श्री तेजाराम गहलोत** : (सोजत) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली व झुंझुनू जिले में कौन कौन सी जागीरें राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर ऐक्ट, १९५२ की धारा ८ (बी), (१) व (२) में आती है सूची मय उनकी रिजम्प्शन की तारीख के सदन की मेज पर रखी जाये ।

(२) उक्त जागीरों में से किन-किन जागीरों से धारा ८ (बी) (१) व (२) के अन्तर्गत धारा ४ के अनुसार लागू होने वाली लैंड रेवेन्यू वसूल की गई या मुआवजे में से काटी गई व किस तारीख से व कब तक की उक्त राशि वसूल की गई और जिनसे वसूल नहीं की गई उसका क्या कारण है ?

(३) क्या जिन जागीरों से लैण्ड रेवेन्यू धारा ४ के तहत राज्य सरकार को देय थी उनको धारा ६ व ७ रिजम्प्शन ऑफ जागीर एक्ट के तहत लैंड रेवेन्यू निर्धारित की गई और ऐसा नहीं किया गया तो इसका कारण है व सरकार की कितनी-कितनी रकम नहीं वसूल की गई व उसकी जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों पर है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिला पाली के जागीरदारान जिनकी आय ५००) रु० से ज्यादा है उनसे लैन्ड रेवेन्यू दिनांक १।७।५२ से तारीख पुन-ग्रहण तक वसूल की गई है । कुछ शिकमी जागीरदारों से वसूल नहीं की गई थी उनको आडिट का एतराज होने पर माह जनवरी ६३ में नोटिस दे दिये गये हैं और तहसीलदारों को भी ऐसे जागीरदारों से लैन्ड रेवेन्यू की रकम वसूल करने को लिख दिया गया है ।

जिला झुंझुनू के जागीरदारान का लैन्ड रेवेन्यू करीब करीब मुआवजे में से काट लिया गया है फिर भी जिन जागीरदारान से कम वसूल हुई या नहीं वसूल हुई उसकी वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(३) जिला पाली में जिन जागीरदारों से लैन्ड रेवेन्यू धारा ४ के तहत राज्य सरकार को देय था उनका लैन्ड रेवेन्यू निर्धारित किया गया था, कुछ शिकमी जागीरदारों का लैंड रेवेन्यू निर्धारित नहीं किया गया था उनका लेन्ड रेवेन्यू निर्धारित कर नोटिस दिये जा चुके हैं सरकार को किसी प्रकार की रकम वसूल करनी नहीं रहेगी ।

जिला झुंझुनू में जिन जागीरदारान से लैन्ड रेवेन्यू धारा ४ के तहत राज्य सरकार को देय थी उनकी धारा ६ और ७ के तहत लैंड रेवेन्यू निर्धारित की जा चुकी है जिन जागीरों से वसूल नहीं हुई या कम हुई उसके लिये सूची में अंकित है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : मेरे प्रश्न के भाग ३ का उत्तर नहीं दिया कि धारा ४ के अन्तर्गत लैन्ड रेवेन्यू की वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि वसूली न करने में भूल हो सकती है, ऑडिट द्वारा एतराज करने पर मालूम हुआ ।

श्री तेजाराम गहलोत : यह भूल किसकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी अधिकारियों की है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितने जागीरदारों में बकाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५, १६ पेज की लिस्ट माननीय सदस्य को दे दी है ।

श्री रामकिशन (वैर) : जब ऑडिट ने पोइन्ट आउट किया तो कोई बड़ी रकम होनी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५३ आदमी ऐसे हैं जिनका लैंड रेवेन्यू असेस नहीं हुआ, अब दे दी गई है । जिला झुंझुनू में १२ आदमी हैं जिनसे बिल्कुल वसूली नहीं हुई है और २३ आदमी ऐसे हैं जिनकी कम वसूल हुई है ।

श्री तेजाराम गहलोत : लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ३० के अनुसार फॉर्म नं० ६ और १० के तहत सर्टीफिकेट देते हैं, क्या इन केसेज़ में तहसीलदार या कलेक्टर द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया और काटा नहीं गया, क्या माननीय मंत्री महोदय इसके लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, ऑडिट के एतराज करने पर पता लगा । उसके बाद वसूली की कार्यवाही की जा रही है । जहां तक सम्बन्धित अधिकारियों का प्रश्न है, जिनके कारण वसूली नहीं हो सकती, यह तो ऑडिट के एतराजात करने पर पता लगा है ।

श्री तेजाराम गहलोत : उपरोक्त धारा के मुताबिक तहसीलदार को पहले सर्टिफाई करना पड़ता है; उसके बाद जागीर डिपार्टमेन्ट नहीं काटता, सर्टिफिकेट देता है तो बड़ी भारी गलती की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रकम तो इन्वोल्व्ड ज्यादा नहीं है । ऑडिट के एतराज के बाद पता लगा, उसके बाद वसूली हो रही है । जानकारी करूंगा कि कौन व्यक्ति रेस्पोन्सिबल है ।

एक माननीय सदस्य : इसका ऑडिट कब करवाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में मन्दिरों से प्राप्त सोना

१५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सरकार को राज्य के कुछ मन्दिरों से सोना मिला है ?

(श्री रामकिशन)

यदि हां, तो किस किस मन्दिर से कितना कितना ! सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी नहीं।

श्री रामकिशन : कुछ जगह से वहां के ट्रस्टियों ने बैठक में घोषणा की थी कि कुछ से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये सोना दिया मन्दिरों गया है, ऐसा कलेक्टर महोदय को लिखकर भेजा गया; क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : घोषणा के सम्बन्ध में मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रामकिशन : घोषणा नहीं, कलेक्टर को सूचना दी गई कि इतना सोना दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार किसी भी मन्दिर से सोना नहीं आया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस प्रकार से सोना देने की बात माननीय सदस्य कहते हैं तो क्या वह सोना आपके पास में नहीं आया, क्या कार्यवाही की इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सोना जमा न हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि माननीय सदस्य निश्चित तौर पर यह कहें कि सोना मन्दिरों से आया है तो मैं उसकी इन्क्वायरी करा सकता हूं।

श्री रामकिशन : मैंने कहा, कलेक्टर को सूचना मिली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आपका जनरल सवाल हुआ, इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

प्रश्न संख्या ७१६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित)

गंगानगर शूगर मिल में स्टाफ कम किया जाना

७१७. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजकीय उद्योग (स्टेट अन्डरटेकिंग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गंगानगर शुगर मिल में कुछ स्टाफ कम किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण, आधार व कारण बताने का कष्ट करें ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : इस संबन्धी कम्प्लीट सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिये इसको पोस्टपोन करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो इनफोर्मेशन आपके पास आ गई है वही दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : जब इन्फोर्मेशन पूरी आ जायगी तभी दे देंगे।

नेक्स्ट।

नरूआं संवला पर पुल

७१८. श्री सांवलियाराम (रूपवास) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम कुरका के पास जो गम्भीर नदी का नरूआं संवरा बैरठा से निकल कर बहता है उस पर पुल न होने के कारण करीब बीस गांवों के लोग परेशान होते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि भरतपुर से बन्द बरेठा को कुन्देर होकर जो सड़क जाती है वहां से कुरका केवल एक मील की दूरी पर स्थित है ?

(३) क्या यह सही है इस नरूआं का पुल बनने पर ग्रामवासी कुरका श्रमदान द्वारा इस सड़क को कुन्देर तक मिलाने में तत्पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पुल को बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां, किन्तु केवल वर्षा-काल में ही।

(२) जी हां।

(३) श्रमदान की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। नहरों पर नये पुल जिलाधीश की सिफारिश पर बनाये जाते हैं। उनसे इस बारे में राय ली जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह ।

दी वर्क्स ऑफ एनीमल हस्बेन्ड्री डेवलपमेन्ट

७१६. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Agriculture and Animal Husbandry kindly state:—

1. Whether Government intends to take up the work of Animal Husbandry development on an intensive scale in any of the areas with this potential along with the Package Programme for the development of Agriculture going on in Pali District ?

2. If so, what are the particular schemes that are to be taken up and in which of the Panchayat Samitis of the district, and when ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां । योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री केसरीसिंह : ये योजनायें विचाराधीन सुनते-सुनते तीन साल हो गये । पैकेज प्रोग्राम के साथ-साथ ही एनीमल हस्बेन्ड्री डेवलपमेंट का कार्य किया जाने वाला था अब कब तक लिया जायगा ?

(३ म. प.)

श्री परसराम मदेरणा : डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी ने इस बारे की एक स्कीम प्रस्तुत की थी, जिसकी कॉपी इसमें है, उसका १७ लाख के करीब का एक्सपेन्डीचर है, तो फेज्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ रकम उनको

(श्री परसराम मेदरणा)

दे सकें तो इस इन्डिकेशन के साथ हमने उस स्कीम को डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर विभाग को दिया था। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। इसलिये यह मामला सरकार के विचाराधीन है, दोनों ही विभाग के हैड्स की मीटिंग बुलाकर इस बारे में जल्दी ही निर्णय लिया जावेगा।

लालसोट ग्रामपंचायत का नगरपालिका में परिवर्तन

७२०. श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नवम्बर १४, १९६० को लालसोट ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित किया था ?

(ख) क्या यह सच है कि जनता लालसोट और विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी अपनी सम्मति नगरपालिका घोषित करने के पक्ष में दी थी ?

(ग) क्या यह सच है कि जिलाधीश जयपुर ने अपनी सम्मति नगरपालिका घोषित करने के लिये देकर पत्रावली सेक्रेटरियट में भेज दी ? यदि हां, तो अब तक इसको नगरपालिका क्यों नहीं घोषित किया गया ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। नगरपालिका स्थापित कर दी गई है।

नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्यों की शिकायत

७२१. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका रामगढ़ सेठान के अध्यक्ष तथा कुछ सदस्यों के विरुद्ध नगरपालिका के सदस्य श्री भागीरथप्रसाद तथा श्री पुरुषोत्तम सेवदा ने दिनांक १४-४-६२, १६-४-६२ व १३-३-६२ को डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ को लिखित शिकायतें पेश की ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् ६१ में नगरपालिका की सदस्या श्रीमती स्वरूप रानी भार्गव, श्रीमती सावित्री शर्मा तथा सदस्य श्री रावतमल व्यास नगर परिषद् की लगातार तीन साधारण बैठकों से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहे जिसकी शिकायत भी समय समय पर उपरोक्त दोनों सदस्यों ने डाइरेक्टर महोदय को की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (क) डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ को ये लिखित शिकायतें प्रस्तुत करने का विभाग में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : ये अब भी सदस्य हैं क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कार्यवाही क्या कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जो शिकायतें की थीं उनके बारे में।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत तो यह थी कि तीन से अधिक मीटिंगों में लगातार अनुपस्थित रहने से इनको हटाया जाना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : इसमें ढिले हुई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन बीच में जिस रीजनल इन्सपेक्टर को इन्क्वायरी का काम दिया था उसका पद ही समाप्त हो गया, इस लिये जांच के कागज पड़े रहे और बाद में जब पता चला तो उसको दुबारा देखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : दुबारा देखा जा रहा है या इनको हटा दिया गया है, या अभी कागज देखे ही जा रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के मुताबिक भागीरथप्रसाद और पुरुषोत्तम सेवदा ने १६-४-६२ को जिलाधीश को शिकायत प्रस्तुत की थी और जिलाधीश द्वारा इस कार्यालय में भेजी गई, जांच के लिये रीजनल इन्सपेक्टर का पद खत्म हो जाने से कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री भैरोंसिंह : मैं भाग (२) के लिये पूछ रहा हूं, एक का तो आपने जवाब ही दे दिया कि आपके पास शिकायत ही नहीं आई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो यह कहा था कि डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के दफ्तर में कोई इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न मेरा नहीं है, मेरा तो आगे वाला है, आपने कहा, कार्यवाही हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के मुताबिक उनको हटाया नहीं गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं हटाया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने हालात निवेदन कर दिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह नहीं कहा कि तीन मीटिंगों में वे अनुपस्थित नहीं रहीं और आपने माना है कि अनुपस्थित रही हैं। रीजनल इन्सपेक्टर ने जांच करके लिख दिया था। इसके बाद भी अब तक वे क्यों नहीं हटाये जा रहे हैं ? ६१ का यह मामला है, ६३ चल रहा है।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी सूचना के आधार पर जानकारी करूंगा, पर मेरे पास जो सूचना थी उसके अनुसार हालात मैंने निवेदन कर दिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह रिपोर्ट इस प्रकार की है कि नहीं, यह तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

बता दें कि तीन मीटिंगों में हाजिर नहीं रहे थे ?

श्री दौलतराम सारण : जो तथ्य थे मैं सब स्पष्ट कर चुका। अब माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नम्बर ७२२।

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I have received the authority.

राजस्थान स्टेट होटल में लकड़ी और कोक की खपत

७२२. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) [श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) द्वारा पूछा गया]: क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले दो सालों में अर्थात् ६०–६१ व ६१–६२ में राजस्थान स्टेट होटल में कुल कितनी लकड़ी बोइलर्स में जली व उसका वजन व कीमत क्या थी ?

(२) क्या इस खर्चे की लकड़ी के लिए इन्डेन्ट प्राप्त किये गये थे ?

(३) उपरोक्त सालों में स्टेट होटल में कितनी बार कितना कितना पत्थर का कोयला हार्ड व स्टीम मंगवाया गया ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजस्थान स्टेट होटल में जो लकड़ी बोइलर्स में जली उसका व्यौरा इस प्रकार है :

सन्	लकड़ी का वजन	कीमत
१९६०–६१	२.२९८ मन	५,१४८) रु०
१९६१–६२	२.१६७ मन	५,३०८) ८० न.पै.

इन्डेन्ट लेने की प्रथा सन् १९५० से ही नहीं थी।

(३) स्टेट होटल में पत्थर का कोयला इस प्रकार मंगाया गया था :-

सन्	हार्ड कोक	स्टीम व सोफ्ट कोक
१९६०–६१	५३ क्विंटल	१०१ क्विंटल
१९६१–६२	नहीं	५६ क्विंटल

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ५० में जब यह सरकार आ गई तबसे इन्डेन्ट का नियम लागू क्यों नहीं किया गया ? जब इतनी रकम खरीदने को दी गई तो फिर इन्डेन्ट का नियम क्यों नहीं रखा गया ? क्या कारण था कि नहीं रखा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्डेन्ट का सम्बन्ध लकड़ी की खरीद से नहीं है यहां पर। वह तो स्टोर में रहता था। जो प्रात: पानी गरम करते थे उसके लिये लकड़ी तोल

Page No 19

(श्री परसराम मदेरणा)

कर ले जाता था और इसी तरह हार्डकोक का हिसाब था । जितना चाहिये था ले आते थे, बाकी वापिस कर देते थे । पर अब हमने इन्डेन्ट का सिस्टम लागू कर दिया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह फिर आपको कैसे पता लगता था कि किस दिन कितनी जलती थी और कितनी आती थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो लगता था, तोलकर जो लाते थे । फिर कोई बाहर ले जाने का सवाल नहीं पैदा होता था, मैस में ही जरूरत होती थी, वहीं से लेते थे और जो बच जाता वहीं वापिस रह जाता था और फिर लकड़ी जैसी चीज बाहर ले जाते समय मालूम न पड़े, ऐसा नहीं है । तो इस वास्ते इसका कोई दुरुपयोग हुआ हो ऐसी बात नहीं है । पहले इन्डेन्ट वाली प्रथा चालू नहीं थी, अब चालू कर दिया है ।

भीमसागर प्रोजेक्ट

७२३. **श्री जुझारसिंह (चेचट)**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state :-

1. When was the construction of "Bheem Sagar" Project started and what are the reasons for the delay in its progress and completion ?

2. Has the question of the payment of compensation to Asnawar village been finally settled ?

3. If so, when should the villagers expect to receive compensation and start shifting to the new site ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) भीमसागर बांध का निर्माण कार्य सन् ५४ में शुरू किया गया था, परन्तु बन्ध के स्वरूप में परिवर्तन व असनावर गांव के लोगों को मुआवजा दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय लिये जाने तक बान्ध का कार्य रोक दिया गया है ।

(२) और (३) ; यह विचाराधीन है ।

श्री जुझारसिंह : क्या असनावर गांव का कम्पेन्सेशन का मामला तय नहीं कर दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : यह अब असेसमेन्ट हुआ है, ओरीजिनल स्कीम में नहीं था ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कितनी धनराशि रखी गई थी और कितनी खर्च हो गई इस बांध में ।

श्री भीखाभाई : यह पुरानी योजना थी, जिस पर काम शुरू नहीं था, अधूरा था । लोगों ने ऐतराज किया कि असनावर डूब रहा है । इस कारण आल्टर्नेटिव तरीका निकाला । कैबिनेट की मीटिंग ने भी उस पर विचार किया । फिर इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई जाय, यह निर्णय हुआ, फिर रीसर्वे करवा कर एस्टीमेट को रिवाइज़ किया गया है । इसके बाद में यह सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन में भेजने से पूर्व देखा जा रहा है ।

श्री जुझारसिंह : ५४ से अब तक कितना इन्वेस्ट इसमें हो चुका है ?

श्री भीखाभाई : इसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या असनावर के कम्पेन्सेशन देने का डिसीज़न ले लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि एस्टीमेट कर लिया गया है। अब ज्यों ही स्कीम चालू करेंगे दे देंगे। एक्वीज़ीशन की प्रोसीडिंग्ज़ शुरू करने से पहले देने का तो प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री जुझारसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि असनावर के ग्राम वासियों को क्या मना किया हुआ है कि वे अपने मकानों में कोई एडीशन और ऑल्टरेशन का काम न करावें। कराते हैं तो उनको इसके लिये कम्पेन्सेशन में एड नहीं करेंगे और इसकी वजह से गांव वालों में असन्तोष है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लेकिन माननीय सदस्य ने कहा उनकी जानकारी से दूसरी जानकारी लेकर उनको जानकारी दे दूंगा।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से ३ दिन पहले डेपूटेशन मिला है। उनसे आपने कहा है कि एडीशन्स वगैरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और आप कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। ३ दिन पहले ही डेपूटेशन मिल कर गया है और आप मना करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विशेष जानकारी नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : कितनी अवधि के बीच तक दे दिया जायेगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : So many deputations meet, you cannot make award in a day.

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और है उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Shri Sheopat Singh! I believe Shri Kedar Nath has been authorised.

प्रश्न संख्या ७२४

श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

डी. एम. एण्ड एच. ओज़ ऑफिस, प्रतापगढ़ के कर्मचारी

७२५. **श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा)**: Will the Medical & Health Minister please reply:-

(a) What is the strength of the staff of D. M. & H. O's office, Pratapgarh, District Chittorgarh ?

(b) Out of the whole strength, what is the strength of the clerical staff ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(c) What is the duration of their stay at Pratapgarh ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) :

(१) स्टाफ निम्नलिखित है :

क्लर्क ३ : जिनमें से २ यू. डी. सी. और १ एल. डी. सी., क्लास फोर के २.

(२) सिर्फ ३

(३) स्टाफ ने निम्नलिखित तारीखों को जोइन किया :

(१)	डी. एम. एच. ओ.	११-८-६३
(२)	यू. डी. सी.	१०-७-६३
(३)	यू. डी. सी.	६-७-५८
(४)	एल. डी. सी.	५-१०-६०

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मेडिकल डिपार्टमेन्ट की डिफिकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इतने अर्से से काम करने वाले कब तक ट्रान्सफर हों, इसके लिए सरकार के पास क्या स्कीम है ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यू. डी. सी. ६३ में गया है, दूसरा ५८ में गया और एल. डी. सी. एक ६० में गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : जो ५८ में गया वह किस जिले का रहने वाला है और कितने अर्से से काम कर रहा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ५८ से काम कर रहा है ।

श्री अब्दुलजब्बार : किस जिले का है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह याद नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

मिलों में जबरन वर्कलोड लागू किया जाना

७२६.**श्री कुमारानन्द**(ब्यावर):क्या श्रम-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या महालक्ष्मी मिल्स तथा कृष्ण मिल्स ब्यावर में अगस्त, १६६० में पुलिस के बल पर वर्क लोड लागू किया गया था जिसे अदालत (इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) ने गलत बताया है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में लगभग २३ आदमियों को गिरफ्तार किया गया था ? क्या इन २३ आदमियों में स्वामी कुमारानन्द, श्री मोहन पूनमिया व श्री केसरीमल भी सम्मिलित थे ?

(३) इन २३ व्यक्तियों को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था ?

(४) क्या यह सच है कि उस अवसर पर पूरे एक सप्ताह तक साधारण तथा शहरी क्षेत्र व विशेषतया मजदूर क्षेत्रों में पुलिस का आतंक रहा ?

(५) क्या उक्त वर्कलोड को पूर्णतया

(श्री कुमारानन्द)

लागू कराने के साथ ही उसके एवज में मिलने वाले पूरे एलाउन्स मजदूरों को दिलवाये गये ?

(६) क्या एग्रीमेन्ट के अनुसार जनवरी, १९६० से जुलाई १९६० तक काम छोड़ कर चले जाने वाले बदली व कायम काम करने वाले मजदूरों को ६) रु० माहवार के हिसाब से उन्हें मिलने वाले एडहॉक इन्क्रीमेन्ट का पैसा दिया गया ?

(७) यदि नहीं, तो यह पैसा कब तक दिलवा दिया जायगा तथा सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(८) क्या टैक्सटाइल लेबर यूनियन ने इस बारे में सरकार को कार्यवाही करने के लिए बार बार लिखा ?

(९) इस अनियमितता के लिये सरकार ने मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) सरकार की जानकारी में नहीं है।

(२) श्रम विभाग को उसकी कोई जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं।

(७) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा है इसका समझौता शीघ्र ही हो जायेगा।

(८) जी हां।

(९) सरकार ने मिल मालिकों से सम्पर्क स्थापित कर वस्तु-स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा इसको समझौता द्वारा निपटाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऐसे प्रश्न क्यों अलाऊ किये जाते हैं जिनका 'नहीं-नहीं' में जवाब होता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नम्बर १ का प्रश्न है, उसमें यह पूछा गया है कि क्या महालक्ष्मी मिल्स तथा कृष्णा मिल्स ब्यावर में अगस्त, १९६० में पुलिस के बल पर वर्कलोड लागू किया गया था जिसे अदालत ने गलत बताया है और इसके लिए आपने उत्तर दिया है कि इसकी सरकार को जानकारी नहीं है। तो आखिर जब इसी बात की जानकारी नहीं तो फिर प्रश्न किसलिए पूछा है ? आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री भीखाभाई : जितनी जानकारी मुझे विभाग से मिली है वह मैंने दी है, लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि पुलिस के बल पर वर्कलोड लागू किया गया था जिसे अदालत ने गलत बताया है तो इसकी जानकारी नहीं है कि पुलिस के बल पर वर्कलोड का फैसला हुआ था; यह सारा होम मिनिस्टर महोदय से पूछा जाये। जितना मेरे से संबंधित था उसका उत्तर दे दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : मजदूरों के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होता है तो श्रम मंत्री से ही पूछा जायेगा और मजदूरों से संबंधित जितने भी मामले हैं इसके लिए श्रम मंत्री जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं कि होम डिपार्टमेन्ट से पता लगा लें कि पुलिस के द्वारा वर्क-लोड के लिए दबाव दिया है क्या, आप मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, होम मिनिस्टर इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए। जब तक आप इसका जवाब नहीं देते तब तक किसी प्रकार से इसके अन्दर आगे नहीं पूछा जा सकता.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप होम मिनिस्टर से पूछ लो।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिए श्रम मंत्री जिम्मेदार हैं। अगर वे मजदूरों के मंत्री हैं तो बराबर होम डिपार्टमेन्ट से इसका पता लगाकर फिर यहां जवाब दें........

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई इश्यूज़ शामिल हैं। एक का सवाल होता तो जवाब दे देता। यह लॉ एण्ड ऑर्डर की बात है और इसका जवाब श्रम मंत्री से पूछें तो सम्भव नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो उत्तर है इसके लिए चाहे श्रम मंत्री अपने मन में कितना ही कहें कि हम इस प्रकार का जवाब देते हैं। हम तो श्रम मंत्री से श्रमिकों के ऊपर जिस प्रकार के भी प्रहार किये हों उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह उनका कर्त्तव्य है कि उस संबंध में पूरी जानकारी जहां से भी हो, चाहे पुलिस से हो या किसी और विभाग से हो, वह प्राप्त करके सदन को दें। यह जवाब उनकी तरफ से मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि श्रम मंत्री को समुचित जानकारी करके जवाब देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि वर्क-लोड के संबंध में इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है जिसमें वर्क-लोड की व्यवस्था को अच्छा नहीं बताया ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की अभी जानकारी नहीं है। बल्कि वर्कलोड का फैसला हुआ उसका इम्प्लीमेन्टेशन हो गया और उसके अनुसार जो मजदूर हैं उनके मासिक वेतन एडहॉक बढ़ोत्तरी है उसके ऊपर बराबर संतोष है। एक दो जगह नहीं है तो वहां के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां भी उसको लागू किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : १९६० में जो वर्कलोड की व्यवस्था की है उसके संबंध में क्या इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने उसको गलत बताया ?

श्री भीखाभाई: जी नहीं। इस प्रकार की बात हुई है कि जो हड़ताल वर्कलोड को रोकने के लिए और जो इंटक की तरफ से की गयी थी उसको इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अवैधानिक बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर में पानी की समस्या

७२७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के, खास तौर से लूणकरणसर तहसील के खारे पानी वाले गांवों की पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु राजस्थान नहर के पानी को लिफ्ट कैनाल्स द्वारा बीकानेर शहर तक पहुँचाने की योजना बनाने की मांग अक्टूबर, १९६१ के पत्र द्वारा स्थानीय विधान सभाई सदस्य द्वारा की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि उपरोक्त योजना बनाने के लिए मुख्य अभियन्ता राजस्थान नहर एवं मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य को लिखा गया है ?

(३) उक्त योजना तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

(४) क्या भारत सरकार से इस योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है ?

उप-मन्त्री सिंचाई, (श्री दौलतराम सारण) : जवाब तो कल मिल गया अपको।

(१) जी हां। राजस्थान नहर से पानी को लिफ्ट करके बीकानेर शहर तक पहुँचाने की योजना बनाने की मांग एक स्थानीय विधान सभा के सदस्य ने अगस्त, १९६१ में की थी।

(२) जी हां।

(३) योजना बनाकर भारत सरकार के सिंचाई व विद्युत् मन्त्रालय को जून, १९६२ में भेज दी गई है।

(४) जी हां।

श्री भीमसेन : इस योजना में कुल कितने ग्राम शामिल हैं ?

श्री दौलतराम सारण : गिरदावर से लेकर बीकानेर पलाना तक जितने भी गांव सम्भव होंगे लिये जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार इस योजना का नाम भीमसेन योजना रखेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

मन्त्रियों के बंगलों में इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज़

७२८. श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान के मन्त्रियों के बंगलों में इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज़ की क्या कोई सीमा-राशि निश्चित है ? यदि हां, तो मन्त्रियों के लिए कितनी व उप-मन्त्रियों के लिए कितनी ?

Page No 25

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(२) राजस्थान के मन्त्रियों व उप-मंत्रियों के बंगलों में कितने-कितने रुपयों का इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज़ विद्यमान है ? मन्त्रीवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) सन् ६२-६३ में किस-किस मन्त्री या उप-मन्त्री के लिये कितने-कितने रुपयों का नया इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज़ खरीदा गया ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या उक्त इलेक्ट्रिकल एप्ला-एन्सेज़ का कोई किराया मन्त्रीगणों से लिया जाता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया) : (१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) मन्त्रियों व उप-मन्त्रियों के लिए सन् १९६२-६३ में चार नये डैज़र्ट कूलर खरीदे गये। इनमें से तीन वित्त मन्त्री और एक निर्माण मन्त्री के काम आये।

(४) जी हां, परन्तु रेफ्रीजरेटर्स निःशुल्क दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं यह पूछना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल एप्ला-एन्सेज़ का किराया क्या मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों से वसूल करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : महीने का १ परसेन्ट।

श्री भैरोंसिंह : वित्त मन्त्री जी के लिए ३ कूलर की क्या आवश्यकता पड़ी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर कमी थी।

श्री भैरोंसिंह : कमी तो आपके बंगले पर भी बहुत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको पी० डब्ल्यू० डी० देख कर कि कहां कितनी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि मन्त्रियों के बंगले १ कूलर से ठन्डे हो जाते हैं और वित्त मन्त्री जी ३ से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वापिस इन्होंने लौटा दिये थे और आगे जाकर एक ही कूलर इनके पास रहा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो इलेक्ट्रिक एप्लाएन्सेज़ हैं इसमें जो ५०० से लेकर ३०००) तक जो वेरी करते हैं तो जो मन्त्री इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज़ का उपयोग करते हैं उन पर आपने लिखा है कि इसमें सीमा नियत नहीं है कि किस सीमा तक ले सकते हैं तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार से सीमा निर्धारित करने का विचार करती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि उपयोग का इसके बारे में नहीं हो सकता है क्योंकि १२ पर्सेन्ट इसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ऊपर जो लगाया जाता है तो उसमें चाहे जितना लगेगा तो १२ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट देने को कौन तैयार होगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेफ्रिजरेटर्स फ्री क्यों दिये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक प्रकार से फ्री फर्निश्ड हाउस कहा जाता है तो उसमें रेफ्रिजरेटर्स माने जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : एक थोड़ा सा बाकी रह गया। क्या फ्री फर्निश्ड हाउस में लाजमी तौर से रेफ्रिजिरेटर हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम से कम मंत्रियों के बारे में माना गया है।

रिक्शा के नये लाइसेंस

७२९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् ने हाल ही में २८ नये रिक्शा (साइकल रिक्शा) चलाये जाने के लिए लाइसेन्स मन्जूर किये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अलवर नगर में पहले ही इतने तांगे और रिक्शा मौजूद हैं कि उन्हें भी पूरी तरह काम नहीं मिलता है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने नये रिक्शा के लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में नगर परिषदों पर कुछ पाबन्दी लगाई है ? यदि हां, तो वह पाबन्दी क्या है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही नहीं है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) जी हां। समस्त नगरपालिकाओं को सन् १९५९ व १९६२ में परिपत्र जारी कर निर्देश किया गया था कि रिक्शाओं हेतु नये लाइसेन्स न दिये जायं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सक्यूलर्स आर० टी० ओ० को जारी किये गये थे ?

श्री दौलतराम सारण : इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है इस वक्त।

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

प्रश्न संख्या ७३०

श्री वाई० एन० हाण्डा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३१

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

Page No 27

ट्रैक्टर की खरीद में अनियमितता

७३२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध नगरपालिका के सदस्यों ने तथा जनता ने एक ट्रैक्टर की खरीद के सिलसिले में की गई अनियमितताओं की शिकायत की थी ?

(२) क्या यह सही है कि इसकी जांच की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस परिणाम के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नगरपालिका के पास कुछ हिदायतें भेजी थीं ? यदि हां, तो कब और क्या तथा उसका अब तक पालन हुआ या नहीं ? नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह एम. एस. ए. ने भी शिकायत की थी।

(२) जी हां। जांच की गई थी। जांच के फलस्वरूप कम्पनी ने स्पेसिफिकेशन के अनुसार ट्रैक्टर नहीं दिया। इसलिए कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(३) नगरपालिका को उसके स्पेसीफिकेशन के अनुसार ट्रैक्टर न देने के कारण कम्पनी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु दिनांक २२-११-६० को हिदायत दी गई थी नगरपालिका की ओर से कम्पनी को नोटिस दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : २२-११-६० से अभी तक नगरपालिका ने सिर्फ नोटिस दिया, क्या यह कार्यवाही संतोषजनक है ?

श्री दौलतराम सारण : २२-११-६१, के बाद नगरपालिका को रिमाइन्डर्स भी कई दिये गये हैं; २४-८-६१, २४-१०-६१, २५-१०-६२ व २३-४-६३ को स्मृतिपत्र दिये गये हैं और नगरपालिका को यह सूचित किया गया है। फिर इसके बाद अध्यक्ष को शो-कॉज़ नोटिस दिया गया तो उन्होंने सूचित किया; २५-४-६२ को बताया कि कम्पनी को २४-८-६१ को नोटिस दिया गया है। उसके बाद फिर २०-४-६३ को दिया है।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जिस नगरपालिका ने यह खर्चा किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जब कि उन्होंने स्पेसिफिकेशन के अगेन्स्ट में लिया तो उनके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जब कि हमारे पास इस खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में बात आई, माननीय सदस्य ने भी एक पत्र लिखा मंत्री महोदय को और कुछ मेम्बर्स ने भी शिकायत की तो उसके बाद में एक असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को, एक एग्रीकल्चरल इन्जीनियर को और एक असिस्टेन्ट एग्रीकल्चरल इन्जीनियर को जांच के लिये भेजा गया। वे जांच करके आये और जांच के बाद

Page No 28

(श्री दौलतराम सारण)

में उन्होंने रिपोर्ट दी । उसमें उन्होंने यह कहा कि इसमें जो ट्रैक्टर है वह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो उसके पश्चात् नगरपालिका से सारी छान-बीन करने के बाद यह तय किया गया कि नगरपालिका को इसके लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए लिखा जाय । वह लिखा गया और उसके मुताबिक कार्यवाही की गई ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने का नहीं है । मेरा सवाल है कि जिस नगरपालिका ने पर्चेज़ किया है अगेन्स्ट स्पेसिफिकेशन के उस नगरपालिका के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो कार्यवाही की गई है उससे मैं आपको अवगत करा चुका हूँ । उसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिस नगरपालिका ने स्पेसिफिकेशन के खिलाफ पर्चेजेज़ की हैं और वहाँ के मेम्बर्स इस पर्चेज़ के खिलाफ शिकायत करते रहे, उस नगरपालिका के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : एक्शन लिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका के चेयरमैन को सस्पेण्ड किया गया था ?

श्री बरकतुल्ला खां : किया गया था और उसका डिफेन्स सुनने के बाद उसको बहाल कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जायगा ।

श्री बरकतुल्ला खां : अभी तो कम्पनी कन्टेस्ट कर रही है कि हमने जो दिया था वह स्पेसिफिकेशन के अनुसार था । जो रिपोर्ट उसमें यह पोज़ीशन थी कि एन्जिन काम कर रहा है, यह पोज़ीशन आई कि जो गेज़र्स लगे हुए हैं वे ओरीजिनल नहीं थे, टेन्डर के अन्दर भी ओरीजिनल नहीं थे । इन चीजों को सामने रख कर फर्दर चार्ज एस्टेब्लिश हो जायगा कि मेलेफाइड इन्टेन्शन है तो दुबारा सजा दी जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय सस्पेण्ड किया गया था क्या उस समय इन बातों की आपको जानकारी नहीं थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जानकारी पूरी नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या अधूरी जानकारी थी आपको जिस समय उनको सस्पेण्ड किया गया तब ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिस तरह की शिकायत थी उसके ऊपर सस्पेण्ड करना इसलिए जरूरी था कि यहां सदन में उसके लिए बार बार सवाल उठे और बाहर भी उठे कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ । प्राइमा फेसी एन्क्वायरी हुई और उनके खिलाफ साबित हुई ।

श्री भैरोंसिंह : इस बात की जांच क्यों नहीं की गई ? इस मामले को जुडीशियल एन्क्वायरी में भेजने के पहले ही आपने उनको रिइन्स्टेट कर दिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : उनका डिफेन्स सुनने के बाद हम सेटिस्फाइड हो गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस डिफेन्स से आप सेटिस्फाइड हैं उसमें ट्रेक्टर की बात का कोई उल्लेख नहीं आया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन का जवाब नहीं आया । डिफेन्स का जवाब भी मेरे पास है। मुझे मालूम है कि उसमें क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह सारे का सारा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि के लिए दरख्वास्तें

७३३ **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या मंत्री, राजस्थान केनाल यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि प्राप्त करने हेतु कितने भूमिहीन काश्तकारों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं और उनको निपटाने की सरकार के पास क्या योजना है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): राजस्थान केनाल ऐरिया में भूमि प्राप्त करने हेतु भूमिहीन काश्तकारों की ४६,१७६ दर्ख्वास्त दिनांक ३१-७-६३ तक प्राप्त हुई हैं । इन दरख्वास्तों की जांच की जा रही है और राजस्थान केनाल में इन भूमि-हीन काश्तकारों को जमीन देने हेतु नियम बन जाने पर जो वास्तव में भूमिहीन काश्तकार प्रमाणित होंगे उन्हें जमीन दी जा सकेगी ?

अनाज के बढ़ते हुए दाम

७३४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अनाज के बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(२) क्या राज्य सरकार ने खाद्यान्न के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए कोई प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या राज्य सरकार ने कन्ट्रोल रेट पर खाद्यान्न दूकानें खोली हैं ? यदि हां, तो उन पर कौन कौन सी वस्तुएं जनता को सस्ते भावों में उपलब्ध हो रही हैं ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां, केन्द्रीय सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विदेशी गेहूँ के वितरण के लिए सस्ते नाज की दूकानें जितनी ज्यादा हो सके अधिकाधिक खोलें । जिन क्षेत्रों में गेहूं नहीं खाया जाता है वहां भी ऐसी दूकानें खोलने का प्रयास किया जावे । सप्लाई विशेष होने से बाजार में अनाज के दाम सीमा में रहेंगे ।

(श्री परसराम मदेरणा)

जी हां। राज्य सरकार ने जिलाधीशों को यह आदेश भेजे हैं कि जिलों में अधिक से अधिक सस्ते अनाज की दूकानें खोल देवें।

(३) जी हां। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, जिलों में सस्ते अनाज की दूकानें चल रही हैं। अजमेर जिले में कुछ समय पहले चन्द ऐसी दूकानें चल रही थीं। अब इन दूकानों पर नाज का उठाव नहीं होने से बन्द कर दी गई हैं। शक्कर वितरण के लिए दूकानें सारे जिलों में चल रही हैं। और कोई वस्तु इन दूकानों पर नहीं बांटी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये हैं कि क्योंकि भाव काफी बढ़ रहे हैं इसलिए फौरन दूकानें खोल दी जायं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को मानती है कि भाव काफी बढ़े हैं और उसी आधार को मानते हुए केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : भाव बढ़ रहे हैं। भाव सीमा में रहें इसलिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देशन दिया था और राज्य सरकार ने एकदम सभी जिलाधीशों को जहां कि वे आवश्यक समझें वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें फौरन खोल दें ताकि नाज के भाव सीमा में रहें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कहते हैं कि भाव संतुलित हो और आप यह कह रहे है कि सीमा में रहे इसलिए केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार से यह किया है और यह मानते हैं कि बहुत ज्यादा मंहगाई हो रही है। उसके बावजूद फिर दूकानें खोलने की बात कही है और प्रश्न (२) में जैसा कि कहा गया है कि बीकानेर में दूकानें चल रही हैं मैं आपसे कहता हूँ कि बीकानेर में एक दूकान भी नहीं चल रही है, कोई दूकान खुली नहीं है और आप कहते हैं कि खोल दी गई है तो इस प्रकार से कैसे जवाब दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : फेयर प्राइस शोप बीकानेर जिनकी संख्या ४२ है खोल दी गई है और यह अभी खोली गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि आज भी एक दूकान वहां पर नहीं चल रही है। यह आपका जो वक्तव्य है बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक सप्लीमेन्ट्री और हैं। फूड ग्रेन्स की प्राइस को कन्ट्रोल करने के बारे में क्या स्टेट्स की जिम्मेवारी है।

श्री परसराम मदेरणा : फूड ग्रेन्स प्राइस कन्ट्रोल करने के बारे में फूड का रेग्युलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और प्राइस के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जहां हर प्राईसेज़ बढ़ रही हैं वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर तथा उसके अलावा जो विजीलेन्स कमेटी है इसमें प्राइस इन्डेक्स को ध्यान में रखते हुए एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो लोग प्राइसेज़ बढ़ाते हैं उनके खिलाफ

(श्री परसराम मदेरणा)

कार्यवाही की जाय, इस बात को सरकार ध्यान में रखती है और प्राइसेज़ रेगुलेट करने का प्रयत्न करती है।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रश्न यह है कि मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या भारत सरकार की। स्पेसिफिक प्रश्न है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह एक पर डिपेन्ड नहीं किया जा सकता क्यों कि यह डिपेन्ड करता है ओवर ऑल ऑल इंडिया पॉलिसी पर और उसी के अनुसार स्टैप्स लेने पड़ते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं निवेदन करता हूं कि ये सर्क्यूलर्स हैं जो राज्य सरकार की ओर से जुलाई सन् ६३ में निकाले गये हैं, उसमें लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं इस स्थिति के बारे में मंत्रियों का जो अज्ञान है उसको दूर करना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है :

"Food-grain price which is a State Subject not being within the perview of the Centre.. ..."

फूड ग्रेन प्राइसेज़ को आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टेट सब्जेक्ट मानता है और इसमें हवाला दिया है, सारे प्राइसेज़ को कंट्रोल करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। श्री एस. के. पाटिल ने पार्लियामेन्ट में साफ कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और मोरली कंट्रोल करना राज्य सरकार का काम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बहुत स्पष्ट सवाल है। फूड ग्रेन्स पर कंट्रोल करना कई फेक्टर्स पर डिपेन्ड करता है; एज़ फोर एग्जेम्पल मूवमेन्ट ऑफ फूड ग्रेन्स को राष्ट्रपति रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेन्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती जब तक कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की इजाजत नहीं हो। इसलिये यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट दोनों पर निर्भर करता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस मामले में उत्तरदायित्व किसका है? स्टेट गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से बातचीत कर सकती है, उनकी राय ले सकती है यह बात दूसरी है, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी या सेन्टर की?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उत्तरदायित्व का प्रश्न तो तब आता है जब हम उसको निभा सकें। जनरल ऑल इंडिया पॉलिसी के आधार पर आज फेयर प्राइसेज़ शोप्स चलती हैं इसलिये कि भारत सरकार इम्पोर्टेड व्हीट मंगाती है और हमें सप्लाई करती है। यदि राजस्थान सरकार समझे कि बाजार से व्हीट मंगाकर हम फेयर प्राइस शोप्स को सप्लाई देंगे तो यह नामुमकिन बात है। स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसा नहीं कर सकती, यह सीधा सा सवाल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: ग्राम(चना), बाजरा और मक्का की कीमत को कंट्रोल करने को क्या स्टेप लिया जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इनका प्राइस कंट्रोल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनका मूवमेन्ट फ्री है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्राइस कंट्रोल का सवाल नहीं है, प्राइस कंट्रोल करना अलग बात है लेकिन जो इनकी प्राइसेज़ राइज़ हो रही हैं उनको रोकने के लिये राज्य सरकार क्या करने जा रही है ? प्राइसेज़ राइज़ हो रही हैं, यह तो आपके डिपार्टमेन्ट ने भी घोषित किया है । इसको रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, इस सिलसिले में पहले जो बहस हुई थी उसमें विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी। जब प्राइसेज़ राइज़ होने लगती हैं तब फेयर प्राइसेज़ शोप्स खोल कर कंट्रोल में रखने का प्रयत्न किया जाता है। जब सर्टेन लेवल से प्राइसेज़ हायर जाने लगती हैं तो वीट बाजार में लाकर उनको कंट्रोल करने का सवाल होता है । आज बाजरा, मक्का, जवार ओपन रखे हैं क्यों कि हिन्दुस्तान में वीट और राइस ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइसेज़ ध्यान में रखने से बाकी प्राइसेज़ अपने आप सुधर जाती हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) राजस्थान में तो न चावल की दूकानें हैं न गेहूं की खोली गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

७३५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पांच हजार, दस हजार तथा इससे ऊपर धन देनेवालों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पांच हजार, दस हजार तथा इससे ऊपर धन देनेवालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, ७८ आदमियों की सूची प्रस्तुत की है; जिन्होंने राष्टीय सुरक्षा कोष में पांच हजार, दस हजार या उससे ऊपर रुपये दिये हैं। क्या यह सही है कि प्रधान मंत्रीजी ने भूतपूर्व नरेशों को उनकी प्रिवी पर्स का १० परसेन्ट या ५ परसेन्ट देने के लिये अपील की थी उसके कारण क्या ऐसे किसी नरेश का नाम दर्ज है जिन्होंने अपनी प्रिवी पर्स में से कुछ दिया हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन लोगों ने आम तौर से भारत सरकार को सीधी रकम भेजी है इसलिये उनके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्रियों में से किसी ने हिम्मत की है ५ हजार या १० हजार रुपये नेशनल डिफेन्स फंड में देने की और उनका नाम इन ७८ आदमियों की सूची में दर्ज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कुछ है वह सूची में दर्ज है।

श्री रामकिशन : क्या कोई ऐसे भी उच्च अधिकारी हैं जो हजार रुपयों से ऊपर तनख्वाह पाते हैं और उन्होंने ५ हजार या १० हजार रुपये इस फंड में दिये हों?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): मन्त्री और अधिकारी मेम्बर्स को फोलो करते हैं।

श्री रामकिशन : भूतपूर्व नरेशों के बारे में आपने यह फरमाया कि उन लोगों ने सीधा भारत सरकार के पास भेज दिया है। लेकिन जो सूची दी है उसमें सीधा भेजने वालों में केवल ६ के नाम दिये हैं, इसका मतलब क्या यह माना जाय कि बाकी नरेशों ने कुछ नहीं दिया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है कि उनका नाम नहीं हो और सीधा भेजा हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि नगरपरिषद् ने १० हजार रुपये भेजे और उसका नाम लिस्ट में नहीं है।

श्री बरकतुल्लाखां : The Hon'ble Member should read the list before raising the question.

श्री रामकिशन : एक प्रश्न और है। क्या कोई सरकार का बड़ा अधिकारी एक हजार से ऊपर वेतन पाता है और उसने ५ हजार या १० हजार रुपये दिये हों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो सूची मांगी थी वह सारी सूची उपलब्ध है। यदि नहीं दिया तो नाम नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

राजस्थान स्टेट होटल के बाहर क्वार्टर

७३६. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के बाहर कितने क्वार्टर हैं एवं वे किस श्रेणी के हैं? उनका क्या स्टेन्डर्ड रेन्ट है? उन क्वार्टर्स की कौन एलोटिंग ऑथोरिटी है?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : जयपुर स्टेट होटल के बाहर स्टॉफ क्वार्टर्स नम्बर १ से १० तक हैं। जिनको हाल ही में कुछ दिन पहले १६ क्वार्टर्स में परिवर्तन कर नये नम्बर लगाये हैं। यह दस क्वार्टर 'एफ' श्रेणी के थे और अब उनको १६ क्वार्टर्स में परिवर्तित करने से इनकी श्रेणी 'जी' व 'एच' के बीच में आती है। जिनकी एलोटिंग ओथोरिटी अधिशासी अभियन्ता (Ex.En.) पी० डब्ल्यू० डी० है और उनका स्टेन्डर्ड रेन्ट चार रुपया ४) मासिक वसूल होता है।

प्रश्न संख्या ७३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित)

जंगल की लकड़ी बेचने का अधिकार

७३८. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने अभी कोई नया कानून बना दिया है जिससे गिरवा क्षेत्र उदयपुर में पिछड़ी जातियों जैसे भील आदि या कोई ऊंट वाला जंगल से ऊंट पर जोड़ की लकड़ी नहीं ला सकता या लाकर उदयपुर में नहीं बेच सकता ?

(२) क्या सरकार यह जानती है कि गिरवा क्षेत्र में कोई भीलों या आदिवासी जाति के लोग पहाड़ों से लकड़ी की पूली और ऊंट पर लकड़ी लाकर शहर में बेच कर अपना जीवनोपार्जन करते हैं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि सरकार उनकी जबरदस्ती सहकारी समितियां बनवा कर जंगल ठेके पर देने की नीति को अपना रही है ?

(४) क्या यह सही है कि जो सहकारी समिति में शामिल नहीं होगा उसको अलग लकड़ी नहीं लाने दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, वन (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री जोधसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सब बातों को मना किया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मैं डी० एफ० ओ० उदयपुर के पास गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप निवेदन नहीं करें पहले प्रश्न पूछें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं सवाल चाहता हूँ।

श्री जोधसिंह : आपने सब के लिये मना कर दिया। इस प्रकार नहीं करने का मतलब यह हुआ कि किसी को नहीं रोका। यानी लकड़ी जंगल से काट कर लाने से आदिवासियों को नहीं रोका....

श्री उपाध्यक्ष : आप निवेदन न करें, प्रश्न करें।

श्री जोधसिंह : मैं कहता हूं, रोका है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं कहता हूँ नहीं रोका है, नहीं रोकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विवाद न करें, केवल प्रश्न करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उप-मन्त्री बतायेंगे कि क्यों नहीं रोका ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्योंकि उनको अधिकार है इसलिये नहीं रोका। आपने सवाल नहीं पढ़ा।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको अधिकार है कि लकड़ी काट कर ला सकते हैं और बेच सकते हैं ?

Page No 35

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह अधिकार दे रखा है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी लकड़ी लाने का अधिकार दे रखा है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हैड लोड और ऊंट।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये रोयल्टी नहीं देनी पड़ती ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कुछ नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ठीक है कि बरसात में जंगल में से नहीं लाने दी जाती ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं।

जगर बांध की नहरें

७३६. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि जगर बांध से जो नहर गई है उसमें जितनी जमीन किसानों को दी गई है उसका लगान उनसे लिया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि यह शिकायत पूरे बांध की नहरों के सम्बन्ध में सभी जगह की है ?

(३) यदि हां, तो सरकार उन किसानों के बारे में क्या सोच रही है जिनकी जमीन गई और जिन्हें लगान देना पड़ रहा है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आ सका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तय होना चाहिये कि प्रश्न का उत्तर कितने दिनों में दिया जायगा। आपको पहले ही पता चलना चाहिये इन प्रश्नों के बारे में कि जवाब आने में कितना टाइम लगेगा। निश्चित रूप से यह समझना जरूरी है कि किस प्रश्न के लिये कितना टाइम सरकार को देना चाहिये। उतना टाइम दे देने के बाद इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये कि इसका उत्तर नहीं आ सका। मेम्बर्स खुद जानकारी करके प्रश्न तैयार करके लाते हैं और इस तरह कहने के पूर्व उनको पूर्ण सूचना होनी चाहिए।

श्री दिनेशराय डांगी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, मैं उनको जानकारी दे सकता हूं। इसका अधूरा उत्तर है। मैंने जानकारी कर ली है, उसके बाद में ही जवाब दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मंत्री महोदय को इस प्रकार डांटना ठीक नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : फटकार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड

७४०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड ने अब तक पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये योजना बना कर कार्य किया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का प्रान्तीय दफ्तर है ? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी हैं व दफ्तर पर कितना रुपया सालाना खर्च होता है ?

(४) गत साल सन् ६१-६२ में उक्त बोर्ड ने पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये क्या क्या योजनाबद्ध कार्य किये व उनमें कितनी सफलता मिली ?

(५) भविष्य में पिछड़ी जातियों के उत्थान की बोर्ड के पास क्या योजना है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये कोई कार्य नहीं करता है। पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये तो समाज कल्याण विभाग ही कार्य करता है।

(३) जी हां। समाज कल्याण बोर्ड में कुल २० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस कार्यालय पर लगभग ६२,०००) (बासठ हजार रुपया) सालाना व्यय होता है।

(४) जैसा कि भाग २ में बताया जा चुका है कि उक्त बोर्ड पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उक्त बोर्ड ने ६१-६२ में पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये क्या योजनाबद्ध कार्य किये और उनमें कितनी सफलता मिली इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये बोर्ड के पास कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड क्या काम करता है ?

श्री भीखाभाई : और सामाजिक कार्य करता है। महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, अपाहिजों के लिए और दूसरी ऐच्छिक संस्थायें राजस्थान भर में जो कार्य अपना करती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए—उनके लिए कार्य करता है। यह बोर्ड है भारत सरकार का जो

(श्री भीखाभाई)

बोर्ड है, उसकी शाखा के रूप में काम करता है।

(अनेक माननीय सदस्य प्रश्न पूछने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

एक माननीय सदस्य : समाज कल्याण बोर्ड की महिलाओं के कितने प्रोजेक्ट चलते हैं और कितने बन्द हो गये ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी अलग जानकारी की जाय। इस वक्त जो प्रश्न है वह केवल with reference to the development of Samaj Kalyan है। इसकी सूचना एकत्रित कराई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : समाज कल्याण बोर्ड है, इससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे बच जाते हैं ? वह अलग चीज हैं ?

श्री भीखाभाई : समाज कल्याण के जिला बोर्ड हैं। जो बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में गठन किये हैं वे उनका रिव्यू करते हैं। जो पंचायत समितियों और जिला परिषद को रुपया दिया जाता है उसका काम वे करते हैं। जैसा मैंने कहा, यह केन्द्रीय मंत्रालय के अन्तर्गत बना हुआ बोर्ड है, उसकी एक शाखा के रूप में यहां काम करता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो कार्यकारिणी की सूची दी है, इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं या नामजद करते हैं ?

श्री भीखाभाई : नामजद उनको सेन्ट्रल बोर्ड करता है और राज्य सरकार करती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या........

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

लाखेरी आयुर्वेदिक औषधालय

७४१. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी में बी श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय कायम किया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय के लिये भवन बनवा कर नगरपालिका लाखेरी के द्वारा दिया हुआ है ?

(३) क्या सरकार इतनी बड़ी आबादी व मरीजों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए प्रथम श्रेणी का औषधालय कायम करना चाहती थी और नगरपालिका को यह लिखा था कि एक कमरा और बना दिया जावे तो प्रथम श्रेणी का औषधालय कर दिया जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने उक्त आज्ञा के अनुसार भवन का निर्माण करवा दिया और औषधालय के सुपुर्द कर दिया ?

Page No 38

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(५) यदि हां, तो अब सरकार कब तक इस औषधालय को प्रथम श्रेणी का बना देने पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) लाखेरी में प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाने का कोई विचार नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने 'जी हां' कहा है; जब भवन वगैरह बना कर उन्होंने दिया है तो प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाने में क्या एतराज है ? कौनसे आधार हैं जिन पर प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आधार गत दिनों में मैं निवेदन कर चुका हूं; पर्याप्त भवन, पर्याप्त रोगी-संख्या, जन-संख्या आदि-बहुत सी बातें देखी जाती हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितनी जन-संख्या पर प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इनमें से कोई लाखेरी में नहीं है—न भवन, न रोगी संख्या।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कितने रोगियों की कमी है, जो पूरी करनी है 'ए' श्रेणी के औषधालय के लिए ?

श्री दौलतराम सारण : 'बी' श्रेणी के लिए भी पूरे नहीं हैं। ७५ का एवरेज है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरकार ने किस आधार पर म्यूनिसिपैलिटी को पत्र लिखा कि भवन निर्माण करा दे।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा सरकार ने कोई पत्र नहीं लिखा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऐसा पत्र बता दिया जाय तो ?

श्री दौलतराम सारण : इन्सपेक्टर की ओर से एक पत्र लिखा गया था, वह मेरे पास है। लेकिन उसमें भी ए श्रेणी का बनाने का नहीं कहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसमें कहा है कि एक कमरा और बनायें।

श्री दौलतराम सारण : इसमें यह है कि भवन बनाने का सवाल था, तो म्यूनीसिपेलिटी ने एक कमरे का ताला खोला, उसकी मरम्मत कराई, छत डलवाई। ज्यों ही वह कमरा तैयार हो गया, उसको वैद्य से छीन लिया गया। उसमें ताला लगा दिया गया। काफी अनुनय विनय के बाद दिया गया। इस लिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितने कमरे इस औषधालय में आपकी जानकारी में हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्यों नहीं है ? क्या यह सही है कि वहां नर्स का भी आपने ट्रान्सफर कर दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जहां पचास हजार की आबादी है और 'बी' श्रेणी का औषधालय बना हुआ है वहां नगरपालिका को भवन बनाना चाहिए ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Next Question.

प्रश्न संख्या ७४२

श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (वैर) : सरकार मरीज संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : Postponed Question.

प्रश्न संख्या ५२७

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१७

श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

Short Notice Question.

श्री मानसिंह महार : पढ़ूं या आप जवाब दे देंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : You need not repeat.

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

बस्सी सीतारामपुरा में भूमि की अवाप्ति

(५७ एस. एन. क्यू) **श्री मानसिंह महार (आमेर)** : Will the Minister for Local self Government be please to state:—

1. Is it fact that Khasra Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5/254, 5/255-Area 177 bighas and 17 biswas situated in village Bassi Sitarampura are being acquired for the widening of the existing Jaipur-Chomu Road ?

2. Is it a fact that the compensation assessed for the above mentioned land is Rs. 2, 53, 424.44 n. p. and may be increased when the parties go to the District Judge in reference proceedings ?

8. Is it not a criminal waste of public money to spend such a huge amount, when the actual land that would be needed for widening the road would be very small ?

Page No 40

(श्री मानसिंह माहर)

4 If so, would the Government reconsider their decision and withdraw acuqusition orders for those lands which would not be required for the widening of the said road ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं। यह सही नहीं है कि यह भूमि मौजूदा जयपुर–चौमू रोड़ का विस्तार करने के लिए अवाप्त की जा रही है। वस्तु-स्थिति यह है कि जयपुर नगर विकास निगम की आवश्यकता के कारण यह भूमि जयपुर शहर के आयोजित विकास के लिए अवाप्त की जा रही है।

(२) राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, १९५३ की धारा ११ के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश (भूमि अवाप्ति) जयपुर ने २, ५३, ४२४. ४४ नये पैसे का अवार्ड दिनांक ३१–७–६३ को दिया है।

(३) अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा जयपुर नगर विकास निगम द्वारा दिया जायगा। निगम इस भूमि का गृह-निर्माण योजना के लिये उपयोग करेगा। दिनांक ३०-८-६३ को निगम ने यह निर्णय लिया कि अवार्ड में निश्चित की गई भूमि की दर अनुचित एवं अत्यधिक है। अतएव उनकी सिफारिश पर राज्य सरकार ने अवार्ड के विरुद्ध रेफरेंस फाइल करने के आवश्यक आदेश दिनांक ६–६–६३ को जारी कर दिये। जिला न्यायाधीश को, जिनके पास रेफरेंस होगा, मुआवजे की रकम को मेरिट्स पर कम या अधिक करने का अधिकार है।

(४) राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पुन: विचार करने का अब प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अवार्ड दिया जा चुका है और जयपुर नगर विकास निगम को इस भूमि की एक गृह निर्माण योजना तैयार करने लिए अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। Call Attention Notice by Shri Murlidhar Vyas.

(३. ४७ म. प.)

दशहरा तथा दिवाली की तिथियों में अन्तर होने सम्बन्धी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं इस वर्ष केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित दशहरा तथा दिवाली की तिथियों में अन्तर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरा भी दशहरा और दीपावली की तिथि का है।

श्री उपाध्यक्ष: Well That's, allright.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : सन् १९६३–६४ में धार्मिक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

त्यौहारों को कब कब मनाया जाय तथा उसके अनुसार कब कब सरकारी तौर पर अवकाश घोषित किये जायं, इसके लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष नवम्बर मास में ही जयपुर के गण्यमान्य पंडितों तथा ज्योतिषियों की सभा महाराजा संस्कृत कॉलेज में बुलाई थी और उस समय इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जाकर प्रायः सभी विद्वानों की, सिवाय पं० चन्द्रशेखर द्विवेदी के, यह सम्मति रही कि दशहरा व दीपावली के त्यौहार आधुनिक गणन पद्धति (दृक्गणित) के अनुसार कार्तिक मास का क्षय मान कर तारीख २७ सितम्बर को दशहरा व तारीख १६ अक्टूबर को दीपावली मानी जाय, न कि (क्रमानुसार) २७ अक्टूबर व १५ नवम्बर को, जैसा कि कार्तिक मास के ज्योतिष्मती मासिक पत्रिका में उल्लेख है । इस विषय में भारत सरकार (गृह विभाग) ने भी पंचांग निर्माताओं तथा दिल्ली के मान्य विद्वानों से सम्पर्क साधकर यह निश्चित किया कि भारत सरकार के मेटिरियोलॉजीकल डिपार्टमेंट के सम्मति पत्र दिनांक २२ मई, सन् १९६२ के अनुसार ही कार्य किया जाय । इसी पत्रावली में यह भी विभिन्न स्टेट्स गवर्नमेंट के नाम निर्देशन था कि जहां तक सम्भव हो यही छुट्टियों का क्रम सारे भारत में रखा जाय । इसी पृष्ठ भूमि में राजस्थान सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट प्रकाशित की और जयपुर के विद्वानों से भी फिर दुबारा सम्पर्क साधने पर भी यही निश्चय किया गया कि जो छुट्टियां पहले निर्धारित की गई हैं वे ही रखी जायं क्योंकि क्षय मास अर्थात् कार्तिक मास के पहले के मास को ही कार्तिक मास में पड़ने वाले त्यौहारों को मानना विशेष शास्त्र-सम्मत है ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तो केन्द्र और राजस्थान में दीवाली और दशहरा की तिथियों में क्यों अंतर है, इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है । मुख्यमंत्रीजी ने जो भी उत्तर दिया है उसमें कहा है कि क्योंकि यह पंडितों और शास्त्रियों की जिस प्रकार की राय है, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर दीवाली और दशहरा के मामले में निर्णय लिया गया । मैं दीवाली और दशहरा की तिथियों पर इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये दोनों राष्ट्रीय त्यौहार हैं । अगर इसके अंतर्गत हिन्दुस्तान के एक प्रान्त और दूसरे प्रान्तों में अंतर होता है तो वह हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता और नेशनल इन्टेग्रिटी की बात हो जाती है । दूसरे राज्यों के अन्दर ये त्यौहार केन्द्र की तिथियों के अनुसार मनाए जायें और हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का परिवर्तन....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आपका यह ख्याल है तो बहुत बड़े भ्रम में हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्र और राजस्थान की तिथियों में कोई फर्क नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फर्क है, लेकिन ज्यादातर जो आधार राजस्थान ने माना है....

श्री मुरलीधर व्यास : ज्यादातर मैं कह सकता हूं । लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय त्यौहार के संबंध में

(श्री मुरलीधर व्यास)

जब इस प्रकार का निर्णय कर लेती है उसको चाहे दूसरे राज्य किसी प्रकार से माने या न माने, महत्व तो इस बात का है कि दीवाली और दशहरा जैसे त्यौहारों के मामले में सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हर हालत में उसकी एक ही तिथि निश्चित होनी चाहिए। ऐसा परिवर्तन सदियों से कभी देखने में नहीं आया। इस बार ही ऐसा हुआ है। फिर भी मैं खास करके मुख्य मंत्रीजी से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि किसी राज्य के अन्दर एक त्यौहार किस तिथि को मनाया जाय, उसका महत्व नहीं। लेकिन इस चीज का ज्यादा महत्व है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले के अन्दर कौनसा त्यौहार किस दिन मनाती है, कौनसी छुट्टियां किस दिन मनाती है, इस मामले में एकता हो। केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने के बावजूद भी अगर केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है तो हमको भी उसी प्रकार का निर्णय करना चाहिए और नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। राष्ट्रीय त्यौहारों के मामले में एकीकरण हो और इतना मतभेद नहीं होना चाहिए। हम यहां दशहरा मनाए सितम्बर में और दीवाली अक्तूबर में। हमारी छुट्टियां पहले और केन्द्र वालों की बाद में। जयपुर के अन्दर केन्द्रीय कर्मचारी भी हैं। वे दीवाली बाद में मनाएंगे और हमारे कर्मचारी पहले। इस प्रकार जो विवाद होता है तो उससे किसी प्रकार से एकीकरण नहीं होता है।

दूसरा जैसे नन्दाजी ने अपने वक्तव्य में कहा है, उसका मकसद एक ही है मनाने के मामले में कि किस प्रकार छुट्टियों का इस्तेमाल किया जाय। उनकी मन्शा है कि उस मामले में, छुट्टियों के मामले में यूनिटी हो। उनका लक्ष्य यह है कि सारे देश के अन्दर इस मामले में एकता रहे। इसलिए मैं मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर देश में एकता स्थापित होनी चाहिए, नहीं तो इसका असर बुरा होगा। आप जब दीवाली मनायेंगे तो दिवाली के बाद में गोर्धन पूजा होती है और भाई बीज ठीक प्रकार से १५ दिन बाद में बैठना चाहिए नहीं तो इस गलती की वजह से जैसा कि दिल्ली के पंडितों ने कहा है कि आगे भी हम देखेंगे, इस प्रकार हर त्यौहार के अन्दर परिवर्तन होता रहेगा और अलग २ त्यौहार मनाए जायेंगे।

इसलिए खास करके मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले में राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के पोइंट ऑफ व्यू से इस त्यौहार पर सोचेंगे और उसी के आधार पर जिस प्रकार से हिन्दुस्तान के अन्दर दीवाली के संबंध में या दशहरा के के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने जिस नीति को अख्त्यार किया है वही मान्य की जाय तो कम से कम राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलेगा नहीं तो इसका असर बुरा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि जयपुर के भागवत संघ ने अक्टूबर में दशहरा और नवम्बर में दीवाली मनाने का प्रस्ताव भेजा है और क्या यह भी सही है कि उस संघ की अध्यक्षता माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे तो मालूम नहीं कि किसने की।

Page No 43

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): मैं अध्यक्ष बना था । जब इस विषय में मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मेरी कोई सम्मत्ति नहीं है । राज्यपाल फिर भी इसमें गति रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि बड़ा विवाद होगा और आप के रहने से विवाद नहीं होगा, शांति रहेगी, इसलिए मैं चला गया। आखिर में मैंने कहा कि मेरी कोई सम्मत्ति नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपके जाने के बाद भी वहां वाद-विवाद रहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शांति रही ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : यह जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दीवाली और दशहरा अमुक अमुक तिथियों पर मनाया जाना चाहिए तो क्या उन्होंने जो जयपुर में ऑब्ज़र्वेटरी है उस पर आब्ज़र्व करने के बाद ही इस निष्कर्ष को निकाला है और यदि ऐसा है तो कौनसी प्रणाली से निकाला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्योतिष का एक्सपर्ट नहीं हूँ । मैं तो इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ दिन पहले, यहां के ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले आए थे । इसका निर्णय होने के बाद उन्होंने आकर कहा कि जो कुछ यहां पर तिथियां निर्धारित की गई हैं वे यहां की जो हमारी ऑब्ज़र्वेटरी है उसके और गणित शास्त्र के आधार पर ठीक निर्णय पर पहुंचा गया है और पहले भारत सरकार ने भी यही निर्णय किया था । अब उन्होंने निर्णय बदल लिया है । तो मैं समझता हूँ कि जयपुर में जहां ज्योतिष शास्त्र का इतना महत्व रहा है और जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनके ख्याल से, सिवा एक दो व्यक्तियों के, जो तिथियां निश्चित की गई हैं वे ठीक ही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है आसाम, बंगाल और शायद मद्रास के अलावा अन्य राज्यों ने अब तक जिन तारीखों को हम मान रहे हैं, उन्हीं को वे मान रहे हैं, तो इसके अन्दर परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है ।

(३.५६ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : Legislative Business Rules on Land Revenue.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उप-राजस्व मन्त्री ने जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया है मैंने उस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु तीन मास के लिये प्रसारित किया जाए ।

Page No 44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पढ़ने के बाद इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो इससे सबन्ध रखती हैं । राजस्थान में जो बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है नम्बरदारों की इसके लिये बजट अधिवेशन के समय में राजस्थान की सरकार ने करोड़ों रुपयों के टैक्स लगाये और राजस्थान की सरकार ने जो टैक्स लगाये उसका बड़ा भारी विरोध हुआ और सदन में और सदन के बाहर और स्वयं सत्तारूढ दल के लोगों में एक प्रकार का भेद खड़ा हो गया कि यदि इन टैक्सों को रखा गया तो सरकार की लोक-प्रियता गिर जावेगी इसलिये उस फैसले में तब्दीली की और सारे करों को वापिस लिये और घोषणा की । उस समय लम्बरदारी को हटाने के लिये मांग की गई और उसको सरकार ठुकराती गई । लेकिन आखिर में सरकार को उस नतीजे पर आना पड़ा । अंततोगत्वा, सरकार ने जनता की मांग को स्वीकार किया । देर से आये, मगर आये । जनता ने मांग की कि हमें राजस्थान में गांव गांव में रकम वसूली का जो तरीका है पटेलों के द्वारा, उसको बदलना है । इस लम्बरदारी को खत्म किया जावे । राजस्थान की सरकार ने बजट अधिवेशन में घोषणा की और इस प्रकार का संशोधन राजस्थान सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में लाई है । जहां तक इस पटेलाई, लम्बरदारी को खत्म करने का प्रश्न है, हमने सरकार से बहुत पहले मांग की थी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जब हमने राजस्थान में सत्ता-विकेन्द्रीकरण को माना है तो राजस्थान में रकम वसूली का अधिकार पंचायतों को देने का प्रस्ताव किया गया है । यह समझ में नहीं आता कि लम्बरदारी प्रथा को क्यों रखा जावे ? मैं समझता हूं कि बदलते हुए जमाने में लम्बरदारी प्रथा का रहना उचित नहीं । मैं इस बात को मान सकता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्य सदन का हर एक माननीय सदस्य, जो अपने अपने इलाके से आता है वह इस बात की शिकायत करता है कि पंचायतें और ग्राम पंचायतें आपसी दलबन्दी का केन्द्र बन गई हैं । उनके प्रशासन में कमियें हों यह हो सकता है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सब होते हुए भी आधारभूत बात हमने इनको इकाई माना है, विकास और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई माना है तो मैं यह चाहता हूं कि जब हम इस अधिकार को लेकर चलते हैं तो राजस्थान में २३२ पंचायत समितियें हैं और इनके अन्दर चार हजार या पांच हजार पंचायतें हैं उनमें राजस्थान के विकास की योजनाएं, शिक्षा की नीतियें और प्राइमरी एज्युकेशन और राजस्थान का सारा का सारा डेवलपमेंट का वर्क है, इसकी मूल इकाई है तो वह ग्राम पंचायतें हैं । इसलिये बार बार इसकी मांग की गई कि लैन्ड रेवेन्यू की वसूली यानि जमीन के लगान की वसूली का अधिकार पंचायतों को देना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने विकेन्द्रीकरण राजस्थान में किया । पंचायतें बनाईं, जिला परिषदें बनाईं लेकिन इस सदन में बार बार मांग की गई कि हमारी ग्राम पंचायतों को जो सरकार द्वारा लगान वसूली का अधिकार दिया जाना चाहिये नहीं दिया और लम्बरदारी को समाप्त की जानी चाहिये । यह लम्बरदार एक बड़ी भारी एजेन्सी है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिसको हमें २५ लाख रुपया सालाना चुकारे के रूप में देना पड़ता है। यदि १५ लाख रुपया भी ग्राम पंचायतों को दिया जाय तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और इसलिये राजस्थान की सरकार देर से सही दुरूस्त आ गई और लम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने की बात मान गई। आखिर सदन में जो बातें कही गई उसका कुछ प्रभाव तो हुआ। जनमत का प्रभाव सरकार पर हुआ और सरकार को जनमत के सामने झुकना पड़ा। देर से भी स्वीकार किया मगर इसको सरकार ने स्वीकार किया कि हम यह अधिकार पंचायतों को देंगे।

इसके लिये अभी हमने व्यवस्था की है, उसके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पटवारी लगान की वसूली करे। पटवारी हमारे राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी है। वह वसूली करेगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने अखबारों में कई बार इस बात की घोषणा कर दी है और कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि हम पंचायतों को अधिकार देंगे तो फिर कौनसी ऐसी बात सरकार के सामने आती है जिसके आधार पर हमारी राजस्थान सरकार यह अधिकार पंचायतों को नहीं देना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में इस बारे में कई बार विचार प्रकट किये गये और सरकार ने घोषणा की है और इसके संबन्ध में अखबारों में भी आया है कि राजस्थान की पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार सरकार देगी। जो राजस्थान की पंचायतें लगान वसूली में कुशलता दिखाएंगी उनको इनाम भी दिया जावेगा और कुछ पंचायतों को सरकार ने यह अधिकार देना निश्चित किया है। जहां तक पटेलाई को समाप्त करने की बात है उसका मैं स्वागत करता हूं।

लेकिन दो कठिनाइयें और हैं जिनके संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा जो एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद यह देखने में बहुत छोटा सा लगता होगा लेकिन बड़ा संशोधन होगा और मैं इस संशोधन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और यदि इसकी मंशा, जैसा मैं मानता हूं और जो इसकी भावना होनी चाहिये, यदि वही इसकी भावना है तो वह स्वागत के योग्य है। हमने राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६५ में संशोधन करने की व्यवस्था की है। राजस्थान के लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६५ (७) में हमने कुछ व्यवस्था की है और हमें विचार करना चाहिये कि हमारे राजस्थान में इस प्रकार की पहले व्यवस्था थी कि गांवों में कोई चरागाह भूमि हो या कोई ऐसी भूमि हो जो सार्वजनिक प्रयोग के लिये रखी गई हो और उस पर यदि कोई आदमी नाजायज कब्जा कर ले तो ग्राम पंचायतें या म्युनिसिपैलिटीज़ दरख्वास्त दें और लोकल बॉडीज़ दफा ६१ के तहत कार्यवाही करेंगी और उनको बेदखल करेंगी और जिसने नाजायज़ कब्जा उस जमीन पर किया है उसको हटा कर उस जमीन को वापिस चरागाह में परिणित कर देंगी। मैं समझता हूँ कि यह तो राजस्थान की सरकार ने महसूस किया कि राजस्थान में अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां गायों के चरने के लिये भूमि है और जहां पर लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है और उनका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ग्राम पंचायतों में असर होने के कारण तहसीलदार के पास शिकायत नहीं की और तहसीलदार ने दफा ५१ के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की। तहसीलदार को हालांकि यह सब मालूम था, चूंकि ग्राम पंचायतों की शिकायत नहीं थी इसलिये उसने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप तहसीलदारों को इस प्रकार का अधिकार दें कि वे इस प्रकार के मामलों में स्वयं ही कार्यवाही कर सकें। जो नाजायज़ कब्जा किया है उसको बेदखल करने की कार्यवाही कर सके और भूमि को चारागाह में परिणित कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका बड़ा स्वागत करता लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उनकी मंशा साफ है और यदि वे वास्तव में चाहते हैं कि इस प्रकार की जमीनों की रक्षा हो और तहसीलदारों को जो लोग नाजायज़ कब्जा करते हैं उनको हटाने का अधिकार दिया जावे तो मैं उनके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ। राजस्थान में एक नहीं इस प्रकार की अनेकों मिसालें हैं, फार्म हैं जिन पर लोग नाजायज़ कब्जा किये हुए बैठे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ज्यादातर और अधिकांश लोग उनमें से सत्तारूढ़ दल के हैं। मैं केवल एक इन्स्टान्स देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे कागजातों से मैं साबित कर दूंगा जो मैं कहता हूँ। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, सरकारी कागजों से यह साफ साबित हो जावेगा। इसके लिये पटवारियों का रेकॉर्ड है जिसके अन्दर इन्दराजात हैं, अदालतों का फैसला है, इन सारे आधारों पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वयं इस बात को मान लेंगे कि वाकई में लोगों ने इस प्रकार की जमीन पर नाजायज़ कब्जा किया है तो मैं माननीय मंत्री से चाहूँगा कि वे चारागाह के सारे मामलों को देखें और सबसे पहले तहसीलदार को कहें कि वह धारा ५१ के अनुसार उनको बेदखल करने की कार्यवाही करे। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और एक केस उनके सामने रखता हूँ। वे तहसीलदार से कहें और अगर तहसीलदार कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हो तो वे एस. डी. ओ. से कहें और अगर एस. डी. ओ. आपके कहने से कार्यवाही नहीं करता है तो आप कलेक्टर से कहिये और अगर कलेक्टर नहीं करता है तो रेवेन्यू बोर्ड है, उसको अधिकार है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और सरकार से चाहता हूं कि बेदखली की कार्यवाही करे, चरागाह की भूमि को अनधिकृत अनुचित कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करे और इस तरह साबित करे कि राजस्थान सरकार इस कानून के प्रति ईमानदार है, वरना इसका साफ मतलब यह होगा कि सरकार किन्हीं किन्हीं स्थानों पर ऐसा करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में थोड़े से तथ्य रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक जमीन है, यहां से सांगानेर ८ मील की दूरी पर है, सांगानेर से थोड़ी दूर पर एक गांव है, उस गांव में; देखिये माननीय उपाध्यक्ष, कितना जागरूक मामला है ? मैंने सांगानेर का नाम लिया है, गांव का नाम नहीं लिया, आदमी का नाम नहीं लिया जमीन का नाम नहीं लिया और हमारे उप-राजस्व मंत्री कहने लग गये कि एस. के. डे.

Page No 47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साहब का किस्सा है। मैंने पहले इस सदन में यह किस्सा उठाया, पर सरकार चुप रही, दूसरा कोई मामला उठाया जाय वहां तो झट कह दिया जाय कि नाजायज़ कब्जा किया है तो छुड़ा दिया जायगा पर एस. के. डे साहब का मामला है, जो केन्द्र के मंत्री हैं, सामुदायिक विकास के मंत्री हैं, उनके मामले में सवाल उठाया जाय तो सरकार मौन हो जाय !

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उप राजस्व मंत्री महोदय सुनें इस सम्बन्ध में, गांव के बारे में। घटना है श्योपुर ठिकाने की। चूंकि दोनों उप-मंत्री बैठे हैं, दोनों के दोनों कानून के जानकार हैं, अज्ञानी बनें तो उनकी मर्जी। दोनों वकील रह चुके हैं। प्रेक्टिस चली नहीं और उप-मंत्री बन गये, यह अलग बात है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): खूब चली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्योपुर ठिकाने में कुछ जमीन थी, चरागाह की जमीन, गौचर की जमीन थी, गौचर में दर्ज थी। सम्वत् २०१२ में उपाध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट हुआ, बन्दोबस्त हुआ उस समय यह जमीन सेटलमेंट के कागजात में गौचर दर्ज हो गई। सम्वत् २०१२ तक यह जमीन सिवाय चक में, २०१२ में गौचर में दर्ज हुई, सम्वत् २०१३ में गौचर दर्ज रही, सम्वत् २०१४ के कार्तिक में गौचर दर्ज रही पर सम्वत् २०१४ की रबी में एक साजिश की गई और वह साजिश यह की गई कि इस जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा दिखा दिया जाय। कुछ लोगों ने कोशिश की, ९ व्यक्ति थे उन्होंने तहसील में जाकर कोशिश की और वहां कहा कि १९५२ में श्योपुर ठिकाने ने इस जमीन का हमारे नाम पट्टा कर दिया है, इसलिये यह जमीन हमारे कब्जे में है, गौचर का इन्दराज गलत है, इन्दराज हमारे नाम होना चाहिये। इस तरह तहसील में कोशिश की, तहसीलदार ने पटवारी को बुलाया, पटवारी को बुला कर कहा कि २०१४ के रबी के समय में जो श्योपुर ठिकाने की जमीन है, उस जमीन पर ९ लोगों का काश्त का कब्जा दिखा दो। पटवारी ने कहा कि गिरदावरी का टाइम निकल गया, अब यह दर्ज नहीं हो सकता, मौके का इन्दराज नहीं, मौके पर चलो, मौके का वाकआ कुछ अलग है, पटवारी ने इनके नाम इन्दराज करने से इन्कार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को उन बातों में नहीं ले जाना चाहता कि उस समय राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री, विकास के सचिव ने किस तरह दिलचस्पी दिखा कर कार्यवाही की ! फिर क्या हुआ, पटवारी को डांटा गया, कमरे में बन्द करके कहा, इन ९ आदमियों के नाम दर्ज नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। ईमानदार आदमी भी इन हालात में ईमानदार नहीं रह सकता, २०१४ की रबी के समय में उसने गौओं की सारी जमीन पर ९ आदमियों के नाम दर्ज कर दिये। उन ९ नामों में से एक नाम था एस. के. डे. का जो सेंटर के मिनिस्टर हैं, सामुदायिक विकास मंत्री हैं। माननीय उप-राजस्व मंत्री शायद कहें पटवारी ने दबाव में आकर नहीं जबरदस्ती कर दिया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे पट-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वारियों के पास घटना बही होती है। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि डायरी ऑफ इन्सिडेन्ट्स होती है, वह सरकार के नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार रखनी पड़ती है। हर गांव का जोरदार वकुआ महत्वपूर्ण घटना कानूनन उस डायरी में लिखनी पड़ती है। उस पटवारी ने उपाध्यक्ष महोदय, ता० १६-३-५८ को जो हल्का नम्बर १८ का पटवारी था उसने संख्या नं० १२८ पर अपनी घटना बही में इन्दराज किया, घटना लिखी, क्या लिखी, वह मैं सदन में नकल पेश कर चुका हूं, जो हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में मौजूद है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : असल तो आप ला ही नहीं सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असल मैंने नहीं कहा, मैंने घटना बही की नकल कहा है, नकल जो थी असली थी, जैसे आप नकल की नकल है। नकल बहुत लोग करते हैं पर नकल करने के लिये भी अक्लि चाहिये और रघुनाथजी, जब अक्लि नहीं होती है तो शकल खराब होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सं० नं० १२८ पर यह इन्दराज किया घटना बही में कि आज मुझे तहसीलदार ने तहसील में बुला कर कहा कि श्योपुर टिकाने की १२५ बीघा जमीन है उस पर ६ आदमियों के जिनमें एस. के. डे. सेंटर के मिनिस्टर भी हैं के नाम दर्ज कर दो, मैंने इन्कार किया कि गिरदावरी का टाइम निकल गया है, मौका भी नहीं है तो उन्होंने मुझे डांटा-फटकारा, तरह तरह की धमकियां दीं तो आज उनके नाम इन्दराज किया, वह वास्तव में गलत है, तहसील में बैठकर उनके डर और धमकी से किया है, उसी रोज शिकायत कर दी एक एक नकल उस शिकायत की एस० डी० ओ० को, कलेक्टर को भेजी, उसी तारीख को भेजी। मैं उसकी तारीफ करूंगा। पर शिकायत का कोई जवाब नहीं आया, जांच नहीं हुई तो उसने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा, रेवेन्यू मिनिस्टर को शिकायत भेजी, चीफ मिनिस्टर को शिकायत भेजी, कोई जवाब नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को भेजी, कोई जवाब नहीं, तो प्रेसिडेन्ट ऑफ इन्डिया को दरख्वास्त भेजी। कोई जवाब नहीं। सबको दरख्वास्तें दे दीं, पर कोई नहीं बोला, क्योंकि मामला एस. के. डे. साहब का का था। मैंने सदन में घटना बही की नकल पेश की पर सरकार चुप रही, जवाब नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि केवल घटना बही में ही दर्ज हो सम्वत् २०१२, २०१३, २०१४ तक यह जमीन चरागाह में दर्ज है। मैं उप-राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि सेटलमेंट के सारे कागजात मंगा कर देखें तो यह जमीन चरागाह में दर्ज है, सिकमी काश्तकार के खाने में डे साहब का नाम दर्ज है। आप चाहें तो सेटलमेंट की कॉपी मेरे पास है, उनकी जमीन का नम्बर खसरा नं० ७०८ है, २७ बीघा और ८ बिस्वा जमीन शिकमी में एस. के. डे. साहब के नाम है।

दूसरी बात और बताता हूँ सदन को कि जब भूमि पर इन्दराज हो गया, १२५ बीघा जमीन जो गौओं के चरने के काम में आती थी उस पर जबरदस्ती अपने नाम इन्दराज करा कर कब्जा करने की कोशिश की तो

Page No 49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्योपुर के ७५ आदमियों ने असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत में इस्तकरारे हक का दावा किया, सूट फोर डिक्लेरेशन ऑफ पर्मानेन्ट इन्जन्क्शन का दावा किया और उपाध्यक्ष महोदय, वह किया गया १०-७-५८ को गंगाराम, लड्डूराम, जगदीश नारायण, रामलाल की ओर से दावा पेश किया गया, आनन्दप्रकाश, चन्द्रप्रकाश. ओमप्रकाश, सूरजकुमार, जसकुमार, श्यामसुन्दर, सत्यनारायण के खिलाफ। इतना ही नहीं यह जो दावा पेश किया गया उसमें लिखा गया कि ८-७-५८ को इन लोगों ने धमकी दी, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर सदन चाहे या उप-राजस्व मन्त्री महोदय चाहें तो उस दावे की नकल मेरे पास मौजूद है। दावे में उन्होंने लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, ८-७-५८ को हम लोगों को धमकी दी गई हमारे मवेशियों को बन्द करके जबरदस्ती से काश्त करना चाहते हैं। अदालत में दावा पेश कर दिया गया। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, एक दर्ख्वास्त लगाई। तारीख १० को दावा पेश किया और १० ही तारीख को दर्ख्वास्त पेश को गई, ६ आदमियों को हुक्म इन्तनाई की गई कि गोचर भूमि पर जबरदस्ती काश्त न करें इसके लिये हलफनामा पेश किया जाय। अदालत ने तारीख ११ को हुक्म इन्तनाई जारी किया और ६ लोगों को पाबन्द किया गया कि वे गोचर भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। नोटिस जारी हुआ, समन जारी हुए, हुक्म इन्तनाई जारी हुई। उस नोटिस को श्रीमान् एस. के. डे. साहब जो न सांगानेर में रहते हैं न शिवपुरा में रहते हैं न जयपुर में रहते हैं राजस्थान में रहते ही नहीं हैं रहने वाले है बंगाल की खाड़ी के और बस रहे हैं दिल्ली में; इसलिये उनको नोटिस तामील नहीं हो सका। इस कारण कि एस. के. डे. साहब का पता नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं। इसलिये उनके लिये नोटिस अखबारों में शाया कराया गया। अखबार में नोटिस निकला। उपाध्यक्ष महोदय, उस अखबार की कॉपी है जिस अखबार में शाया हुआ उसमें लिखा गया :—

"सूर्य कुमार जी डे वल्दियत ना मालूम लेकिन दिल्ली, मंत्री, सामुदायिक विकास, न्यू दिल्ली"

इस तरह से श्री एस० के० डे—साहब को हुक्म इन्तनाई से पाबन्द कर दिया गया। वे पाबन्द हो गये। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमा चलता है। हुक्म इन्तनाई जारी हो गई अदालत की पाबन्दी जारी हो गई। सरकार ने दबाव देकर जहां पर लोगों ने टीप खरीदी थी, लोगों को दबाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उस सारी रामायण में न जाकर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मोटरों में उन लोगों को बिठाकर दिल्ली ले गये। कौन ले गये, यह मैं नहीं बताऊंगा लेकिन उनको दिल्ली ले गये। वहां पर डे. साहब मिले नहीं, उनको शिमला ले जाया गया। वहां पर डे. साहब ने उनसे कहा कि यह तो आपकी और मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तुम भी कॉंग्रेसी हो और मैं भी कॉंग्रेसी हूं। मैं तो आपके यहां बस कर राजस्थान का किसान बनना चाहता हूं इसलिये यह किसी तरह से झगड़ा निबटा दो। उनके साथ साजिश की गई और उनसे अदालत में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक दर्ख्वास्त पेश कराई गई, उसमें लिखा गया कि इसमें से डे साहब का नाम काट दिया जाय। ग्राम के रहने वाले किसानों को नहीं पूछा। उनका नाम हुक्म इन्तनाई से हज़फ फरमा दिया जाय । उनका नाम तो हज़फ हो गया।

आगे क्या होता है वह सारी जमीन गोचर डिक्लेअर होती है और आज तक गोचर है और चरागाह है । कोई आदमी पाबन्द नहीं हुआ। कहा गया तहसीदार का हुक्म, गिरदावरी का हुक्म। अदालत ने हुक्म दे दिया जहां तक इन डे. साहब का मामला है फैसला नहीं हुआ उसमें साजिश करके इनको हज़फ करवा दिया गया। न कोई टाइम बार हुआ है। आज तक वह गोचर भूमि में काबिज हैं। जब उन्होंने देखा कि राजस्थान विधान सभा में यह मामला उठ गया है और जोर पकड़ेगा, पार्लियामेन्ट में जायगा तो उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा सरकारी खर्चे से एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के ट्रेक्टर से सारा फार्म बनाया गया, जमीन काश्त करवाई गई, जमीन में बीज दिया गया।

फिर क्या होता है उपाध्यक्ष महोदय, उस सारी जमीन को लेकर डे साहब ने सोचा कि इसको बेच दिया जाय। राजस्थान का किसान बनने वाले कहां गये? वह फार्म ३५ हजार में बेच दिया गया । अब क्यों नहीं काश्त करते । पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ते हैं नागौर से और फार्म को बेचते हैं ३५ हजार में! गोचर भूमि, जहां गायें चरती हैं उनके मुंह से घास निकालें और उस जमीन को ३५ हजार में बेचा जाय । चाहे वे राजस्थान में बसें चाहे दिल्ली में बसें लेकिन नाजायज़ कब्जा उनका है जिनका आप समर्थन करना चाहते हैं। आप यदि उनका समर्थन नहीं करते हैं तो अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, आप रुकवा सकते हैं। उसको बेचा क्यों जा रहा है जब कि वह गवर्नमेन्ट के रेकॉर्ड में गोचर भूमि है। आप धारा ६५ में संशोधन करने जा रहे हैं केवल एस० के० डे. साहब चूंकि सेन्टर में मिनिस्टर हैं उनको बेदखल नहीं किया जावे। यह मैं समझता हूं कानून की अवहेलना है। उनको बेदखल करने में किसी कानून की जरूरत नहीं । अगर उप मंत्री राजस्व सदन में खड़े होकर आश्वासन दें कि डे साहब की जमीन के बारे में जांच की जायगी, अदालत में कार्यवाही की जायगी तो मैं इस आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापिस ले सकता हूं। उनकी हिम्मत नहीं, साहस नहीं, वे कैसे करेंगे? आप सुखाड़ियाजी को पूछ लीजिये, उनसे सलाह मशविरा कर लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक आप इस तरह का उदाहरण नहीं रखेंगे तो यह सारा काम नहीं होने वाला है। गोचर भूमि पर तहसीलदार की हिम्मत नहीं, छोटे-मोटे गरीब किसान नेय दि किसी ऐसीभूमि पर कब्जा किया हुआ होता तो हमारे तहसीलदार साहब कार्यवाही कर सकते थे। लेकिन जोर जबरदस्त आदमी हैं, मंत्री हैं, या मंत्रियों के कृपा पात्र हैं, या नेता हैं, या नेताओं की जाति के लोग हैं, तो उसके खिलाफ तहसीलदार कार्यवाही नहीं कर सकता । कानून आपके साथ में है, आप अगर चाहें तो यह मसला लॉ डिपार्टमेन्ट की राय के लिये भिजवा दें टीनेन्सी एक्ट की धारा १६-१५ के अन्तर्गत क्या जमीन ट्रान्सफर हो सकती है? १६५६ में शिकमी काश्तकार को अधिकार दे दिया गया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

धारा १६ के अन्दर सरकार उस जमीन को किसी भी खातेदार के अधिकार में नही दिलवा सकती। उसको खातेदारी के अधिकार नहीं मिलते। यह अधिकार रखना चाहते हैं तो उसको दावा करना पड़ेगा। एस० के० डे साहब का दावा हकदारी दावा नही क्योंकि तीन साल की मयाद निकल गई इसलिये खातेदार नहीं। और गैर खातेदार जमीन को बेच नहीं सकता। उप-राजस्व मंत्री महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लाया हूं उनको वे धारायें समझा दूं। राजस्व के जो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी हैं जो राजस्व के कानूनों की जानकारी रखते है उनसे आप ईमानदारी से पूछें कि गैर खातेदार काश्तकार जमीन को ट्रान्सफर नहीं कर सकता। इसलिये एस० के० डे साहब फार्म को नहीं बेच सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप-राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें, अपने लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लें। वे चाहें तो मैं उनको सारे कागजात जो मेरे पास हैं दे सकता हूं। इसके साथ साथ अदालत का फैसला भी है वह भी ले सकते हैं। सारा सेटलमेन्ट का रेकॉर्ड जो उनको मुहैया नहीं हो सकता तो सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। उप-राजस्व मंत्री इस बारे में किसी प्रकार का इनीशियेटिव लेंगे तो उनको तारीफ ही होगी आपके कानून की जानकारी की हमने तारीफ भी की है। मुगालते में मत रहिये,नाम कमाने का यह मौका है, करिये, आपक नाम होगा। करके दिखावेंगे तो उनका नाम होगा। लोगों को गलत तरीकों से बचाने में, शील्ड करने में नाम नहीं होगा। इसमें नाम नहीं होगा कि आप यह कोशिश करें कि इसका रिकॉर्ड बदला जावे तो कैसे बदला जावे, इसको बचाया जावे तो कैसे बचाया जावे। आप यह न सोचें कि आज इन पर बीती है, तो कल हम पर बीत सकती है। पर आपके ऊपर क्यों ऐसी बीतेगी ? आप वैसे काम ही नहीं करेंगे तब आप पर कैसे बीत सकती है ? आप पर नहीं बीतेगी। जो जैसा करेगा वह भरेगा। तो जिसने जैसा किया है उसको भुगतने दो। भगवान् के न्याय के बीच में आप मत आओ। सरकार को अधिकार है कि उनका नाजायज़ कब्जा हटा दे। आप हटा सकते हैं, केवल जरूरत है हिम्मत की।

आज आप में हिम्मत नहीं है, इसीलिये राजस्थान में आज सीलिंग का कानून है, टीनेन्सी का कानून हैं, भूमिहीन किसानों की बात आती है, इन पर बातें आती हैं तो इन कानूनों की अवहेलना करने वालों को सरकार जानती-बूझती हुई भी, मामले सही होते हुए भी गैरकानूनी दखल को, अनधिकृत कब्जों को, रोक नहीं पाती है। राज की जमीन है, जो चाहे कब्जा कर ले। सरकार इसे रेगुलराइज् कर देती है यह वे लोग जानते हैं। इस वास्ते जहां चाहा अनधिकृत कब्जा कर लिया। वे ऐसा कर रहे हैं, आपकी अकर्मण्यता से उनकी हिम्मत और हौसले चढ़ रहे हैं। आपके कानूनों की उनको परवाह नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कानून का राज्य स्थापित करे और जो कानून की खिलाफवर्जी करता है, वह फिर चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो आप, उसके खिलाफ कार्यवाही करिये। छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ कानून का व्यवहार करिये,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समान व्यवहार करिये, पक्षपात छोड़िये। यह निश्चित बात है, अगर आप ऐसी हिम्मत दिखावेंगे तो आपकी तारीफ होगी।

आप यह सोच सकते हैं, कि वे आज केन्द्रीय मन्त्री हैं, कल के दिन दूसरी लिस्ट निकलने वाली है, शायद है उसमें उनका नाम आ जावे और वे नीचे उतर आवें तो कार्यवाही करें और तब तक आप ठहर जाइये। आप कहेंगे इसके लिये तो मैं ठहर जाऊंगा। अगर एस. के. डे का भी दूसरी तीसरी लिस्ट में नाम आने वाला हो और आप यह कहें तो मैं इन्तजार कर सकता हूँ। महीने दो महीने कर सकता हूँ। पर कार्यवाही करने का फैसला आप करिये अपने मन में और अगर तथ्यों के बारे में आप कन्विंस नहीं हुए हों तो मैं कन्विंस कर दूंगा आपको इस बारे में, इससे आप निश्चिन्त रहिये। आप तो मन में निश्चय कर लीजिये कि आपको नाम कमाना है, हिम्मत दिखानी है, कानून को तोड़ने वाला कोई कितना ही बड़ा हो आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): बहुत बोल गये आप, दूसरों को मौका दीजिये। आपका गला बैठ गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये?

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्टीन्यू रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था; मेरे पास इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़े ही है जो सारा कोटा जीम जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : बडे संक्षेप में आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उप-मंत्री जी कह रहे हैं आपका गला बैठ रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि इन्डस्ट्री विभाग का कोटा मेरे पास नहीं है, कोटे का काम नहीं है, जीम नहीं रहा हूँ उसे, पांच साल से कोटा मिल रहा है, पर एक साईकिल नहीं बनती।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बात तो ठीक कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने सारा मसला आज सदन में प्रस्तुत किया और मैं आज उप-राजस्व मन्त्री जी से चाहूँगा कि वे इस मसले पर निर्भयता से अपने विचार प्रकट करें। डरें नहीं। सुखाड़ियाजी भी सदन में नहीं हैं। हों भी तो उदयपुर की राजनीति में वे आपके बिना आज नहीं चल सकते हैं। एक के खिलाफ कुछ गम्भीर आरोप हैं, वे उनसे प्रसन्न नहीं हैं, दूसरे के खिलाफ भी आरोप हैं उनसे भी वे नाराज हैं। अब तो आप ही एक उनके लाडले बचे हैं। तो वे आपसे नाराज नहीं हो सकते। फिर आपके बिना उनका काम आज तो नहीं चल सकता उन्होंने सब रेवेन्यू का काम आपको सौंप रखा है। उप शिक्षा मन्त्रीजी पर सारी शिक्षा का काम नहीं सौंप रक्खा। उन पर उनको भरोसा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है। आप पर है, आप पर सारा काम छोड़ रखा है। तो आप निर्भयता से और हिम्मत से काम लें। नाम होगा आपका। मालवीयजी निकले तो लोग नेहरूजी के लिये कहने लगे वे रास्ते पर आ रहे हैं। पर जब उन्होंने बड़े बड़े भैंसों का झटका करना शुरू किया तो उनका नाम हो गया। तो आप भी उस तरह का कुछ झटका करके दिखाओ, आपका भी नाम हो जायगा। बताओ एक बार तो कुछ चमत्कार। बड़े आदमी का झटका करोगे तो नाम होगा। बकरों को सब काटते हैं, भैंसे को काटकर बताओ तो आपका नाम होगा। आप यदि इसके लिये तैयार हों और आपके सरकारी दफ्तरों में उनके खिलाफ कोई रेकॉर्ड नहीं हो, सुबूत नहीं हो तो सारी जानकारी, सारे कागजात मैं आपको दे सकता हूँ। सारे रेकॉर्ड दे सकता हूँ। गवर्नमेंट के रेकॉर्ड की सर्टीफाइड कॉपी है। कोर्ट में दावा चला हुआ है तो इसलिये आप इसकी चिन्ता मत करिये। इसके लिये मेरा सारा सहयोग उनको होगा। तो अगर इस तरह का आश्वासन आप कोई देते हैं कि आप हिम्मत दिखावेंगे और भैंसे का झटका करेंगे तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले सकता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री चन्दनमल वैद : यह आपका आश्वासन; आश्वासन समिति के पास जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जब उसके चेयरमैन बनोगे तब जावेगा आश्वासन समिति के पास।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस पर काफी संशोधन हैं और इसके आगे के विधेयक भी पारित करने हैं इसलिए बहुत ही सीमित समय में अपने भाषण रक्खें और केवल तथ्यों की बात कह कर और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा १० मिनट लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक के बारे में प्रस्ताव करता हूं कि यह जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

इसके कारण मैं देखता हूं। लगान वसूली की जो व्यवस्था अनन्त काल से चली आ रही है उसमें इसके द्वारा परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां तक भू-राजस्व की वसूली का प्रश्न है सरकार इसे वसूल करती आई है और आज भी सरकार ही वसूल करना चाहती है। पर इसकी वसूली के सम्बन्ध में तरीकों में जो परिवर्तन लाया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

जब आज आपने विकेन्द्रीकरण सत्ता का किया है और पंचायती राज्य कायम किया है तो अच्छा तो यह होता कि इसकी वसूली का काम पंचायतों के हाथ में सौंप देते। अब इसमें मेरी शंका एक रह जाती है कि भू-राजस्व को वसूल करने का अधिकार जब राज्य सरकार को है तो पंचायतों से राज्य सरकार केवल वसूली का काम नौकर की तरह लेना चाहती है या जो वसूली करना चाहती है वह वसूल करने का अधिकार भी पंचायतों को देना चाहती है?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इससे दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि भू-राजस्व सरकार स्वयं अपने पास रखना चाहती है और वसूली का अधिकार पंचायत को देना चाहती है तो यह क्या सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ? लेकिन आज प्रश्न यह रहता है कि भू-राजस्व को तो केवल राज्य सरकार अपने पास रखेगी पर वसूली के सिलसिले में जो आज तक पटेल और नम्बरदार वसूल करते आ रहे हैं उनको सरकार हटाना चाहती है इस कानून के द्वारा। इस वसूली की परिपाटी का उन्मूलन इस कानून के द्वारा सरकार करना चाहती है।

इसके प्रीएम्बल में भी यही लिखा है। इससे सरकार भू-राजस्व की वसूली जो नम्बरदारों और पटेलों के द्वारा या विभिन्न नामों से विभिन्न प्रान्तों में या क्षेत्रों में वसूल करती रही है उसको एबोलिश करना चाहती है। उनको आवश्यक नहीं समझती। पर इसका कारण क्या है? यह सरकार ने नहीं बताया। कारण बताने चाहिये थे। हम तो यह समझते हैं कि जिस प्रकार राज्य सरकार आज प्रशासन में परीक्षण करती आ रही है उसी प्रकार इस नये तरीके की ईजाद भी मन्त्री महोदय ने की है। हो सकता है इस एक्सपेरीमेन्ट में कठिनाइयां आवें। यह तो इस राज्य सरकार में सम्भव है। होता क्या है कि सुबह एक कानून बनाया जाता है, दोपहर को जब कठिनाइयां महसूस हुई तो बदल दिया जाता है और उसके बाद और कठिनाइयां आई तो शाम तक संशोधन पेश कर दिये जाते हैं और शाम तक वह बदल सकता है। इस परिपाटी को देखते हुए इस संशोधन में भी कठिनाई आने के बाद इसमें भी संशोधन कर देना और शाम तक अगर और बदलने की जरूरत पड़े तो वह भी बदल देना, यह इस सरकार की आदत हो गई है। यह कोई नई बात नहीं है इस सरकार के लिये।

तो मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस वर्तमान प्रथा के मूल में ऐसे कौनसे कारण आ गये जिनकी वजह से वे इसे बदलना चाहते हैं?

मैं बताऊं कि इन नम्बरदार और पटेल की उत्पत्ति कैसे हुई? जब से यहां अंग्रेजी राज्य आया उसने यह आवश्यक समझा कि भू-राजस्व कैसे वसूल किया जावे, सभी देशों की सरकार यह आवश्यकता महसूस करती रही है तो चूंकि यह राज्य सरकार द्वारा सभी जगह वसूल किये जाने की परिपाटी है इसलिये प्रणालियां इसके लिये कायम की जाती हैं। अब ये प्रणालियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। जिस समय जिस राज्य ने जो प्रणाली अपनाई वह परिपाटी में आ गई। हमारे यहां नम्बरदारी और पटेल के द्वारा वसूली करने की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ थी। आज तक जहां तक रेवेन्यू के वसूली का सवाल है इस परिपाटी में गबन का सवाल पैदा नहीं हुआ। बेईमानी का सवाल पैदा नहीं हुआ कि जिनको देखते हुए यह कहा जा सके कि राज्य सरकार को इसकी वसूली में नुकसान पड़ता हो।

मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक भू-राजस्व की वसूली के पश्चात् इन नम्बरदारों को, इन पटेलों को, क्योंकि मुआवजा देने का सवाल पैदा होता है तो आप आंकड़ों को लगा लीजिए, आप अपना कैल्कुलेशन कर लीजिए तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि भू-राजस्व

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

किस प्रतिशत से वसूल किया जाता है और इनको उस वसूली के ऊपर क्या परसेन्टेज़ दिया जाता है, वह किस आधार पर होता है, उसमें कितना खर्च करना पड़ता है। आप छोटा सा नया विभाग खोलते हैं और लाखों और करोड़ों का बजट आप उसका बना देते हैं और उसके बाद में वह स्कीम सक्सेसफुली चलती है या नहीं, इस दृष्टिकोण से आपने कभी विचार नहीं किया। लेकिन एक तरीका जो आपका भू-राजस्व की वसूली का चला आ रहा है और मैं जहां तक समझता हूँ सरकार को उसके लिए कम से कम खर्चा करना पड़ता था उस व्यवस्था को आप हटा-कर दूसरी व्यवस्था को कायम करने जा रहे हैं और दूसरी व्यवस्था को कायम करके जिन पटवारियों को आप अधिकार देना चाहते हैं इसके लिए उनका कुछ अलाउन्स भी मुकर्रर किया है। आप सारे अलाउन्स को एडजस्ट कीजिए, सारा हिसाब लगाइये और सारा हिसाब लगाने के बाद आप यह भी कैल्कुलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो आप नम्बर-दार और पटेल को भू-राजस्व की वसूली के लिए देते हैं क्या उसी परसेन्टेज के अनुसार राज्य सरकार को इस व्यवस्था के लिए खर्च करना पड़ेगा ? मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक एक्सचैकर के ऊपर, पब्लिक की मनी के ऊपर आपकी स्कीमों के द्वारा अनाघात का और अर्थहीन भार है वह डालना चाहते हैं। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है ? मेरे अभी तक इसका कोई कारण समझ में नहीं आया।

मैं दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बड़े गांव होते हैं या छोटे गांव होते हैं उनके अन्दर पट्टी का निर्माण होता है और उसके आधार पर यह पटेलाई का पद कोई साधारण पद नहीं है बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि जहां तक मुझे अनुभव है और जहां तक पुराने कागज़ और पुराने मुकदमे देखने का इत्तफाक होता है मैं जयपुर के बारे में ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अर्से से यह व्यवस्था इस प्रकार से चली आ रही थी कि यह पटेलाई का पद एक तरह से हेरीडीटरी पद चला आ रहा है। यदि एक पटेल मर जाता है तो उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी होगा और अगर बेटा किसी के नहीं होता था तो उसी के खानदान में से दूसरा आदमी होगा और वह इस पटेलाई के अधिकार को प्राप्त करेगा। यही नहीं, जहां तक पटेलाई का सवाल है मैं यह कहूँगा कि पुराने जमाने में जयपुर स्टेट में यह अधिकार ठीक उसी प्रकार की प्रोपर्टी समझी जाती थी जिस प्रकारसे कि दूसरे की प्रोपर्टी होती है। इसके लिए एक दूसरे के ऊपर राइट्स के लिए बाकायदा दावे इत्यादि चलते थे। जिस प्रकार एक आदमी अपने मकान को बेच सकता है, जमीन को बेच सकता है, जयपुर राज्य में इस प्रकार की भी व्यवस्था थी कि पटेलाई के अधिकार को एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रान्सफर कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि पटेलाई के ट्रान्सफरेबल राइट्स होते थे।

एक प्रश्न आता है कि इस कानून को बनाकर आप एक सीधे से तरीके से with a stroke of pen आप सारे सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

निवेदन करना चाहूँगा कि इस मौजूदा कानून में भी, मैं खुद मानकर चलता हूँ, इस मौजूदा व्यवस्था के अन्दर एक नम्बरदार को विलेज सरवेन्ट को गवर्नमेंट का ऑफिसर समझा जायेगा, एक पब्लिक सरवेन्ट माना जायेगा और ताजीरात हिन्द की दफा के तहत अगर उसकी कार्य प्रणाली में कोई बाधा पहुंचाने के चेष्टा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्य वाही की जायेगी। इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में भी रखा है। आपने इसको पब्लिक सरवेन्ट माना है और जो वह नौकरी करने जा रहा है उसका मुआवजा उसको देने वाले हैं ! इस मौजूदा कानून के अन्दर जहां इसमें डिवोल्यूशन का सवाल आता है तो हेरीडीटरी राइट्स का भी कन्सीडरेशन माना है। पुराने कानून के अन्दर तो पटेल के अधिकार को उसके खानदान में से होने वाले व्यक्ति ही उसका उत्तराधिकारी हो सकता था लेकिन जो मौजूदा परिवर्तन आया उसके अन्दर भी कानून के अन्दर यह प्रधानता दी गयी कि यह जो पुराने पटेल हैं उनके यदि कोई लड़का हो या उसके खानदान में से हो तो हेरीडिटरी माना जायेगा विथ प्रिफरेन्स एट दी टाइम ऑफ अपोइन्टमेंट ऑफ पटेलाई सब्सटीट्यूट माना जायेगा और यह व्यवस्था मौजूदा कानून के अन्दर भी है। मौजूदा संशोधन है उसके द्वारा जो सम्पत्ति, जो अधिकार उसके पुराने जमाने से,हेरीडीटरी पद और पैतृक सम्पत्ति के रूप में होता चला आ रहा है, क्या मुआवजा उसको दे रहे हैं इस पटेलाई को बर्खास्त करने के बाद ? मैं तो यहां तक देखता हूं कि किसी डिपार्टमेंट से मुलाजिम को निकालते हैं तो मुलाजिम को सरप्लस डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद कहीं उसे सब्सटीट्यूट करने की कोशिश की जाती है, दूसरी जगह नौकरी देने का सवाल पैदा होता है। उनके लिए राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि उनको बिल्कुल बेरोजगार न कर दिया जाये। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, जो मौजूदा संशोधन ला रहे हैं इसके द्वारा मेरी समझ में नहीं आता कि जो निष्पक्ष राज्य सरकार कहलाती है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाली सरकार है और सरकार के कानून बनाने वाले इसको किस प्रकार से भूल गए कि जिस व्यवस्था को हम साधारण रूप से बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिए उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हुए छोटी से छोटी लाइन लिख कर किस प्रकार से इस अधिकार को खत्म किया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का संशोधन किसी भी व्यक्ति को मान्य नहीं हो सकता और इसी लिए मजबूरन सदन के सामने मुझे यह प्रस्ताव रखना पड़ता है कि यह एक ऐसा संशोधन है और यह कानून में इस प्रकार का परिवर्तन है जो एक पटेल को नहीं बल्कि जो बड़े गांव हैं....

श्री जोधसिंह (गिरवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The Quorun is complete.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यवस्था चली आ रही है और जिसके बारे में किसी भी आदमी को शिकायत नहीं है उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाये इस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तरह के कानून को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि जनमत प्रसारण के लिए इस विधेयक को भेजा जाये।

जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि यह किसी एक गांव के पटेल का अधिकार नहीं बल्कि बहुत से ऐसे बड़े गांव हैं जहां पांच-पांच और छः-छः पटेल हैं और उनका खानदानी पेशा इस प्रकार का रहा है। उनको रियलाइज़ेशन का अनुभव है और उसके द्वारा वह बड़ी आसानी से राज्य सरकार को वसूल करके देते हैं। इस प्रकार के हजारों वाकये आ चुके हैं।

हमारे यहां सदन में हम कई बार पचासियों बार देखते हैं कि पटवारियों के संबंध में शिकायतें आती हैं। गिरदावरी में गड़बड़ियां होती हैं और एक व्यक्ति का इन्दराज दूसरे के नाम कर देने की शिकायतें आती हैं। अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पटवारी ने ऐसी गड़बड़ कर दी। आप एक तरफ तो उसी पटवारी के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाते हैं कि उनको इसकी आदत पड़ गयी गड़बड़ियां करने की, उसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा भार और एन्ट्रस्ट करने जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, उन गरीब जनता के बारे में आपको निवेदन करूंगा कि गांवों के ये मामूली कृषक एक पटेल जो खानदान से गांव में रहता चला आ रहा है, गांव के रहने वाले और पटेल के बीच में इस प्रकार के संबंध हो जाते हैं कि एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं और जहां तक लगान की वसूली का सवाल है कभी भी पटेल यह कोशिश नहीं करेगा कि अपने बराबर के भाई से, किसान से, यदि उसका लगान दो रुपये का बनता है तो २।) रुपये उससे वसूल कर ले। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस प्रणाली से पटवारी के द्वारा आप लगान वसूल करायेंगे। ये किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको यहां तक मालूम नहीं है कि उनको भू-राजस्व कितना देना पड़ता है। यदि किसी बिघोड़ी का १५) रुपया बंधा हुआ है, पड़ती के बंधे हुए हैं तो निश्चित तौर पर पटवारी १६), १७) रुपये वसूल करेगा। मैं यह जानता हूं कि बेईमानी को प्रीमियम देने के बारे में, राज्य सरकार स्वयं करती है, स्वयं जनता के लोग अपनी तरफ से नहीं करते बल्कि कोई न कोई स्कीम चोटी के लोगों से पता नहीं कैसे चला दी जाती है जिससे कानून की बचत करने के लिहाज से लोग रास्ता निकालते हैं और बेईमानी करने के तरीके ढूंढते चले जाते हैं। यह व्यवस्था आज लगान की वसूली की इस संशोधन के द्वारा की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के द्वारा शांति नहीं रह सकती, लोगों में समृद्धि नहीं फैल सकती, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि लोगों के अन्दर असन्तोष फैलेगा गड़बड़ियां फैलेंगी....

जहां एक तरफ एक तबके को बगैर मुआवजा दिये अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ लेते हैं उनसे बजाय किसी प्रकार की सान्त्वना दिये, उनको दूसरी जगह सब्स्टीट्यूट किये हुए, एक तरफ आप अधिकार छीनते हैं, दूसरी तरफ जो गरीब जनता आसानी से

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लगान देती है उसको तकलीफ होती है। इसके अलावा राज्य सरकार को यह भी सोच लेना चाहिए कि स्वयं राज्य सरकार को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। यह नुकसान होने वाला है कि पटवारी उस गांव का रहने वाला नहीं होता है। पटवारी के ट्रान्सफर्स ऑफिसर की मर्जी से होते हैं। एक गांव में एक पटवारी को ६ महीने के लिए रखते हैं। उसी पटवारी को १२ महीने के लिए रख देते हैं और किसी गांव में पटवारी तीन महीने के लिए रख देते हैं। पटवारी बदलता रहता है। पटवारी एक साल तक जिस हलके में पटवारी रहता है तो सारे काश्तकारान की जानकारी करने की कोशिश करेगा। वह उनकी स्थिति जानने की कोशिश करेगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार है कि जो भू-राजस्व एकदम से दे सकते हैं। इस परिस्थिति के बारे में जब तक जानकारी पैदा करेगा उस वक्त तक उसका ट्रान्सफर कर देंगे। उस हलके से दूसरे हलके में कर देंगे और वहां पर नया होने के कारण उसको मालूम नहीं होगा कि कौन सा काश्तकार ऐसा है कि जो लगान दे सकता है तो फिर वही स्कीम आपकी फैलेगी कि जो आदमी लगान देने की स्थिति में है, उसको गरीब कह कर रेमीशन दे दिया जायगा और कोई गरीब आदमी है जो कि एक्चुअली लगान नहीं दे सकता है, जिसकी वाकेई में ऐसी स्थिति है अकाल पड़ जाने के कारण या मवेशी मर जाने के कारण या और किसी दुर्घटना के कारण वह ऐसी स्थिति में पहुँच सकता है कि उसके पास पैसा देने की ताकत नहीं रहे; उसके बारे में पटवारी रिपोर्ट कर देगा कि मालदार आदमी है मगर पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर जुल्म होंगे, ज्यादतियां होंगी और सरकार उस पर वसूली करने के लिए तंगी और परेशानियां पैदा करेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा करने जा रहे हैं उस व्यवस्था से राज्य सरकार को नुकसान होगा, पटेलों का भी नुकसान होगा और जनता का भी नुकसान होगा, और इस व्यवस्था से फायदा नहीं उठा सकते, बल्कि यहां तक होगा कि पब्लिक एक्सचेकर पर बड़ा भारी खर्च, अपव्यय करने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जनता से सम्बन्धित बात है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे देश के अन्दर ७५ प्रतिशत एग्रीकलचरिस्ट्स हैं, और यह कानून, नम्बरदारी का कानून आज देश के ७५ प्रतिशत से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला है, उसको आप यहां बैठ कर आसानी से, खामोशी से पास कर दें यह कहां तक समुचित होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए, पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए। लोगों के व्यूज़ इसके बारे में आने चाहिएं। जब ये व्यूज़ आ जायं उसके बाद में सरकार के सोचने की व्यवस्था है कि उत्तम है या अनुत्तम है।

एक छोटी सी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दूसरा संशोधन जो इस राजस्थान भू-राजस्व नियम में आ रहा है वह ट्रेसपासर्स के बारे में है। जहां तक सेक्शन ९१ के अन्दर एमेंडमेंट का सवाल है; हो सकता है कि राजस्थान के विद्वानों के दृष्टिकोण से, राजस्थान के योग्य

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उप-मन्त्रीजी जिन्हें रेवेन्यू कानून का बड़ा भारी अनुभव है, जो स्वयं अनुभवी वकील रह चुके हैं, उनके दृष्टिकोण से आखिर इसमें क्या विशेषता है कि वे इस कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं ? जहां तक संशोधन ९१ की क्लॉज़ (२) में एमेंडमेंट का सवाल है इसको आप पढ़ेंगे और पुरानी क्लॉज़ को आप पढ़ेंगे तो दोनों की भावना एक है, मन्शा एक है, लेकिन परिवर्तन को लाने के लिए क्या बात हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। १५ टाइम्स पेनाल्टी का प्रावधान पुराने कानून में था वही १५ टाइम्स वसूली करने का प्रावधान मौजूदा कानून में रख रहे हैं। वह एडीशनल सेक्शन ९३ में बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार करता है तो बेदखली की कार्यवाही करने के पश्चात् १५ गुना पेनाल्टी के रूप में लैण्ड रेवेन्यू एसेस की जाती है तो उनमें इसको कर सकते थे या कराया जा सकता था। इस प्रकार अब मौजूदा तरमीम यदि की जाती है तो प्रोविज़ो ९५ में दिया गया है उस प्रोविज़ो में तरमीम हुई। उस तरमीम के ऊपर इस कानून में परिवर्तन आ सकता है। जहां तक सेक्शन ९१ की सब-क्लॉज़ (२) का सवाल है यह तरमीम रिडन्डेन्ट है। इस तरमीम से कोई लाभ नहीं है। आखिर इस तरमीम को लाने का क्या मतलब है ?

अब सेक्शन ९५ के एमेंडमेंट का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रेसपासर्स के इस सवाल को लेकर काफी मसला हमारे सामने चला आ रहा है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में ऐसी बेदखली करने के लिए ट्रेसपासर्स के खिलाफ प्रोविज़न है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भी सेक्शन ९१ में प्रोविज़न ऑलरेडी इसके अन्दर इन्सर्टेड है, और उनमें थोड़ी सी तरमीम की जाती है कि तहसीलदार को अधिकार टेनेन्सी एक्ट के तहत में इस प्रकार के दिये गये हैं कि यदि राज्य की जमीन पर कोई ट्रेसपासर हो, जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार आपस में दो व्यक्ति लिटिगेशन करते हैं कि तहसील में सूट फाइल करते है और सूट के बाद में फरीकैन की एवीडेन्स लेने के बाद में जो कम्पीटेन्ट कोर्ट एस० डी० ओ० या और कोई है वह उस पर एडजुडिकेट करेगी, उस पर फैसला देगी। इधर ९१ में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो एमेंडमेंट है उसके तहत एक्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स तहसीलदार में वेस्ट करती हैं। तहसीलदार बजाय इस बात का निर्णय कराये कि वह भूमि पर अतिक्रामक है कि नहीं ट्रेसपासर के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रकार का प्रोवीजन है ये एक्ज़ीक्यूटिव प्रोवीज़न्स हैं। इसलिए वह खुद एक जज है, खुद का फैसला कर ले और उसके बाद वह खुद ही एक्ज़ीक्यूट करे, यह कहां का इन्साफ है ? मैं यह कहूंगा कि जो प्रोवीज़न्स ऑलरेडी टेनेन्सी एक्ट में इन्सर्टेड हैं जिनमें हकमरी के राइट के बारे में तहकीकात की जा सकती है और तहकीकात करने के बाद कम्पीटेन्ट कोर्ट बेदखली की डिक्री दे सकती है। कम्पीटेन्ट कोर्ट यह भी तय कर सकती है कि इस जमीन के बारे में जहां नाजायज़ कब्जा किया गया है उससे इतना मुआवजा दिलाया जाता है जिसकी हद १५ गुना है। तो तहसीलदार

(श्री दुर्गालाल बादूदार)

साहब को ये पॉवर्स दे दें कि वह अपने आप अपनी मर्जी से यह फैसला पहले कर ले कि इस आदमी ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह फैसला यह कर चुका, ट्रेसपासर मान चुका। अब दूसरा कदम उठाना उसके लिए बाकी रहता है। वह काम यह रहता है कि नोटिस जारी किये जायेंगे कि एक हफ्ते में, बाज वक्त तो ऐसी हार्डशिप पैदा की गई है, मैं निवेदन करूंगा कि २४ घन्टे का नोटिस दिया जाता है और २४ घन्टे का नोटिस देने के बाद एकदम बेदखली की कार्यवाही की जाती है तो कहीं जाकर एक आदमी एप्लाई भी करने की कोशिश करे तो वह मौका उसको नहीं दिया जाता है और जो कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं, जो कोई तरक्की उस जमीन में की जाती है उसको एक मिनट में जाकर तहसीलदार साहब तहस–नहस कर देते हैं। यह विचार नहीं किया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में हर आदमी की प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट करने की गारन्टी करते हैं और दूसरी तरफ हम स्वयं कानून इस प्रकार का बनाते जा रहे हैं कि एग्ज़ीक्यूटिव हैड को वैसी ताकत दे देते हैं, १६ आना ताकत दे देते हैं कि वह खुद ही जज बन जाय, खुद ही फैसला कर दे, और बाद में जाकर अपने ही ऑर्डर को एक्ज़ीक्यूट कर दे ताकि आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने संशोधन के कानून में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह कर चलते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का बिल प्रस्तुत किया है वह यह स्वयं मानकर चलते हैं कि वह कानून में तरमीम दफ़ा ६५ में इस आधार पर कर सकते हैं कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के समानान्तर इनको बना दें। इस दृष्टिकोण से यह तरमीम इस कानून में करने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून में प्रावधान इस प्रकार का हो कि जिसमें पक्षकार को सुनने का मौका, चान्स ऑफ हियरिंग दिया जाना चाहिए। लोगों के दस्तावेज़ और शहादतें लाने के बाद निर्णय किया जाना चाहिए तो वह जुडीशियल डिटर्मिनेशन ऑफ दी राइट्स होता है उसके अन्दर पक्षकार को वास्तविक तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से किया जा सकता है और निर्णय दिया जा सकता है। अब ऐसे विधान लायें कि जिनके कारण ऐसे एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स को, एक्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटीज़ को इस प्रकार के पॉवर्स दे देना चाहते हैं कि वह खुद अपना जज बन जाय, खुद अपना फैसला कर दे। इसके बाद खुद अपनी डिक्री को एक्ज़ीक्यूट करा ले। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार का कानून जो कि जनता के बहुमत को प्रभावित करने जा रहा है उस कानून को साधारण रूप से इस सदन में पास नहीं कर देना चाहिए, बल्कि मेरा जो यह प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष कि.... ...

५ म० प०)

जनमत जानने के लिये इस संशोधन विधेयक को प्रसारित किया जाना चाहिये। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त····

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि भाषण संक्षेप में होने चाहिये। यदि इस प्रकार लम्बे भाषण हुए तो सारी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, २४ स्पीकर्स हैं।

श्री विजयसिंह झाला : घबराइये मत, बैठे रहिये अभी क्या हुआ है। हमें ६१ का नोटिस नहीं देना है। अभी उस आधार पर इजेक्टमेन्ट होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त सरचार्ज लगाने पर बहस इस सदन में चल रही थी उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जो कमी सरचार्ज की सहूलियत दी है उससे होगी, इस सदन में बहस के बाद, उसकी पूर्ति लंबरदारी प्रथा खत्म करके की जायगी। मैं समझता हूं कि इस घोषणा के आधार पर लंबरदारी प्रथा राजस्थान में समाप्त की है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि आप जो संशोधन लायें उसके साथ इस प्रकार का कोई स्टेटमेन्ट होता कि राजस्थान में नंबरदारी प्रथा समाप्त करने से राजस्थान के बजट में कितनी बचत होगी। इसके साथ साथ आप इसमें यह भी स्पष्ट करते कि जो नया रास्ता आपने अपनाया है पटवारियों द्वारा वसूली करने का उसमें आप उनको अलाउन्सेज़ देंगे उसमें कितना खर्चा होगा और कितना अंतर है पहली प्रथा है उसमें और नयी प्रथा अपनाने जा रहे हैं उसमें ? यदि यह स्टेटमेन्ट आप देते और उसके बाद सदन के सामने रखते तो सदन को मालूम होता कि किस उद्देश्य से लंबरदारी प्रथा समाप्त करने जा रहे हैं । लेकिन दुःख इस बात का है कि आपने कोई इस प्रकार का विवरण सदन के सामने नहीं रखा····

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह पहले ही बताया था कि ५.० लाख रुपये..

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन नये अलाउन्स पटवारियों को देंगे उसमें कितना खर्चा होगा, यह भी स्पष्ट करना होगा। तब जिस उद्देश्य को लेकर, आर्थिक संकट को देख कर····

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : यह आर्थिक संकट का सवाल नहीं था, नीति का सवाल था।

श्री विजयसिंह झाला : यह नीति का सवाल नहीं था। राजस्थान में सरचार्ज लगा रहे थे उसकी पूर्ति के लिए नंबरदारी को खत्म करना चाहते थे, जैसी कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। उसके साथ यह स्टेटमेन्ट आना चाहिये था कि कितनी बचत होगी नयी योजना में ।

अब देखना यह है कि नई योजना के अंतर्गत क्या पटवारियों के पास इतने साधन हैं कि जो रुपया उनके पास आयेगा उसको सुरक्षित रूप से खजाने तक पहुंचा देंगे ? पटवारी संघ ने इसका विरोध किया था। उन्होंने एक मेमोरेन्डम सरकार के सामने पेश किया था उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि रकम को सुरक्षित रख

(श्री विजयसिंह झाला)

सकें। उनके पास मकान नहीं है, कइयों के पास रहने को भी मकान नहीं है इसलिये जो रेकॉर्ड उनको दिया गया है उसे भी सही रूप से सुरक्षित नहीं रख सकते। बहुत सी जगह रेकॉर्ड को दीमक खा गई है। पटवारियों के रहने के लिये आप मकान नहीं बना पाये हैं और किराये के मकान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो रकम उनके पास आयेगी और १० दिन या ७ दिन तक उनके पास रहेगी उसको क्या वे जंगल में बैठ कर सुरक्षित रख सकेंगे, इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि लंबरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद लगान वसूल करने का भार सबसे ज्यादा विलेज सर्वेन्ट पर पड़ेगा जिसको आप चौकीदार कहते हैं। लंबरदारी प्रथा खत्म होगी, लेकिन विलेज सर्वेन्ट खत्म नहीं होगा। जब यह सारा काम उनको करना पड़ेगा जिनको आप विलेज चौकीदार या विलेज सर्वेन्ट कहते हैं। उन विलेज सर्वेन्टस का भी अलाउन्स आप ने बढ़ाया है या नहीं, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, घर घर जाकर लंबरदार वसूल करता था, वह काम पटवारी नहीं करेगा। वह काम करना पड़ेगा चौकीदार या विलेज सर्वेन्ट को। इसलिये आप जो प्रावधान लाने जा रहे हैं उसके साथ साथ गरीब विलेज सर्वेन्ट के बारे में भी सोचें।

जहां तक लंबरदारी प्रथा समाप्त करने का सवाल है उसका उद्देश्य यह है कि उससे बचत होगी; तो हमारा दल उसका स्वागत करता है लेकिन जो नयी प्रथा आप अपनाने जा रहे हैं उसका विरोध करते हैं। यदि उद्देश्य यह हो कि पंचायतों द्वारा वसूली हो तो क्यों नहीं पंचायतों द्वारा वसूली कराई जाती? आज विलेज पंचायतों की स्थिति आर्थिक संकट में से गुजर रही है। जो पवित्र संस्था कायम की है वह आर्थिक बोझ से दबी हुई है और उसके प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो अलाउन्स आप पटवारियों को देंगे उसके बजाय लगान का कुछ परसेन्टेज पंचायतों को दे दिया जाय तो आपकी रकम भी सुरक्षित रूप से पहुंच जायगी और पटवारियों को दिक्कत है मकान नहीं होने के कारण रकम सुरक्षित नहीं रख सकने की वह भी नहीं होगी।

दूसरा सवाल आता है ट्रेसपासर्स का। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में इसका प्रावधान था, वही प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट में लाना चाहते हैं। जहां प्रावधान ट्रेसपासर्स को रोकने का था वहां निरंतर कब्जा हो रहा है, वह रुकने वाला नहीं है। इन्हीं ५-७ सालों में लाखों बीघा भूमि पर लाखों लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया है उसका कारण पहले ढूंढना पड़ेगा, कुछ कारण स्पष्ट रूप से देखने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन एलॉट होती है उसके बाद भी दस-दस साल तक भी किसानों का कब्जा उस पर नहीं कराया जाता है। पटवारी बीच में पैसा खाकर जमीन उनके कब्जे में नहीं देते हैं। इसका उदाहरण देखना चाहें तो एक नहीं हजारों उदाहरण नाथद्वारा तहसील के हैं। आज से कुछ साल पहले मैं जिस पंचायत का सरपंच था और एलॉटमेन्ट कमेटी में भी था, जो उस समय जमीन एलॉट हुई थी, उस पर अब तक कब्जा नहीं कराया

(श्री विजयसिंह झाला)

है। एक ओर एलॉट कर देना और दूसरी ओर किसानों को सूचना नहीं देना और दूसरा उसके पास रेकॉर्ड नहीं होने से एलॉटमेन्ट समझ कर उसका कब्जा बना रहता है उसको आप ट्रेसपासर मानते हैं। इसलिये लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस तरह का प्रोविज़न ला रहे रहे हैं। उससे पूर्व आपको सोचना चाहिये कि राजस्थान में पिछले १०सालों में जिनको जमीन का एलॉटमेन्ट हुआ है उसके अनुसार क्या उस जमीन पर किसानों को भूमि मिली है या नहीं? उनका कब्जा उस पर हुआ है या नहीं? इसकी जांच कमेटी बैठा कर करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की जांच कमेटी बैठाने की मैं मांग करता हूं। कुछ किसानों के साथ पक्षपात होता है और इस कारण एलोटेड जमीन किसानों को नहीं दी है इसकी जांच करानी चाहिये....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पक्षपात कैसे हुआ?

श्री विजयसिंह झाला : पक्षपात कैसे हुआ, यह आपकी कांग्रेस संस्था द्वारा माना हुआ होगा। जिनको जमीन मिली हुई है वह उनको नहीं बताई यह जनरल बात है। मैं किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन कइयों को जमीन बताई नहीं गई है और एलोट कर दी है, कब्जा नहीं दिया है। पहले जो काश्त करते आ रहे हैं उनको ट्रेस्पासर्स मान लेने से ट्रेस्पासर्स की संख्या बढ़ती जा रही है।

दूसरा कारण ट्रेस्पासर्स का यह है कि बहुत सी जगह भूतपूर्व रियासतों में या जागीरों में जिस समय जागीरें रिज्यूम हुई उस समय उनको बापी पट्टा कर दिया और उन बापी पट्टों का दाखला आपके सरकारी रेकॉर्ड में है। नाथद्वारा मंदिर की तरफ से जिनको बापी दी है उनकी संख्या ४००, ५०० है और इन सब का दाखिला आपकी रेकॉर्ड में आ गया है। उसके बाद भी वे ट्रेसपासर हैं इसको भी चैक करना पड़ेगा तभी संख्या कम हो सकती है। इसके साथ साथ जो प्रावधान सब तरह की जमीनों के लिये एक ही तरह की पैनल्टी लगाई है यह समझ में नहीं आता। हासिल का १५ गुणा जुर्माना किया जायगा। एक सिंचित जमीन, जिस पर एक साल में वह काम कर १५०० से ३,६०० कमा सकता है, उस पर पन्द्रह रुपये हैं और दूसरी जमीन जो बंजर है, उस पर एक साल में कमा कर पांच रुपये नहीं कमा सकता है उस पर भी पन्द्रह रुपये हैं। मेरी समझ में जो सिंचित जमीन है उस पर सारे के सारे लोग कब्जा कर लेंगे क्योंकि उसको पन्द्रह रुपये देने पड़ेंगे। इसके लिए कोई पैनल्टी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नई पैनल्टी का प्रोवीज़न ला रहे हैं, मेरी समझ में अलग अलग श्रेणी जमीन की करके पैनल्टी नियुक्त करते तो कुछ समझ में आ सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच-दस मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Your party has already taken half an hour.

श्री विजयसिंह झाला : सिर्फ पांच मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Your party has taken half an hour.

श्री विजयसिंह झाला : वही बोलूंगा, पार्टी को जितना टाइम दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल सकते है, मैं यह निवेदन करता हूँ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें, मुझे एतराज नहीं है। इतना सा ध्यान रहे कि समय का ध्यान रखें ताकि निश्चित रूप से सब बोल सकें।

श्री विजयसिंह झाला : मैं एक्ट के बाहर नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्ट के बाहर बोलूं तो आप कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सीमा के लिए कह रहा हूँ, दो बिल पारित करने हैं इसलिए जितना संक्षेप में हो सके उतना करें।

श्री विजयसिंह झाला : इतनी देर में मैं समाप्त कर देता।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री विजयसिंह झाला : दूसरा यह है कि आपका पटवारी किसान को जमीन बता देता है। जमीन बतला कर कहता है कि इस पर फसल कर लो, कब्जा कर लो। उसके बाद पटवारी का तबादला हो जाता है। इस तरह से कई कारण हैं, जिनको देखते हुए ट्रेसपासर्स को बेदखल करने का प्रावधान लाना चाहिए था, लेकिन उन सारी बातों को नहीं सोचा है। होता क्या है, जो अलॉटमेंट होता है, उस अलॉटमेंट में जमीन का अलॉटमेंट समझ कर किसान ने कब्जा कर लिया। उसकी सही स्थिति पटवारी ने बताई नहीं। उस जमीन पर किसान ने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया। लेकिन पटवारी ने उसका कब्जा रेकॉर्ड में लिखा नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको नुकसान बहुत होता है। पन्द्रह गुना लैंड रेवेन्यू की पैनल्टी की है, उसके अलावा जो उसने इम्प्रूवमेंट किया है उसके कारण उसका हजारों का नुकसान हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों को माननीय मंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७५ में जो अमेंडमेंट किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। घोर विरोध इसलिए करता हूँ कि आपने पंचायतों तथा नगरपालिका के अधिकारों को लिया है। यह आपका सेक्शन साबित करता है कि आपकी पंचायतें और नगरपालिकायें इतनी सशक्त नहीं हैं। जो उनकी प्रोपर्टी है, चराहगाह और प्रोपर्टी है, आबादी की जमीन है, वह नगरपालिका की है, पंचायत की है। क्या आप उसके लिए प्रावधान नहीं ला सकते, कोई क्लॉज नहीं ला सकते कि पंचायतों और नगरपालिका को इतना सशक्त बनाया जाय कि वे जाकर इजेक्ट कर सकें? निर्णय पंचायत ले, नगरपालिका उस भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकती है लेकिन उसका जो एग्ज़िक्यूशन करना है, उसमें सहायता तहसीलदार से या कलेक्टर से ले सकती है, पुलिस से ले सकती है। मैं इसलिए विरोध करता हूँ कि पहले तो नगर पालिका निवेदन-पत्र देती है तहसीलदार को,

(श्री विजयसिंह झाला)

उसके बाद वह कार्यवाही करते हैं। अब नगर-पालिका और पंचायत पार्टी भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बहुत से ऐसे निर्णय और प्रस्ताव हों जो आबादी भूमि के सम्बन्ध में हों, तो तहसीलदार नगरपालिका और पंचायत के निर्णय के विरुद्ध फैसला ले सकता है और उसके सम्बन्ध में पंचायत और नगरपालिका को मालूम नहीं होगा। इसलिए आप जो छोटा सा अमेंडमेंट लाकर नगर-पालिका और पंचायत के साथ पक्षपात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह प्रजातंत्र के युग में उपयुक्त नहीं होगा। इसके बजाय आपको इस प्रकार का प्रावधान लाना चाहिए जिससे कि पंचायत और नगरपालिकायें सशक्त हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन कारणों के साथ और इन आधारों के साथ प्रस्ताव रखूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर यह प्रावधान रखा है कि लम्बरदारी समाप्त कर दी जाय। मैं आपसे निवेदन करू कि सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि लम्बरदारी प्रथा आज की नहीं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। भूतपूर्व रियासतों के टाइम में भी लम्बरदारी प्रथा थी और आज भी वह प्रचलित है। लेकिन इस बिल में जो प्रावधान रखा है कि हम पटवारियों से वसूलात करवाते जब तक कि दूसरा आर्डर इश्यू न करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि लम्बरदार किस तरह भू-राजस्व की वसूली करता था। यह राज्य सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। मान लीजिये कि आज अकाल का टाइम है, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि अकाल का टाइम है क्योंकि बरसात कम हुई है। वैसे एक महीने से वर्षा खूब हो गई है, लेकिन बरसात देरी से होने से फसल पनप नहीं सकती, फसल पनपेगी नहीं। अन्न पैदा नहीं होगा और अन्न पैदा नहीं होगा तो काश्तकार लगान नहीं दे सकता। अब सरकार फैमीन या दूसरे रूप में लगान को छोड़ दे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका पटवारी गांव में रेवेन्यू इकट्ठी करने जायगा तो उसको मालूम होगा कि रेवेन्यू की वसूलात करने में किस तरह की कठिनाई आती है। लेकिन उसकी जगह अगर लम्बरदार होगा तो वह समझा-बुझा, गांव वालों को अच्छी तरह बुला कर, एक जगह बैठा कर भू-राजस्व की वसूलात कर सकेगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस लम्बरदारी प्रथा को खत्म करने का जो प्रश्न है इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्व मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि लम्बरदार लोग आज से नहीं हैं, वे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपने जागीरदारों को मुआवजा दिया है

(श्री नाथूलाल करोल)

या बिस्वेदारों और जमीदारों को आपने मुआवजा दिया है, इसी तरह से लम्बरदारों के लिए भी इस बिल में मुआवजे का प्रावधान रखा जाता क्योंकि वे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लेकिन आपने एक लाइन के अन्दर लिख कर दे दिया है कि लम्बरदारी को खत्म किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लम्बरदारों को कुछ न कुछ मुआवज़ा, कुछ न कुछ कम्पेन्सेशन किसी न किसी रेट से देना चाहिए लेकिन इस बिल कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लम्बरदारी प्रथा के लिए मैं आपसे यह निवेदन करूं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। और थोड़ा सा विचार करके देखा जाय तो पहले बाप ने लम्बरदारी की, फिर बेटे ने भी लम्बरदारी की और अगर कोई लड़का नहीं रहा तो दूसरे आदमियों ने लम्बरदारी की, जो कुनबे के आदमियों में से हैं; उनके इस अधिकार को और उनकी जिन्दगी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि लम्बरदारों को खत्म कर रहे हैं तो कुछ प्रावधान तो मुआवजे का कीजिये, जिससे उनको संतोष रहे। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि लम्बरदारी प्रथा को थोड़ा सा विचार करके ही खत्म मत कीजिये, इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित कीजिये। पब्लिक की यह राय जानी जाय कि लम्बरदारों की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए पब्लिक ओपिनियन के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको प्रसारित किया जाय, उनकी ओपीनियन जानी जाय कि इनको खत्म किया जाय या नहीं। मैं समझता हूं कि पब्लिक अपनी यह ओपिनियन देगी कि लम्बरदारी प्रथा को खत्म करने से काम खराब होगा। मैं निवेदन करूं कि वसूलात करने का सवाल है इसके लिए जो आपने पटवारियों को कुछ पैसा देने के लिए विचारा है। लेकिन इस पैसे को अगर लम्बरदारों को देते रहते तो आपकी वसूलात के अन्दर डिफीकल्टी नहीं आती और वसूलात ठीक ढंग से होती रहती। अभी खरीफ की वसूलात होगी दिसम्बर के महीने में, उस समय गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि वसूलात कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। जहां लम्बरदार एक दिन में वसूली कर लेता था, अब पटवारी दस दिन में भी कर ले तो हम देख लेंगे कि वह किस तरह कर सकता है। आप देख लीजिये, तकावी लोन के लिए तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और पटवारी जाते हैं गांवों में, और कुर्कियां करते हैं लेकिन फिर भी वसूली नहीं हो रही है। लेकिन लम्बरदार सब वसूलात एक दिन में वसूल कर लेता है। वह आदमियों को समझाता है, वह अच्छी तरह बैठा कर समझा देता है। उसको मालूम होता है कि पटवारी आयेगा और वसूलात करेगा। इसलिए वह सब आदमियों को समझा-बुझा कर कहता है कि कल पटवारी आयेगा उसको पैसा देना है। मान लीजिये कि किसी के पास पैसा नहीं होता है तो लम्बरदार उसको साहूकार से या किसी मुअज़िज़ आदमी से पैसा दिलवा देता है। लम्बरदार उनसे लगान की वसूली करवा देता था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सही निवेदन करूं कि अब यह वसूलात गांव का पटवारी सारे हल्के की उगाई एक

(श्री नाथूलाल करोल)

माह में कर दे तो देख लेंगे। बड़ा मुश्किल हो जायगा। अब जब दिसम्बर का महीना आएगा तब मालूम पड़ेगा। लम्बरदार एक ही काम नहीं करता है। जब पटवारी या तहसीलदार गांव में जाता था तो वह उनके साथ हमेशा रहता था और जो भी तहसीलदार की तरफ से आॅर्डर्स होते थे उसको कैरी-आउट करता था। अब गांव के अंदर जब लम्बरदारी खत्म हो जायगी तो लम्बरदार को क्या गरज पड़ेगी? तहसीलदार साहब या नायब-तहसीलदार या कोई अफसर गांव में जाय, कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो।

इसलिए मेरा जो प्रस्ताव है जनमत जानने हेतु, उसको प्रसारित किया जाय। यह बहुत सही है और अच्छा है क्योंकि जब सरकार जनमत की राय जानने लगेगी तो अच्छी तरह से मालूम हो जायगा कि जनता ऐसी लम्बरदारी प्रथा को रखना चाहती है या नहीं। इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूँ कि इस बिल को जनमत हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) एक्ट पर मैंने अपना प्रस्ताव दिया है कि इसे जनमत जानने के लिए दिया जाय, क्योंकि राजस्थान सरकार, यह तुगलकशाही सरकार, बार-बार यहां पर नए नए प्रस्ताव लाती है, बार बार नए संशोधन लाती है। भगवान जाने क्या करती है, तानाशाही लगाना चाहती है। इसका जो प्रस्ताव है लम्बरदारी सिस्टम के बारे में, उसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह जो लम्बरदारी सिस्टम है यह हमारी पुरानी गुलामगिरी की निशानी है और जो इसको मिटाने के लिए यहां प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लम्बरदारी प्रथा को मिटाने के साथ-साथ सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पॉवर तहसीलदार और पटवारी को दी है। इससे तानाशाही बढ़ेगी। आज पटवारी की तनख्वाह बहुत कम है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसका वेतन बढ़ाया जाय, लेकिन उसको इस प्रकार कम वेतन देकर मैं समझता हूं कि यह सरकार उसको घूसखोरी सिखाती है। एक एक पटवारी की आमदनी ५००–५०० रुपये हैं, १०००–१००० रुपये है। तहसीलदार की आमदनी के बारे में कुछ नहीं कहता। भगवान ही जान सकता है। सरकार चाहती है जनतंत्रवाद लाना है, रामराज्य लाना है। रामराज्य तो दूर है, उसमें एक नया नारा आ गया कामराज अर्थात् काम करने वाले को महत्व दिया जायगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि काम करने वालों पर सरकार क्यों अत्याचार करना चाहती है या किसानों पर अत्याचार करना चाहती है। आप पटवारी को अधिक पॉवर देकर किसान को दुखी करेंगे, पटवारी गांव में रेवेन्यू वसूल करने जायगा, भगवान जाने क्या गबन करेंगे। जो किसान अनपढ़ हैं वे यह भी नहीं समझते जो रुपया रेवेन्यू का दिया है, उसकी रसीद भी दी या नहीं। मेरा सुझाव है कि पटवारी को हमारी पंचायत समिति को या ग्राम पंचायत के साथ जोड़ दिया जाय, जिससे ग्राम पंचायत को एक रकम मिल जायगी। जो रकम पहले पटेलों को मिलती थी, उनसे पंचायतों की रकम कुछ बढ़ेगी और आमदनी हो जायगी और वह अपना काम आसानी से चला

(श्री जोधसिंह चौहान)

सकेंगे। इससे किसान का लाभ होगा। पांच आदमी मिलकर पटवारी के साथ खेती पर जायेंगे। इस वक्त पटवारी मनमानी एन्ट्रीज़ करता है। मैं एक हजार मिसालें पेश कर सकता हूं। ग्राम देवारी में जागीरी का गांव था। उस वक्त जागीरी खत्म हुई। वहां के लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्होंने सरकार को लिखकर नहीं दिया। उनके पास दो-दो तीन-तीन बीघा जमीन थी, वह कब्ज कर ली गई। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि हम यहां पुराने जागीरदार थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पटवारी को रिश्वत नही दी, इसलिए पटवारी ने उसमें पुराने खाते नहीं बताए, जबकि वहां की पंचायत समिति ने इस बात को लिखकर दिया है कि यह जमीन इनकी है। ग्राम पंचायत मान लेती है कि ये पुराने काब्ज हैं, इन्होंने ही कुए खुदवाए हैं, दीवार बनाई है, फिर भी तहसीलदार और कलेक्टर उनको हटाने की आज्ञा देते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि ये पटवारी मनमानी करेंगे, तहसीलदार मनमानी करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की जो पुरानी जमीनें जिन किसानों के पास हैं, उन पर विचार करे। मैं समझता हूं कि करीब-करीब ८० फी सदी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ४ या ५ बीघा जमीन है। मुझे मालूम है कि सरकार ने उनको कहा था, तहसीलदार ने भी कहा है। वहां पर १२ गांव हैं, पटूंगा, बड़े गांव, बड़ी दिवाली, बुड़गांव, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सरकार ने इस प्रकार का प्रोमिज़ किया था। जो किसानों ने जमीनें कब्जे में कर रखी हैं, उनके लिए सरकार चाहती है कि उन कब्जों को छोड़ दें। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये पटवारी मनमानी करते हैं। आज गिरवा तहसील में कितनी जमीनें पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर ली है। कांग्रेस के जो वहां सरपंच हैं, भाई बहनों और माताओं के नाम कर रखी हैं और कई सरकारी कर्मचारियों के नाम कर रखी हैं। सरकार के पास कई बार एप्लीकेशन्स आई हैं, लेकिन वह विचार नहीं करती।

तो साफ ज़ाहिर है कि किसानों को जनतंत्र-वाद में न छूट देकर, पटवारियों और तहसीलदारों को छूट दे दी है। सरकार की यह इच्छा है कि इस प्रकार की छूट किसानों को नहीं दे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह जनतंत्र में विश्वास करती है, विकेन्द्रीकरण करना है और यहां गांव का राज स्थापित करना है तो ग्राम पंचायतों के पास लैंड रेवेन्यू का कुछ हिसाब पहुंचना चाहिए। किसान यह महसूस करें कि ये हमारी पंचायतें हैं, उनकी इच्छा के बिना पटवारी कुछ नही कर सके, तहसीलदार कोई जुर्माना नहीं कर सके। तभी समझेंगे कि गांव के अन्दर जनता का राज आएगा या किसान का राज आएगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, यह बिल है, इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय ताकि आगे जाकर और भी नयी नयी अमेंडमेंट्स हों वे भी रखी जा सकें और आने वाले सत्र में इसको पास कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष जो लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल आया है उसके बारे में मैं भी आपके जरिए हमारे बहुत ही सम्माननीय उप-राजस्व मंत्री को अपने विचार व्यक्त करते हुए निवेदन करता हूं कि यह जो नम्बरदारी एबोलीशन का मसला है वह बहुत अहम मसला है। उसे यूं कैबीनेट में बैठकर या ५-७ आदमी बैठ कर तय नहीं करें और जनता की राय के लिए इसको प्रसारित करें तब इसके साथ उचित न्याय हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, लम्बरदारी प्रथा एक बहुत पुरानी प्रथा है। यह केवल राजस्थान में ही नहीं, लेकिन और भी कई प्रान्तों में चालू है। हमारे उपमंत्री नये-नये आये, नये न्याय फरोश थे, उन्होंने एक बात कह दी कि हम लम्बरदारी खत्म करें। उनको इस सम्बन्ध में आइडिया नहीं था, नये आदमी थे और उन्होंने कह दिया कि अब कर देंगे। बाद में भगवान ने सद्‌बुद्धि दी तो मालूम हुआ कि यह तो कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा और इसको समाप्त करने के लिए कोई कानूनी ढंग होगा। इसलिये यह प्रथा अभी तक चली आई,वरना यह अप्रेल में ही खत्म हो जाती। जब एक गलती हो गई तो उससे छूटने के लिए यह दूसरी गलती करनी पड़ी कि सदन के सामने यह एमेन्डिंग बिल लाना पड़ा। वह तो गलती न० १ थी और यह गलती नं० २ है। मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा अन्दर से रोती होगी और इसके लिये विद्रोह करती होगी। मुमकिन है कि १० या ५ दिनों में ये अपने असली रूप में आ जावें और हो सकता है कि आज ही शाम तक इनके दिमाग में वह बात आ जाए और जब उनका दिल और दिमाग ठीक हो जाए तो कल ही इस सदन से इस संशोधन को वापिस लेने की बात करें। उन्होंने शायद आज तक यह महसूस नहीं किया कि इसके क्या इम्फली-केशन्स होंगे और यह सही है कि इन चीजों को देखने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन के तजुर्बे की जरूरत है। माननीय सदस्य जब उप-मंत्री हुए तो उनको राजस्थान का ध्यान नहीं रहा। छोटी-मोटी जगहों का तजुर्बा हुआ होगा, हुरड़ा का तजुर्बा हुआ होगा या बनेड़ा की तहसीलों को मिलाने का तजुर्बा हुआ होगा। लेकिन रेवेन्यू का तजुर्बा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कई पटेलों....

श्री मानसिंह महार : कई पटेल आप जैसे हमारे दरवाजे पर पड़े रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास बात अर्ज कर रहा था, वह यह कि आप आज पटेलाई खत्म करेंगे, नम्बरदारी खत्म करेंगे; इसका नतीजा क्या होगा। मैं उप-राजस्व मंत्री से कहूँगा कि आप पटेलों को खत्म करके रकम वसूली की जिम्मेदारी बड़े-बड़े पटवारियों पर रखना चाहते हैं जो एक ऐसा तबका है जिसमें ज्यादातर पटवारी करप्ट हैं। माननीय उप-मन्त्री कहेंगे कि ये बड़े स्वीपिंग रिमार्क्स हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ५० परसेन्ट आपके पटवारी करप्ट हैं ५० पर-सेन्ट से भी ज्यादा पटवारी करप्ट होंगे। नतीजा यह होगा, आज मैं सदन में यह बात कहता हूँ और आपको आगाह करता हूँ कि आप लम्बरदारी को खत्म करेंगे और पट-वारियों के जिम्मे यह काम रखेंगे कि वे रकम

(श्री मानसिंह माहर)

जमा करावें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चार महीनों के बाद आप देखेंगे कि क्या होता है और अगर आप ईमानदार हैं तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि मानसिंह महार ने कहा था वह सही निकला। आपके १० परसेन्ट पटवारी लैन्ड रेवेन्यू लेकर भाग जायेंगे। यह मैं आपको आगाह करता हूं। उस समय आप असमंजस में पड़ जावेंगे और वेकुअमक्रियेट हो जायगा और आपको दुबारा नम्बरदारी कायम करनी पड़ेगी। आज मैं आपको केटेगरीकली कह देना चाहता हूँ कि आप दुबारा रिवाइव कर देंगे। मगर जब तक मोहनलालजी रेवेन्यू मिनिस्टर और श्री लड्ढा साहब उप-राजस्व मंत्री हैं तब तक इसको रिवाइव नहीं करेंगे।

मैं यह कहूँगा कि यह विषय राजस्थान की जनता के लिये एक विचित्र बात है। गांव के गरीब किसान आज-कल गांवों के माने हुए लम्बरदार और पटेल होते हैं,उनको रुपया देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे और यह कभी भी महसूस नहीं करते थे कि उनकी रकम गबन हो जावेगी।

एक माननीय सदस्य : आप पटेलों को पटेल हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं तो सबका पटेल हूँ। झालाओं का और उदयपुर का पटेल हूँ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : महारों का आपने नहीं बताया। हमारे यहां उदयपुर में हरिजनों पर जमादार को पटेल कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मानसिंह महार : मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताऊंगा। आप जिन पटवारियों को इतनी भारी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं उन पटवारियों की तरफ आप देखें। अभी हमारे यहां जागीरदारी उन्मूलन हुए १० वर्ष हो गये हैं। बहुतसों की जागीरें सन् ५७ में खत्म हुई हैं। आपके इन पटवारियों ने बेचारे गरीब काश्तकारों को बहका कर किसी पटेल से ५००) रु० और किसी से ७००) रु०....

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 'बेचारे' शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, यह पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है।

श्री मानसिंह महार : यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वर्ड है ?

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सदस्य 'बेचारा' शब्द बार बार यूज कर रहे हैं। यह अनपार्लियामेंट्री है, इसको प्रोसीडिंग्ज़ से निकाला जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : 'बेचारा' शब्द विथ रेफरेन्स टू कोन्टेक्स्ट देखा जायगा। यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्रीजी को 'बेचारा' कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अपने स्तर के हिसाब से और क्या कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please! आप जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : इन्टरप्शन में मेरा बहुत समय चला जाता है। मैं बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा था।

नये पटेल बनाने में खुली छूट दी। एक गांव में ५००) रु० और किसी में ४००) रु० लेकर नये पटेल शुरू किये। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में सारे अफसरान को मालूम है। मैं कहता हूँ कि जयपुर डिवीज़न में, दूसरी जगह नहीं हुआ हो, मगर जयपुर डिवीज़न में बाकायदा चन्दे के रूप में लोगों से रुपये लिये गये। मैं यह कहूंगा कि रेवेन्यू सेकट्री साहब या उपमंत्री साहब या चीफ मिनिस्टर नाराज नहीं हों, यह उनके संबन्ध में नहीं है। यह पैसा जो राजस्व मंत्री हार गये थे उनके पास गये।

मैं आपको कहता हूँ और आपके सामने नजीर पेश करता हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है शंभुपुरा। इसमें पहले एक पटेल था। आज इस छोटे से गांव में जिसकी लैंड रेवेन्यू १५००) या १६००) रु० होगी उस गांव के अन्दर आज पांच पटेल हैं।

आज एक के बदले पांच पटेल उस गांव में हैं। जो बेचारे चार नये पटेल बने हैं और रुपया खर्च करके बने हैं, उनके लिये मैं कहुंगा उपमंत्री महोदय से कि उन पर तो आप दया करें। अगर उप-मंत्रीजी यह देखना चाहें तो मैं आपको गांव ले चलूंगा। बड़ा रमणीक स्थान है, वहां रंगरेलिया भी करा दूंगा। चार आदमी वहां पर पैसा देकर पटेल बने हैं। एक आदमी के कम से कम हजार हजार या ८००) रुपये खर्च हुए हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि आखिर आप पटेलाई खत्म करना चाहते हैं तो इन बेचारों ने जो रुपये खर्च किये हैं और पगड़ी दी है उनको दो साल तक तो पटेल रहने दिया जाए।

मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूकानदार दूसरे दूकानदार को पगड़ी दे कर दूकान लेता है उसका साल दो साल तो कब्जा रहता है, तो इन पटेलों को हजार-हजार, दो दो हजार रुपये तो ले लेने दीजिये जो इन लोगों से पटेल बनाने के लिये लिये गये हैं। मुझे उदयपुर के बारे में अधिक मालूम नहीं, अजमेर के बारे में भी अधिक मालूम नहीं, पर जयपुर के बारे में पूरी तरह से मालूम है। १९५२ के बाद यहां के हर गांव में पैसे ले लेकर नये पटेल मुकर्रर किये गये हैं। तो यह दूसरा पहलू है जो मैं उप-राजस्व मंत्रीजी को माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम दो साल पहले सुनते थे कि यह सरकार रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर ग्राम पंचायतों को देने जा रही है, तब तो हमें फिर भी संतोष हुआ, पटेलों ने भी कहा कि कोई बात नहीं गांव का पैसा गांव में ही रहेगा, हमको नहीं मिला हमारी पंचायत को मिलेगा, कोई बात नहीं। पर एक डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन सत्ता के विकेंद्रीकरण का बवंडर फैला राजस्थान में, हिन्दुस्तान भर में हुआ कि राजस्थान ने पहल की है, सबसे पहले विकेन्द्रीकरण राजस्थान ने किया। वह देश के लिये, प्रान्तों के लिये उदाहरण बनाया गया, सुखाड़ियाजी की प्रतिष्ठा सेंटर में भी ज्यादा

(श्री मानसिंह महार)

हुई विकेन्द्रीकरण की वजह से। पर यहां राजस्थान में सरकार ने उस विकेन्द्रीकरण को भी उड़ा दिया। पटेलों को हटाया तो पंचायतों को रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर दें, यह नहीं किया, सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया तो लम्बे-लम्बे वादे किये थे, क्योंकि आप यह समझते थे कि पंचायतों के चुनावों में हमारे आदमी आयेंगे तो उनका भरण-पोषण हो जायगा, पर नतीजा उल्टा हुआ; आपके आदमी धड़ाधड़ हारे, तब आपने देखा कि यह तो उल्टा हुआ, पंचायतों को रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स दिये तो इससे तो ऑपोज़िशन का पोषण करना होगा, इसलिये आपने उसे बन्द किया। आज भी आप कहें कि रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स पंचायतों को दे रहे हैं तो समझ में आ सकता है, पर वह भी नहीं। सरकार तो अपने ही ढंग से काम करना चाहती है, दूसरों के थ्रू काम हो जाय, यह देख भी नहीं सकती। पंचायतें भी हाथ में से गईं तो देखा कि पटवारी चुनावों में काफी मदद कर सकेंगे तो उनको कुछ फायदा पहुंचाया जाय, १५) रु० माहवार स्टाइपेन्ड देने की बात शुरू की।

तो मैं कहता हूँ कि आपके ये कदम बहुत खतरनाक हैं, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिये, आप इन कुर्सियों पर राजस्थान की बहबूदी के लिये बैठते हैं न कि बर्बादी के लिये। आप ऐसे काम मत कीजिये जिनसे राजस्थान की बर्बादी हो। आपको अगर नम्बरदार खतम करने हैं तो पंचायतों को रेवेन्यू कलेक्शन के पॉवर्स दें। पर तो वह आप करने को तैयार नहीं और खास कर जिन लोगों को आप आंखों नहीं देख सकते, उनको आप यह पॉवर दें, यह आप नहीं कर सकते। आपके कट्टरपन्थी जिनको देख कर आपकी आंखों में खून उतर आता है, वे पंचायतों में बैठे हुए हैं, उनको अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार दे दें तो राजस्थान आसमान से रसातल में चला जाय।

श्री विजयसिंह झाला : राजस्थान कब से आसमान में चढ़ा ?

श्री मानसिंह महार : जबसे विकेन्द्रीकरण हुआ, आसमान में उड़ रहा है।

मैं और भी निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे रोकने के लिये बहुत इच्छुक हैं, जल्दी बैठाना चाहते हैं, आज मैं चेयर को डिफाई करने के मूड में भी नहीं, हो सकता है कि मैं कभी चमत्कार दिखाऊं; लेकिन आज तो आपके हुक्म को अक्षरशः शिरोधार्य करूंगा और उप–राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि छोटी सी बात है कि इस विधेयक को पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज दीजिये, ताकि आपको भी मालूम हो जायगा कि आपने गलती की है। इधर का प्रस्ताव है इसलिये इसे स्वीकार करने में झिझक हो तो किसी कांग्रेसी भाई के नाम से मोशन मूव करा दीजिये। यह जनता की बहबूदी का सवाल है, आपका–हमारा सवाल नहीं। इसके पास होने पर आपका हौसला भी पश्त हो जायगा क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेक्स्ट फसल पर २५ परसेन्ट लोगों में बकाया रह जायगा और राजस्थान में रेवेन्यू की कम वसूली का जिम्मा

(श्री मानसिंह माहर)

भी आपकी तीव्र बुद्धि पर होगा कि हुरड़ा या जहाजपुर से आये हुए उप–मन्त्री तीक्ष्ण बुद्धि वाले हमारे सदन में आकर बिराजे कि राजस्थान के रेवेन्यू कलेक्शन को तहत नहस कर दिया, राजस्थान में साम्यवादियों की चाल को पूरा करने के लिये ऐसा बवंडर रचा कि लोग वसूली देते नहीं। हजारों पटेल जिनको आप इस कानून ने तहत बर्खास्त कर देंगे वे लोगों को बहकायेंगे कि लगान मत दो इस सरकार को, लगान हम जमा करायेंगे। इस बात को भी आप सोच लें।

एक ही बात आखिर में कहता हूं वह यह है कि अगर इसे पास कर दो तो फिर इससे रिट्रेस मत करना, रिट्रेस करो तो इस सदन से इस्तीफा दे देना। एक ही बात कहता हूं कि फिर कहीं चुपके से नहीं कह दें कि हम तो फिर से उसी सिस्टम को जीवित कर रहे हैं, फिर कहीं संशोधन मत ले आना, इतनी भारी गलती करके, इतने पटेलों को, और लोगों को परेशान करके फिर अपनी गलती को महसूस करें तो उससे पहले कम से कम उप–राजस्व मन्त्री पद से तो इस्तीफा दे देना क्योंकि मुख्य मन्त्री तो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, वे तो कह देंगे कि मैंने तो सारा चार्ज लड्ढाजी को दे रखा था, और आजकल तो आप फुल फ्लेज्ड मन्त्रियों से भी आगे हैं, आपको तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की संज्ञा दे दें तो ठीक होगा, आप इस सदन में सब कुछ कर रहे हैं।

आप रिट्रेस करें तो उप–मन्त्री पद से इस्तीफा जरूर दे दीजियेगा, फिर हम घर की तरह बैठ कर मित्रता की बातें करेंगे।

यही कह कर मैं उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि लम्बरदारी कायम रखने में लड्ढाजी को समझाइये, यह चीज उनके दिमाग में कुछ कम आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विधेयक पर यह प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय। इसमें जो क्लॉज़ लगाया है कि 'पटेलाई' विलोपित किया जाय, इसमें मेरा विरोध है। पटेलाई समाप्त कर देंगे तो भू–राजस्व वसूली तितर-बितर हो जायगी। मुझे भी तेरह–चौदह साल हो गये पटेलाई करते। आपके पटवारी ठीक तरह से भू–राजस्व की वसूली नहीं करते, चौथाई भी वसूल नहीं होगी। जहां दूसरा आपने यह लगाया है गश्त गिरदावरी करेंगे। पटेलों को खत्म करने के बाद में आपको कौन मिल जायगा जो अपना समय देकर पटवारी के साथ सहयोग करेगा, उसके साथ एक एक खेत में कौन डोलेगा। एक पटवारी के सर्कल में ३॥ हजार ४ हजार खसरे होते हैं। उनके साथ एक एक खेत में कौन डोलेगा। कोर्ट में दिन प्रति-दिन लोग जायेंगे, किसी पर किसी का कब्जा बतायेगा। पटेल जो था उसको तो सब पता रहता था, वह तो जिसकी काश्त है उसी का दर्ज करता था।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लम्बरदारी प्रथा जो आप समाप्त कर रहे हैं वह न करें। अब आप पटवारी जो वसूल करेगा उसको माहवार कुछ वेतन के रूप में देंगे। आज

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

पटवारी से सिर्फ २५० रु० की जमानत ली जाती है उस पर आपको इतना भरोसा करना पड़ेगा। एक जो पटेल होता था वह बिना किसी जमानत पर मुकर्रर किया जाता था उसको देखा जाता था कि यह किस प्रकार का आदमी है दिवालिया तो नहीं है। वही पटेल सरकार की लैन्ड रेवेन्यू उगाता था वह एक प्रकार से किसानों के ऊपर राजा बनकर बैठा है। आज पटेलों के बारे में कहीं भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। आपके अधिकारियों के खिलाफ कहीं रिश्वत के तो, कहीं गबन के आरोप हमेशा लगते रहे हैं। सरपंच और पंचों के खिलाफ भी इस प्रकार के केसेज़ हैं। मेरी तहसील एक ऐसी तहसील है जहां किसी भी पटेल के खिलाफ रिश्वत का या गबन का कोई मामला नहीं है। आप ज्योंही पटवारी को लैन्ड रेवेन्यू वसूल करने के अधिकार देंगे आपके सामने दिन प्रतिदिन गबन के मामले आयेंगे। आपको अपना राज्य चलाने के लिये भू-राजस्व की बहुत आवश्यकता है। बिना भू-राजस्व के राज्य चल नहीं सकता, भू-राजस्व के बिना राज्य आगे चलने वाला नहीं। टैक्स आप कब तक लगायेंगे; १२ महिने, दो साल ज्यादा से ज्यादा ६७ तक लगायें फिर तो आपमें खराब नौबत आयगी। कारण कि आप देखेंगे हर गांव में पटेल है, पांच छः दस पटेल हैं वे वातावरण को इतना खराब कर देंगे कि आपका आना फिर चुनावों में मुश्किल हो जायगा और दिन प्रतिदिन पटवारियों की शिकायतें आयगी। पटेल जो भू-राजस्व वसूल करता था अपनी जिम्मेदारी पर करता था किसी के पास पैसा घट भी जाता था तो वह अपने पास से जमा करा देता था। पटेल को कोई भी आकर कह देता मैं इतने ही पैसे लाया हूं बाकी के आपके पास से जमा करा दो मैं शाम को पुगा दूंगा। स्थानीय पटेल जो होता है उस पर इतना विश्वास होता है। मैं पटेल यहां पर एक ही हूं और कोई बाड़दार है, कोई जागीरदार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे पटेलाई की बात कहने दीजिये। उपाध्यक्ष, महोदय मैं सारी विधान सभा में एक ही पटेल हूं। मुझे पटेलों की बात तो कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय बाकी नहीं है ? आप विषय पर ही बोलिये।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं पटेलों की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक मेम्बर को भाग लेना है, अतः आप अपने भाषण को जल्दी समाप्त करिये। प्रारम्भ रखिये।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल जो आप लाये हैं इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं यह बात बता रहा था कि अगर कोई किसान जमा कराने के लिये दो रुपया भी कम लेकर आया तो पटवारी अपने पास से नहीं देगा, उसको लेने के लिये वापिस अपने गांव जाना पड़ेगा; लेकिन पटेल वह आदमी होता है अपनी तरफ से पैसा देता था चाहे उसको एक महीने बाद भी क्यों न मिले, अब आपने साल में दो दफा जमा कराने का रखा है।

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

अगर कोई समय पर जमा नहीं कर सका तो उस पर सरचार्ज आप लगायेंगे। इस तरह से मेरा निवेदन है कि या तो इस बिल को वापिस ले लिया जाय और पटेलाई समाप्त न की जाय। अगर इसको लाना ही है तो पहले इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, फिर इस पर सोच-विचार किया जाय तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दें, ताकि इस बिल पर डिबेट समय पर समाप्त हो सके। अगर इस तरह नहीं चला गया तो समय और बढ़ाना पड़ेगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल फैक्ट पर ही चलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में यह एलान किया था कि लम्बरदारी प्रथा को हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं निवेदन करूं कि सरकार द्वारा कलेक्टर्स से कुछ राय मांगने का प्रयत्न किया गया। कई कलेक्टर्स ने इस चीज के बारे में सरकार के नोटिस में लाकर के बता दिया कि यह प्रथा चलने की नहीं है। लम्बरदारी कायम रखी जावे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लम्बरदारों द्वारा भू-राजस्व की वसूली का प्रश्न है, चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले हों किसी ने विरोध नहीं किया हर माननीय सदस्य ने इस लम्बरदारी प्रथा को खत्म करने के कदम को रोका। मुझे समझ में नहीं आता, राज्य सरकार ने यह कैसे मान लिया जब कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था चली आ रही थी, उसको खत्म कर रही है। एक तरफ तो सरकार यह मान कर चल रही है कि हमारे सामने आपत्कालीन स्थिति है, बजट में घाटा है। जनता के स्वास्थ्य के लिये शफाखानों का इन्तजाम नहीं कर पा रही है, शिक्षा का इन्तजाम नहीं कर पा रही है, वैसी हालत में लम्बरदारी प्रथा को आप खत्म कर रहे हैं। आपके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ७,२०० पटवारी हैं। पटवार कार्यालय को बनाने के लिये क्या क्या सरकार को खर्च करना पड़ेगा, बहुत बड़ा खर्च होगा। एक पटवार सर्कल पर करीब ६,८०० रूपया खर्च करना पड़ेगा। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि माननीय उप-राजस्व मंत्री इस बात को महसूस करेंगे आज ज्यादातर पटवारी झोपड़ियों में रहते हैं और उनके कागजात एक बस्ते में रहते हैं। जब आप भूराजस्व वसूली का कार्य उनको सौंप देंगे तो क्या वे रकम रखने के लिये सेफ की मांग नहीं करेंगे, तिजोरी नहीं मांगेंगे; क्या रकम को लाने ले जाने केलिये गार्ड का इन्तजाम नहीं करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं सरकार के जो भूराजस्व के आंकड़े हैं उनके अनुसार ३ करोड़ ६५ लाख की आय भू राजस्व से होती है, उसमें पांच पर्सेन्ट के हिसाब से लम्बरदारों को दे रहे हैं, उसके लिये सरकार को केवल १८ लाख २५ हजार रुपये देने पड़ते हैं। वह खर्चा तो होगा ही, पटवारियों

(श्री चन्द्रसिंह वर्फा)

को भी देना पड़ेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय सदस्य जो भू-राजस्व की आमदनी ३ करोड़ और कुछ लाख बता रहे हैं यह गलत है। भू- राजस्व की आमदनी ६ करोड़ से ऊपर है।

श्री चन्द्रसिंह वर्फा : मैं अपने फीगर्स को संशोधित कर लेता हूं। आखिर इतनी आमदनी है उसके अनुपात में लम्बरदारों को आपको देना पड़ता है। उतना ही आप अब पटवारियों को देंगे। मैं राजस्व उप-मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आज तक किसी पटेल के खिलाफ या लम्बरदार के खिलफ कभी कोई केस चला है वे अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते चले आ रहे हैं, सरकार के हाथ मजबूत करते चले आ रहे हैं। पंचायतों को यह काम सौंप दिया जाय तो मेरा इस संबन्ध में निवेदन है कि वसूली का समय निर्धारित रहता है उस वक्त हर समय पटवारी के साथ एक आदमी को रहना होगा। पंच-सरपंच जो होंगे जो क्या पटवारी के पास सुबह–शाम बैठे रहेंगे–मेरी समझ में यह काम पंचायतों के जिम्मे रखना संभव नहीं है। वैसे ही पंचायतों के पास बर्डन बढ़ रहा है। यह सरकार भी जानती है। उनको ज्यों-ज्यों हम ज्यादा अधिकार देते जा रहे हैं वैसे पंचायतों में काम भी बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं समझता इस लम्बरदारी प्रथा को खत्म करने से सरकार को क्या फायदा होने वाला है।

इसी तरह से राज्य सरकार ने इस सेक्शन ६१ के तहत एक प्रावधान रखा है, १५ गुना ट्रेसपासर्स से लेने का प्रावधान रखा है। सरकार ने कभी सरकारी कर्मचारियों को इसके लिये बाध्य नहीं किया है। मैं निवेदन करूं वैसे ही जो प्रार्थना–पत्र तहसीलों में देते हैं, छ–छ महीने तक और साल साल भर तक उसके निर्णय में लग जाता है। जुबानी जमा खर्च कर देते हैं, आपकी सैंक्शन आ जाय, उसके बाद में ट्रेसपासर घोषित होता है उसके बाद में उसका गला घोटा जाने वाला है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह हो कि इस बिल को ही वापिस ले लिया जाय, नहीं तो इसे प्रबर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित)

(६.०० म. प.)

श्री जयलाल (डग) : इस कानून के द्वारा भू- राजस्व वसूली का काम नम्बरदार से हटाकर पटवारी को दिये जाने की जो बात कही गई है मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

यह तो एक प्रकार से अन्धे देवता के हाथ में न्याय का तराजू दे देना है। पटवारी अन्धा देवता है। वह न्याय में नहीं समझता। उसको पता नहीं कि किस तरफ का पलड़ा भारी है और किस तरफ का नीचे।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह पटवारी ग्रामीणों की परिस्थितियों को भी नहीं जानता।

(६.०१ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

Page No 77

(श्री जयलाल)

पटवारियों का कुछ प्रभावशाली व्यक्ति विशेष से सम्पर्क होने के कारण वे गरीबों पर दबाव डालते रहे हैं और इस मामले में भी डालेंगे। टीप करने के लिये हरेक खेत में जा जाकर करना चाहिये, पर आज वह अपने बढ़िया बंगले में बैठकर उस जमीन की फसल की कल्पना कर लेता है, उसकी टीप कर देता है । उसे इस बात की चिन्ता नहीं कि कौनसे खेत की क्या परिस्थिति है, इसे देखा जाय वहां जाकर, वह नहीं देखता । पटवारी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करता है । वह यह भी करता है कि जो सरकार अलॉटमेन्ट करती है उस अलॉटमेन्ट को भी पटवारी लोग नाजायज़ तरीकों से कैंसिल करवाने की कोशिश करता है, अगर उसको कुछ मिलता नहीं है तो ।

इन पटवारियों की यहां तक शिकायत सुनने में आती है कि गोचर भूमि को भी फड़वा देते हैं । कई दूसरी भूमियां फड़वा देता है । बिना अलॉटमेन्ट के भी फड़वा रखी हैं । पर इनका कोई इन्दराज अगर हम रेकॉर्ड में देखने जावें तो नहीं मिलता; वे रिश्वतें खाते हैं और नाजयज़ तौर से जमीनें फड़वा देते हैं और कब्जा भी दे देते हैं। रिश्वतें अगर कोई उनको न दे, जायज़ जमीन भी जो सरकार ने हुक्म कर दिया, अलॉटमेन्ट कर दिया, उसका भी वे कब्जा नहीं देते सालों तक । यही नहीं, बल्कि वह अलॉटमेन्ट कैंसिल करवाने की चेष्टा करते रहते हैं ।

ऐसे बदनाम पटवारियों को आज भू-राजस्व वसूली का भी काम सरकार देने जा रही है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें भी वे भ्रष्टाचार फैलावेंगे । नाजायज़ दबाव डालेंगे,नाजायज़ तरीकों से भू-राजस्व की वसूली वे करेंगे । जो समय निश्चित कर रखा है उसके बाद भी लोगों पर नाजायज़ दबाव डालकर भू-राजस्व की मांग करेंगे । इससे जनता पर काफी नाजायज़ प्रभाव पड़ेगा इसलिये जनता कहेगी कि रामराज की दुहाई देने वाले, प्रजातन्त्र और समाजवाद की दुहाई देने वाले कैसा उल्टा व्यवहार करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे और इस पटवारी का काम ग्राम पंचायतों को दे दिया जावे । पटवारी को तो कतई न दिया जावे, नहीं तो ग्रामीण जनता तबाह हो जावेगी । भ्रष्टाचार का चारों ओर बोल-बाला हो जावेगा । ग्राम पंचायत में हर गांव का मेम्बर पंच या मेम्बर के रूप में बैठता है, उसे गांव की सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है । वह गरीब अमीर को पहचानता है । इससे गांव को और किसान को सहूलियत मिल सकेगी । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापतिजी, यह राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६३, जो सदन में पेश किया गया है, उसके लिये मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर-समिति के सुपुर्द कर दिया जावे ।

इसलिये मैं नहीं समझता कि इस पर अभी वाद-विवाद चलाने की जरूरत है । पर फिर भी दो-तीन सुझाव देना पसन्द करूंगा ताकि प्रवर समिति भी उन पर गौर कर सके ।

जहां तक नम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रश्न है , एक हिसाब से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है । हमारे राज की सारी ग्रामीण व्यवस्था पर यह नम्बरदार और पटेल वर्ग छाया हुआ था और भिन्न-भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न इनके नाम थे और जैसी जैसी जिस जिस राज्य में व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इनका समाज पर, खास कर ग्रामीण और कृषक समाज पर व्यापक और गहरा प्रभाव था । काम इनका केवल इतना ही नहीं था कि भू-राजस्व की वसूली में सहायता करना, बल्कि पुरानी व्यवस्था के ये एक तरह से प्रतीक थे । जहां तक मेरा अनुभव है, हो सकता है औरों का मेरे से भिन्न हो, मैं अपने इलाके के अनुभव की बात कहता हूँ! आज से बीस साल पहले तक गांव की जनता नम्बरदार और पटेल को पहले जानती थी, और राजा को उसके बाद । जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां की स्थिति का मुझे ज्ञान है कि वहां के तीन चार नम्बरदारों के हाथ में सारी गांव की समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पुलिस और पटवारी के अधिकार भी एक हद तक उन्होंने समेट रखे थे और ये नम्बरदार, पुलिस और पटवारी तीनों मिलकर छोटे लोगों को दबाने का काम करते थे । तो आज वह स्थिति नहीं रही । युग परिवर्तन हुआ है, जनता जागृत हो गई है, लम्बी गुलामी के बाद आजाद हुई है और जनता अपने विचार, दुःख और दर्द सीधी, तेज भाषा में व्यक्त भी करने लगी है । इसलिये मेरा तो निवेदन है कि जहां तक नम्बरदार को हटाकर पटवारियों द्वारा भू-राजस्व की वसूली कराने का प्रश्न है यह गहराई से सोचने का प्रश्न है । इसी दृष्टि से स्वतन्त्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने भी कहा है कि नम्बरदार को मुआवजा दिया जावे । इससे मैं सहमत नहीं हूँ । पर एक बात जो जानता हूँ कि इससे असुविधाएं जरूर होंगी और गबन के मामले भी बढ़ेंगे । पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनके बदले दूसरों को रखने की व्यवस्था की जाय । इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

पहले भी मैं इस बारे में कह चुका हूँ और आज भी मेरा विचार वही है कि भू-राजस्व वसूली का काम ग्राम पंचायतों को देना चाहिये । इसके पीछे कारण हैं । पटवारी भाग सकता है । ग्राम पंचायत का सरपंच भाग नहीं सकता । हो सकता है कुछ ऐसे निकल जावें । पर गबन की कम सम्भावना रहेगी । दूसरी बात यह होगी कि जो कमीशन नम्बरदारों को आप देते थे वह अब ग्राम पंचायतों को मिलेगा । कमीशन के रूप में आपका चालीस-पचास लाख रुपया जाता था । अगर सारे राजस्थान की ९ करोड़ की आय मानें तो इसके हिसाब से ६० लाख रुपया कमीशन का जाता था । अब अगर आपका वह ६० लाख रुपया ८ हजार पंचायतों को मिल जावेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का यह एक बहुत बड़ा साधन हो जावेगा । अभी यह हो रहा है, आपने ग्राम पंचायत तो बना दीं, पर ग्राम-

(श्री रामकिशन)

दनी का श्रोत उनके पास नहीं है। अगर वह टैक्स लगाती है तो लोगों में उसके प्रति नाराजगी पैदा हो जाती है। तो यह नम्बरदारी वाला पैसा अगर उनको दिया जाता है तो ये सब समस्याएं सुलझती हैं। इससे ग्राम पंचायतों की स्थिति मजबूत होगी। गबन की सम्भावना भी कम होगी और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की धारणा को भी बल मिलेगा।

दूसरी स्थिति, सभापति महोदय, इसमें धारा ६१ में जो संशोधन किया गया है और तहसीलदार को अधिकार दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही घातक है। मैं नहीं समझता कि पटवारी और तहसीलदार किसी प्रकार का न्याय कर सकेंगे क्योंकि सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन जो व्यवस्था है माननीय उप-राजस्व मंत्री महोदय खुद उसे जानते हैं। यह कोई अमेरिका और यूरोप से तो आये नहीं हैं। अगर इनको सीधा अधिकार दे दिया गया तो भ्रष्टाचार की सम्भावना बढ़ेगी। नोटिस देंगे और उनको वापिस ले लेंगे और देने और लेने में ही भ्रष्टाचार हो जायेगा। क्योंकि अभी अभी मेरे क्षेत्र में देखने को मिला है कि नोटिस दे दिये और कुछ तय हो जाता है और नोटिस वापिस ले लेते हैं। इसमें ग्राम पंचायत या म्युनिसिपेलिटीज़ को जरूरी पार्टी बनाना चाहिए। अगर उनको सूचित नहीं किया गया तो म्यूनिसिपेलिटीज़ में, ग्राम पंचायतों में और सरकार के अधिकारियों में एक तरह का विवाद खड़ा हो जायेगा और जगह जगह झगड़े--टन्टे फल जायंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि धारा ६१ का संशोधन और पटवारियों को अधिकार देने के मामले में राज्य सरकार को जरूर दुबारा सोचना चाहिए। यह ठीक है, परीक्षण का ही प्रश्न है। हो सकता है अच्छा हो पर दोनों पक्षों पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना निश्चित है कि गबन को और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पटवारियों से हटाकर ग्राम पंचायत को अधिकार दीजिए। इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, जहां तक संशोधन विधेयक के द्वारा नम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रश्न है, मैं पूर्ण रूप से मेरे से पूर्व माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने जो कुछ कहा है उससे सहमत हूं। मैं माननीय उप-राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस अमेन्डिंग बिल के अन्दर जो हमने प्रावधान इस बात का रखा है कि यदि कोई भी ट्रेसपासर है तो १५ गुना लैंण्ड रेवेन्यू का देकर वह उस साल की प्रोड्यूस को गैंदर कर सकेगा। यह प्रावधान जो हम रखना चाहते हैं यह प्रावधान किसी भी तरीके से जस्टीफाइड नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, यह प्रावधान पिछले एक्ट में भी किसी न किसी रूप में रहा हो और सिर्फ भाषा इसकी बदली गयी हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग के नाम पर तो हम २० गुना मुआवजा देकर समस्त मिल्कियत के अधिकार लेते हैं काश्तकारों से और यदि वह ट्रेसपासर हो जाये तो सिर्फ उसकी एक साल की प्रोड्यूस को गैंदर करने के लिए हम १५

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गुना लैण्ड रेवेन्यू का चार्ज करना चाहते हैं सिर्फ उस साल की प्रोड्यूस को गेदर करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रोवीजन्स को यदि माननीय उप-राजस्व मंत्रीजी कम्पेयर करेंगे तो महसूस करेंगे कि यह ग्रोस इन्जस्टिस है, किसी भी काश्तकार के साथ कि उसको १५ गुना लैण्ड रेवेन्यू देना पड़े और उधर सीलिंग के लिए २० गुना मुआवजा देकर उसकी सारी मिल्कियत के अधिकार ले रहे हैं। आप तो प्रोड्यूस गेदर भी नहीं करने देना चाहते हैं जब तक कि आपको लैण्ड रेवेन्यू न दे दे। नतीजा यह होगा कि तहसीलदार हजारों काश्तकारों को ट्रेस्पासर करार देकर निकालेगा और जो काश्त उन्होंने की है वह बरबाद होगी और जो धान पैदा हो सकता था वह भी अनाज पैदा नहीं होगा। इसके अलावा जहां भी रिसीवर कायम किये हैं वह देखभाल नहीं करते, वह जानते हैं और जितनी भी प्रोड्यूस होती है वह बर्बाद हो जाती है, उसको मवेशी खा जाते हैं, लोग चुराकर ले जाते हैं और रिसीवर है उसका भी मुकम्मिल इन्तजाम नहीं रह पाता है। अभी उप-मंत्री जी कहेंगे कि यह तो अदालत को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दी हैं कि वह दुगुना या तिगुना ही लगाये। मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी इतने वुडन हैडेड हैं कि वे १५ गुना भी करते हैं। इसलिए इतना बड़ा अधिकार उनको नहीं दिया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप कोई पैनाल्टी प्रपोज करना चाहते हैं तो वह ५ गुना पैनाल्टी लैण्ड रेवेन्यू की इम्पोज कर सकते हैं। इसलिए इस पर बहुत ही बेसिक थिंकिंग करने की जरूरत है। इसके साथ ही माननीय उप-राजस्व मंत्रीजी को भी गहराई में जाना चाहिए कि जो ट्रेस्पासर हैं वे ट्रेस्पास क्यों करते हैं ? वे इसलिए करते हैं कि आप अलॉटमेंट करते नहीं हैं, तहसील कमेटी अलॉटमेन्ट नहीं करती है और उधर आपकी लाखों-करोड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है और उसका कोई भी उपयोग नहीं है और हजारों और लाखों इस तरह के एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं जो कि जमीन के लिए तरसते रहते हैं और उनको जमीन नहीं मिलतीहै और आप उनके लिए जमीन का कोई इन्तजाम नहीं करते हैं। आपको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि आपके यहां एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है या नहीं। आप तो कहेंगे कि हमने तो अलॉटमेन्ट रूल्स लागू कर दिये और अब तहसील कमेटी जाने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे देश की कृषि नीति को निर्धारित करता है और उसमें उत्पादन पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। मैं हमारे राजस्व मंत्रीजी से कहूंगा कि जब तक हमारी एक करोड़ ३५ लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी रहेगी और ३ लाख ८० हजार आदमी बिना जमीन के रहेंगे तब तक ट्रेसपासर जारी रहेगा। इसलिए जो यह सोशियल फिनोमिना है, जो हमारे सारे राजस्थान में है, इसको दूर करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जितनी आपके पास में कल्टीवेबल जमीन पड़ी है उसको जल्दी से जल्दी अलॉट करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने का मौका मिल जाये।

साथ ही साथ आपके तहसीलदार खुद कार्यवाही कर सकता है ट्रेस्पासर के खिलाफ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तहसीलदार को इस तरह के अधिकार देना चाहते हैं तो इसके साथ में ही जो प्रोसीडिंग्ज् चलें उसमें आपकी लोकल ऑथोरिटी, चाहे वह म्युनिसिपेलिटी हो, चाहे पंचायत हो उसको भी नैसेसरी पार्टी के तौर पर रखना चाहिए क्योंकि बहुत से शहरों में और गांवों में जो आबादी जमीन में मकान बने हुए हैं उनके पास में पट्टे नहीं हैं और अगर आपके तहसीलदार ने उनको नोटिस दे दिया कि आप पट्टा लाइये और पर्मीशन लाइये तो हो सकता है कि वे कोई भी प्रोपराइटरी राइट्स का पट्टा नहीं दिखा पायें क्योंकि इसमें बहुत से कॉम्प्लीकेशन्स खड़े हो सकते हैं और अगर वह लोकल ऑथोरिटी होगी तो कम से कम गवाही तो दे सकती है कि इसको जमीन किस प्रकार से, कहां से मिली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तहसीलदार को अधिकार देते हैं मुझे मोटो का, वहां पर लोकल ऑथोरिटीज् को पार्टी रखा जाये और उनसे पूछा जाये कि कहीं उन्होंने ही तो अलॉटमेन्ट नहीं कर दिया है, कहीं उन्होंने ही तो उनको जमीन नहीं बेच दी है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो ट्रेसपास का लॉ बनाया है, उसका जो इम्प्ली-मेन्टेशन है वह गरीबों के खिलाफ में रहा है और जो बहुत बड़े लोगों ने ट्रेसपास किये हैं उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। आज भी आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि गोगामेड़ी रामगढ़ पंचायत में जो १२६ प्लॉट्स काट कर बेच दिये गये उनको कैन्सिल कर दिया गया। लेकिन जितने भी १२६ प्लॉट्स दिये गये हैं जिनकी आमदनी कम हो........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

लेकिन हो सकता है वे आज भी सारे के सारे लोग काबिज बैठे हों....

श्री **सभापति** : आप समय का ख्याल रखें।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आज अगर सही ट्रेसपासर्स के खिलाफ एक्शन लिये जायं तो आपको करोड़ों की आमदनी इस तरह की हो सकती है, लेकिन आपके विभाग से जो वास्तव में ट्रेसपासर्स हैं और जिनको हटाया जाना चाहिए आपकी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होती है और जब आपकी तरफ से कार्यवाही होती है तो उनके खिलाफ होती है जिनके पास में एक बीघा भी जमीन नहीं है या २०० गज का टुकड़ा भी नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो कार्यवाही हैं और यदि आप लॉ में सबको बराबर मानते हैं, तो निहित स्वार्थ के लोगों के खिलाफ कार्यवाही सबसे पहले की जानी चाहिए और कड़ाई के साथ उनको जमीन से निकाला जाना चाहिए, जिसके ऊपर कि उनका कोई अधिकार नहीं है।

श्री **सभापति** : श्री वाइ० एन० हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, इस बिल के द्वारा जो लम्बरदारी को समाप्त किया जा रहा है असली तौर पर मैं इस बात से सहमत हूं । मुझे वह दिन याद है जब कि प्रजामंडल के नाम से या प्रजा परिषद् के नाम से सियासी कार्यकर्ता अपने इलाके में काम किया करते थे और उन दिनों के राजा लोग जब यह चीज बर्दाश्त नहीं करते थे तो उनके खिलाफ राज-द्रोह के झूंठे मुकदमे बनाते थे और उसमें लम्बरदार क्या पार्ट प्ले किया करते थे, वह दिन मुझे अब भी याद है कि किस तरह से झूंठे गवाह देकर, झूंठी शहादतें देकर, सारा केस बना कर बांधना, यह लम्बरदारों का काम था। इसलिए मैं सोचता हूं कि पुरानी सामन्ती प्रथा के अवशेष के रूप में आज हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं । यह सब तो इसलिए मैं कहता हूं कि असली तौर पर इसको कांग्रेस सरकार को आज से १० साल पहले कर देना चाहिए। इसमें इसलिए देरी आ गई, महज इसलिए कि कुछ पैसा मिल जायगा इस प्रथा को चेन्ज करने से, लेकिन पैसा गौण है, उसूली तौरों में इसका स्वागत करता हूं ।

दूसरी चीज यह है कि सारे का सारा अधिकार वसूली का सरपंचों की इन्टीग्रेटी में विश्वास नहीं करते हुए, पंचायतों के बुनियादी तौर पर उनके बेस को स्वीकार नहीं करते हुए, पटवारी को इतनी ताकत देना, मैं समझता हूं यह गलत चीज है । अगर आज की सरकार जो समाजवादी व्यवस्था करना चाहती है वह यह कहे कि पटवारी इस काम को अच्छी तरह से कर सकेगा तो मैं जानता हूं कि १०० में से ५० पटवारी ऐसे लोग हैं कि जिनका न कोई घर है, न बार है, जिनके न बच्चे हैं, न बीबी है। यह कहना कि पंचायतें वसूली नहीं कर पायेंगी, सरपंच पैसे लेकर भाग जायगा, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं । हर सरपंच के उस गांव या उस इलाके में जमीन होगी । उसकी वहां पर बिरादरी रहती है, गांव में उसके सम्बन्धी रहते हैं, उसके लिए यह कहना कि वह रकम के साथ भाग जायगा, यह गलत है । सरकार को ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए कि सरपंच में विश्वास पैदा हो, सरकार को ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए कि इस व्यवस्था में जनता का विश्वास हो। आप एक व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं । मैं यहां पर पटवारी की हिस्ट्री बयान नहीं करूंगा । मैं यह कहता हूं कि अगर उनकी हिस्ट्री बयान करने लगूं तो बहुत बड़ा काव्य बन जायगा ।

पटवारी क्या करता है ? गिरदावरी में गलत इन्द्राज; क्या करता है कि जमीन जो खाली पड़ी है उस पर काश्त करवाता है और सरकार के कागजों में वह खाली रहती है । वह वसूली करने जाता है तो पटवारी के हल्के में ७-७, ८-८ गांव होते हैं उनमें वह २-२, ४-४ रुपया फी मुरब्बा टैक्स का लेता है । आजकल तो जब ये सारे के सारे अधिकार मिल जायेंगे तो आप यह नहीं सोचते कि इस वातावरण में, जो कि अब भी है रिश्वत का, दलाली का, उसमें इस बिल को ला रहे हैं उससे कोई फायदा होगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं । इसलिए यह सब कह कर कि पटवारी को सारे पॉवर्स देने की बात मैं समाजवाद के अनुकूल नहीं समझता, पंचायती राज्य के अनुकूल नहीं समझता । ये सारी की सारी बातें कायम रहेंगी । इन पटवारियों को

(श्री केदारनाथ)

पॉवर्स नहीं देकर पंचायतों को देना चाहिए। यह सब कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : सभापति महोदय, जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल सदन के समक्ष पेश हुआ है, उसके ४ मुद्दे हैं :—

(१) एक तो यह है कि लम्बरदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। वसूली की कार्यवाही पटवारी को सौंपी जाय।

(२) दूसरा यह है कि जो ट्रेसपासर्स हैं उनके सम्बन्ध में जो पहले यह प्रावधान था कि वह १५ टाइम्स तक हर्जाना लिया जाता था लैण्ड रेवेन्यू का, उसके स्वरूप में अब यह रखा जाय कि हर साल का वह १५ गुना दे।

(३) तीसरा यह है कि जो आज स्वरूप यह है कि पहले जो कमिश्नर या लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर द्वारा उनके नीचे की अदालतों को उनका रेकॉर्ड मंगाने का जो प्रावधान था वह प्रावधान कलेक्टर को भी दे दिया जाय।

(४) चौथा यह है कि चरागाह व आबादी की जमीन लोकल ऑथोरिटीज़ को पहले सौंपी गई थी, तो चरागाह की ऑथोरिटी लोकल ऑथोरिटी की एप्लीकेशन पेश करती है तहसीलदार के समक्ष, उस समय ही तहसीलदार दफा ९१ राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करता था। अब इस बिल के जरिये सरकार यह भी चाहती है कि तहसीलदार स्वयं को यह अख्त्यारात दिये जायं कि वह भी, यदि ट्रेसपासर कोई हो तो, उसमें अपनी तरफ से कार्यवाही कर सकेगा।

जहां तक जो चौथा प्रश्न है इसके सम्बन्ध में वाजिब सा एमेंडमेंट प्रतीत होता है, क्योंकि लोकल ऑथोरिटी को जो पॉवर्स हैं ट्रेसपासर्स के बारे में एप्लीकेशन तहसीलदार के समक्ष पेश कर देने के वह छीने नहीं जा रहे हैं, बल्कि तहसीलदार को भी एक पॉवर दिया जा रहा है जो वाजिब है; परन्तु इसके सम्बन्ध में लोकल ऑथोरिटी को पार्टी बनाया जाय। यह जो अमेन्डमेंट एक सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करता हूं। अतः इस धारा में तहसीलदार को जो पॉवर्स दिये गये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं।

इसके अतिरिक्त जहां तक कलेक्टर्स को भी यह पॉवर्स दिये गये हैं कि वह अपने नीचे की अदालतों का जो रिकॉर्ड है उसका निरीक्षण कर सके, मंगवा सके, उसका भी मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि पहले जो यह एक्ट था उसमें यह कमी महसूस होती थी कि कलेक्टर को यह प्रावधान नहीं रखा गया है जिसमें कि रिकार्ड को वह तलब कर सके।

दूसरी जो यह बात रखी गई थी कि अगर कोई ट्रेसपासर्स है उससे १५ गुना तक पैनाल्टी के रूप में एन्युअल रेन्ट लिया जायगा। इस एमेंडिंग बिल में जो ये शब्द जोड़े गये हैं 'ईच एग्रीकल्चरल ईअर' इसका मैं विरोध करता हूं। प्रश्न यह है कि जहां

(श्री गंगासिंह राठौड़)

तक इस बात का संबन्ध है कि कोई सरकारी जमीन पर जबरदस्ती से ट्रेसपास करता है और वह एक साल के बाद में बराबर नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी कब्जा रखता जाता है तो मैं यह समझता हूं कि यह प्रावधान जो लगा रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। परन्तु ऐसे ट्रेसपासर्स भी राजस्थान के अन्दर हैं जो केवल इस तरह के ही नहीं हैं, परन्तु और तरह के भी हैं। जैसा की पुराने समय से जो जागीरदारों के काश्तकार थे....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वे काश्तकार जागीरदारों के समय से आते हैं,परन्तु आपके रिकार्ड के अन्दर उनको खातेदारी या अन्य काश्तकारी हक मिला हुआ नहीं है और रिकॉर्ड में ट्रेसपासर्स दर्ज होते जा रहे हैं। जब कि वस्तु स्थिति में वो ट्रेसपासर्स नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बात हैं कि सरकार और टीनेन्ट के बीच में कोई झगड़ा पैदा हो गया है और वह लगातार ८–१० साल तक झगड़ा चलता है तो जब तक झगड़ा चलता है तब तक रिकार्ड में ट्रेसपासर्स दर्ज होता रहेगा। हो सकता है कि १० वर्ष निकल जायं वो काश्तकार हार जाय तब है। मान लें कि एक साल की बीघोड़ी १००) रु० होती है। आप १५ गुना जुर्माना कर सकते हैं। एक साल के लिए १५००) रु० जुर्माना कर सकते हैं। १० साल से रिकार्ड में आपके और टीनेन्ट के बीच में झगड़ा है और वह आपके हिसाब से ट्रेसपासर्स है तो उस पर १५ हजार तक का जुर्माना हो सकता है। वैसे उसकी कीमत पर जायं, जो वह जमीन बेची जाय, उससे भी ज्यादा जुर्माना हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ज्यादे से ज्यादा कितना जुर्माना ले सकती है, उसका प्रावधान इसके अन्दर जरूर होना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके अतिरिक्त मैं यह समझता हूं, सभापति महोदय, कि जहां तक लम्बरदारी के खत्म करने का प्रश्न है, लम्बरदारी खत्म करने के बाद वसूली पटवारियों के मारफत की जायगी, तो अब भी पटवारियों पर केसेज़ चल रहे हैं,गबन वगैरह के काफी चल रहे हैं, उनके आधार पर मैं यह समझता हूं कि चाहे लम्बरदार रखें या न रखें पटवारियों के साथ में एक आदमी अवश्य रखना पड़ेगा जिससे गबन के मामले जो इतने हो रहे हैं वे न हो सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : Hon'ble Deputy Minister.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हमारी पार्टी के केवल ५ सदस्य ही बोले हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, इधर से कोई नहीं बोला है। हमको ५ मिनट का समय दिया जायगा।

श्री सभापति : समय का अभाव है। इसलिए माननीय उपमंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत ही आवश्यक बातें कहनी हैं। हमारी तरफ से एक भी नहीं बोला है।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जो यह (अमेन्डमेन्ट) बिल आपके सामाने है उसमें कांग्रेस ने बहुत दिनों से जिस चीज को पास किया था उसकी पूर्ति के लिए सरकार नंबरदारी प्रथा खत्म करने के लिए लाई है और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि इससे दुःख और कष्ट गांवों में होता था. उससे बहुत पीड़ित होने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में कांग्रेस की यह पॉलिसी रही है कि इस सारे मामले में ५ परसेन्ट खर्चा होता है वह पंचायत जो चुनी हुई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको दिये जाने की बात कांग्रेस ने मानी है सिद्धान्त के तौर पर। लेकिन मैं उसको इस बिल में नहीं पाता। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस बिल में उस बात को क्यों नहीं लाये हैं, क्योंकि यह फैसला सरकार का उससे मिलता हुआ नहीं है जो हमारे जजबात हैं। यह तरीका तो 'कान्या की टोपी मान्या पर' रखने का हुआ। इस सिलसिले में सरकार से मैं कम से कम यह कहना चाहूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट बिल में पंचायतों को ५ परसेन्ट देने का प्रोविज़न रहना चाहिये। वह पंचायतों को दे दिया जाय। पंचायतों के बारे में किसी तरह का तर्क लागू नहीं होगा। आज पंचायत के संबंध में इस तरह की आशंका उपस्थित करना उचित नहीं है। जिस तरह से आप चुने हुए हैं उसी तरह से पंचायत वाले भी चुने हुए हैं। उनके बारे में यह आशंका करना कि कोई लेकर भाग जायगा, उचित नहीं है। आज कोई लेकर भाग जाता है तो आप उसका क्या कर लेते हैं? इसलिए आपको यह अमेन्डमेन्ट जरूर स्वीकार करना चाहिये। कब करेंगे, यह देखा जा सकता है; लेकिन हमें संतोष दिलाने के लिये इस चीज को बिल में लाना चाहिये।........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छी बात है साहब, दो मिनिट ही सही।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आपने पटवारियों को यह काम देने का रखा है, पटवारियों का एरिया बहुत बड़ा है। वे जब टी. ए. और डी. ए. का पैसा बनाना शुरू करेंगे तब इस पर कितना खर्चा आयगा इसको आपने केल्कुलेट किया है क्या? इसका कितना असर गांव वालों पर पड़ेगा, यह भी केल्कुलेट किया है क्या। इसका जो खर्चा बैठेगा वह ५ परसेन्ट बचत के बजाय कहीं और अधिक तो नहीं हो जायगा और इस कारण नुकसान तो नहीं होगा, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिये। मैं समझता हूं बचत से खर्चा अधिक बैठेगा इसलिये भी पंचायतों के लिये इसमें अमेन्डमेन्ट करदें।

अब मैं आता हूं ट्रेसपासर्स की बात पर। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ट्रेसपासर्स कौन हैं। ट्रेसपासर्स वे हैं जिन्होंने हुकूमत को मजबूर किया है कि जो इल्लीगल कब्जे किये हैं उनको लीगल करो। ऐसे लोगों को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ट्रेसपास करने का एन्करेजमेन्ट मिला है। सन् ६१ में जिन्होंने ट्रेसपास किया था उनसे जो कानून बनाने वाले हैं वे दबते रहे और अच्छी से अच्छी जमीन ऐसे लोग अपने कब्जे करते रहे और आपको बाद में लीगल मानना पड़ा। मैं यह दावा करता हूं कि ६० परसेन्ट ऐसे लोगों ने ट्रेसपास किया है जिनका कुछ न कुछ सहारा था। गांव-गांव में इसकी चर्चा चली, लेकिन अपनी सरकार ने उनके सामने घुटने टेक कर उसको कानूनी करार दे दिया। आप इसको ऐसे ढंग से ला रहे हैं कि तहसीलदार को आपने विश्वकर्मा बना दिया है। वह चाहे जिसको ट्रेसपासर करार दिलवा दें, चाहे जिसको इससे अलग कर दें, दो हजार की जमीन तीन हजार में दिलवा दें और वह चाहें तो १००) रुपये फैसला करवा दें। मैं समझता हूं जिन कलेक्टर्स और तहसीलदारों के इलाकों में ट्रेसपास हुए हैं उनको कभी आप ने पूछा है क्या, उनका एक्सप्लेनेशन मांगा है क्या? कभी उनको वार्निंग दी है क्या? ऐसे लोगों के हाथ में आप अधिकार देने जा रहे हैं।

मैं अजमेर की बात कह रहा हूं। म्युनिसिपल कमेटी ने सारा शहर बसा दिया, यह भी भूल गये कि जो लोग रेवेन्यू देते थे, शामलात की देते थे उनको आपने मिल्कियत डेढ़ लाख रुपयों की ले ली। उनकी सारी जमीन पर अजमेर बस गया, सारी जमीन की वे रेवेन्यू देते थे, क्या उनके बारे में आपने कभी कलेक्टर से पूछा है? बहुत से मजदूर बेकार हो गये। बहुतों को आप मकान बनाने की इजाजत नहीं देते। सवाल यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को ट्रेसपासर्स के अन्दर इस तरह की ताकत दे रहे हैं इस पर लगाम लगाइये, उनकी अपील हो, सुनवाई हो, बगैर लगाम के चीज नहीं चलने दी जाय। ट्रेसपासर्स अन्दर घुस गये हैं, हुकूमत उनसे रक्षा नहीं कर सकती, उसके लिये कानून चाहिये। जिस सरकार के अफसर ऐसे पहुँच गये हैं जो अपने एरिया में कभी घूमते नहीं। दो दो साल तक लोग कब्जा किये रहते हैं और उनको पता नहीं चलता और फिर कहते हैं कि उनको हटा नहीं सकता। हम सरकार का इतना बजट पास करके उनको इतनी तनख्वाह देते हैं, वे सरकार को यह भी खबर नहीं दे सकते कि कौन कब्जा किये हुए हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में गवर्नमेन्ट की जमीन सन् ६१ में किसने दबा ली थी और एक हरिजन की जमीन जिसने सबलेटिंग में ली थी उसको ट्रेसपासर्स मान लिया गया और ३ साल हो गये लड़ते-लड़ते, अभी तक कुछ नहीं हुआ।

इस तरह से लोगों को कितनी निराशा होती है। मैं यह नहीं कहता कि आपने उसके लिये किया। आपने सन् ६१ में कानून बनाकर जो इल्लीगल बात थी उसको लीगल कर दिया, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ऐसे लोगों के पास जमीन चली गई है, ऐसे लोगों ने दबाली है जिनसे आप छुड़ा नहीं सकते इसलिए सोचा होगा कि जाने दो कौन इनसे सरपच्ची करे, इसलिये सन् ६१ में आपने कानून बना दिया। मैं वार्निंग देता हूं कि इस प्रक्रिया को रोका जाय और ठीक तरह से काम किया जाय। इस वार्निंग के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बाद भी आपने कुछ नहीं किया, तो यह आपके लिये ही बुरी चीज होगी ।

श्री सभापति : श्रीं हरिप्रसाद शर्मा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है । लैंड रेवेन्यू की वसूली किस तरह से की जाय, यह काम पटवारियों को सौंपने की बात चल रही हैं । आज पटवार जन-जन में उलझ गया है । पटवार कैसी है यह आप सभी जानते हैं । पटवार भ्रष्टाचार का अंग है, इसमें दो राय नहीं होगी । सभापति महोदय, जहां तक मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया रेवेन्यू वसूली के बारे में किसको दिया जाय । जहां तक पंचायतों का प्रश्न है मेरी यह राय है कि पंचायतों को दे दीजिये । उनकी ओर से कोई बाधा नहीं आने वाली है; जहां तक नियम बनाये हैं ग्राम पंचायतों में सेक्रेटरी का काम करने के लिये ग्राम सेवक को लगाया जा रहा है । ग्राम सेवक सेक्रेटरी के रूप में मिलने के बाद पंचायतों को योग्य कार्यकर्ता मिल जायेंगे और आपकी समस्या सुलझ जायगी । पटवारियों को आज भी इस प्रकार के पॉवर्स दिये हुए हैं कि वह सारे जन-जन में उलझ गया है । आज पटवारी जो कुछ कर सकता है वह मिनिस्टर नहीं कर सकता । पटवारी जिस प्रकार से खसरों में और गवर्नमेंट रिकार्ड में गलत एन्टरीज़ कर देते हैं जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है । मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहती है लेकिन ये अधिकार कार्यरूप में नहीं आ सकते । आपने १५ एकड़ भूमि देने की घोषणा की, लेकिन उस घोषणा की पूर्ति नहीं की गई । रेवेन्यू की जमीन पर किस किसने मकान बना लिये हैं उनकी रिपोर्ट आपने ३ महीनों में मांगी थी, लेकिन किस किस ने आपको इस बारे में रिपोर्ट दी । मैं जानता हूं कि आपको सही जवाब नहीं मिला । ट्रेसपासर्स के बारे में आपने जो सूचना मांगी थी, १५ एकड़ भूमि का प्रावधान रखा है लेकिन कोटा डिवीज़न में कम से कम ५० हजार किसान ट्रेसपासर्स हैं, भूमिहीन के नाम पर करोड़ों रुपयों की भूमि पर नाजायज़ कब्जा लोगों ने कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा रेट मांगते हैं । जिन लोगों को १५ एकड़ भूमि प्रोजेक्ट एरिया में दी है वह उनके लिये बहुत कम है । मैं कहता हूं कि भूमिहीन किसान पिछड़े हुए हैं, उनको २५ एकड़ भूमि दीजिये । साथ ही साथ दरड़ा बरड़ा फाड़ कर जिन्होंने कब्जा कर लिया है उनकी ओर भी ध्यान दीजिये । साथ ही साथ जो नम्बरदारों को समाप्त करने का कदम उठाया है मैं उसका स्वागत करता हूं ।

सरपंचों को देकर, पंचायतों को देकर उनका मार्गदर्शन करें ।

श्री सभापति : Hon'ble Deputy Minister.

श्री सागरमल (फुलेरा) : सभापति महोदय, एक मिनट मुझे दिया जाय....

श्री सभापति : अभी समय नहीं है ।

श्री सागरमल : बहुत सदस्यों को समय दिया है ।

श्री सभापति : दो बिल पास करने हैं।

Page No 88

श्री सागरमल : पांच मिनट में क्या फर्क पड़ता है ?

श्री सभापति : Hon'ble Deputy Minister.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १६६३ पर दो तरह के प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं-- एक इस अमर का कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, दूसरा इस अमर का कि इसको जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय । मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं । वास्तव में इस बिल में कोई नई बात ऐसी है नहीं कि जिसके बारे में जानता की राय जानने की जरूरत हो, या इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी में विचार करने की जरूरत हो । बहुत लम्बे अर्से से राजस्थान के अन्दर लम्बरदारी प्रथा का विरोध चला आ रहा था ।

कई बार इस सदन के माननीय सदस्यों ने, चाहे स्वतंत्र पार्टी के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे और किसी पार्टी के हों; इस प्रथा के विरोध में आवाज उठाई थी । सदन के माननीय सदस्यों की इच्छाओं का आदर करते हुए पहली बार इस बात की घोषणा की गई कि इस प्रथा को समाप्त किया जाय । इस प्रथा को समाप्त करने में देरी अवश्य हुई है । इसका करण यह था कि बिल पेश करके एक्ट में अमेंडमेंट करना था और इसका ऑल्टर्नेटिव क्या हो, इसके सम्बन्ध में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना था । मुझे आज बड़ा खेद हुआ जब मालूम हुआ कि स्वतंत्र पार्टी के करीब करीब सभी सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि लम्बरदारी प्रथा समाप्त की जाय । उनकी बातों से यही मतलब निकलता है कि यह प्रथा पुरानी है, अनुभव प्राप्त एजेंसी है, जिसको कायम रखना चाहिए । मैं इसके उत्तर में कुछ नहीं कह सकता । यह केवल एक पोलिटिकल स्टन्ट है, जिसे आगे चल कर चुनावों में काम में लिया जायगा या सहानुभूति प्राप्त की जायगी । इसके अतिरिक्त इस विरोध का कोई अर्थ सदन के अन्दर नहीं हो सकता । सदन के और सभी माननीय सदस्यों ने इसकी समाप्ति का स्वागत किया है और स्वागत करने के साथ साथ कई माननीय सदस्यों ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं । आशंकायें इस प्रकार की कि लम्बरदारी प्रथा की समाप्ति हो जाने के बाद जो प्रथा या जो एजेन्सी हम कायम करने जा रहे हैं इस बिल के अन्दर वह इसको सुचारु रूप से कर सकेगी या नहीं ? यह एजेन्सी पटवारी हो या पंचायत हो ? इस तरह के भिन्न भिन्न विचार सामने आये । कुछ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि पटवारियों के बजाय ग्राम पंचायतों को इसकी एजेन्सी बनाया जाय । इस मामले पर सरकार ने बहुत विचार किया लेकिन इसके अन्दर कई कारण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इस समय सरकार अपने आपको इस परिस्थिति में नहीं पाती कि रेवेन्यू की वसूली का काम ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय । उसके कई कारणों में से मुख्य कारण मैं आपके सामने रखूंगा ।

एक कारण यह है, ग्राम पंचायतों के अन्दर पार्टी फिक्शन बहुत होते हैं, उन पार्टी फिक्शन्स की वजह से जो रियलाइज़ेशन का कार्य है वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और उनके आधार पर विरोधाभास उनके कर्त्तव्यों में आ सकता है। साथ ही साथ रियलाइज़ेशन का काम आज जो एजेन्सी करती है यह करेगी, वह लैंड रेवेन्यू के रियलाइज़ेशन का काम ही नहीं है, लैंड रेवेन्यू तो केवल नौ-दस करोड़ की है, इसके अलावा भी स्टेट की दूसरी ड्यूज़ हैं, जो लैंड रेवेन्यू से कहीं अधिक मात्रा में हैं-- इस तरह दस-बीस करोड़ रुपये की वसूली का सवाल है, उसको ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दें, यह उचित प्रतीत नहीं होता। वास्तव में डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की स्कीम हमारे राजस्थान में धीरे धीरे लागू होगी, अभी तीन साल से ही यह लागू हुई है और तीन वर्ष के अनुभव से हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि फिलहाल इस चीज की व्यवस्था पंचातों को देदी जाय। इसके अलावा पंचायतों के जितने टैक्सेज़ की वसूली है वह सारी रेवेन्यू विभाग से पटवारी करके देता है। जो पंचायत आज इस स्थिति में नहीं आई हो कि अपने ड्यूज़ को, अपने रियलाइज़ेशन को, अपने द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली कर सके, वह निश्चय ही इस स्थिति में नहीं है कि करोड़ों रुपये की वसूली कर सके। फिर उन पर करोड़ों रुपये की वसूली का भार कैसे सौंप सकते हैं। मैं नहीं कहता कि राजस्थान में ऐसी स्थिति कभी नहीं आ सकती कि यह काम पंचायतों के सुपुर्द किया जा सके। लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि उस पर यह भार अभी सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिए हमने इस बिल में व्यवस्था की है कि लम्बरदार के बजाय रियलाइज़ेशन का, रिकूवरी का काम पटवारी करे। लेकिन इसके साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी है कि अगर सरकार कभी और कोई फैसला करे और पटवारी के स्थान पर कोई दूसरी एजेन्सी कायम करना चाहे तो वह कर सकती है। उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल सकती है और अलग से कानून में तरमीम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। अब ग्राम पंचायतों को यह काम नहीं दिया जा सकता। हमारी राय से तो पटवारी सफलता पूर्वक इस काम को कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में कई प्रकार की शंकायें प्रगट की गई हैं। एक शंका यह प्रगट की गई है, उसकी क्या सिक्योरिटी होगी, कहां रुपया रखेंगे, गबन बहुत होंगे--इस प्रकार की बातें रखी गईं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ये सारे विचार और आशंकायें सरकार के सामने थीं। इन सारी आशंकाओं पर विचार किया और विचार करके इन बातों का हल निकाला। एक योजना हम बना रहे हैं जिसके तहत पटवारी को फिडेलिटी बॉंड खरीदने पड़े सेन्ट्रल इन्श्योरेन्स पूल से। वे किस सीमा के होंगे। अभी आठ हजार की बात चल रही है। उसके तहत उसकी सिक्योरिटी होगी और उस सीमा तक इन्डेमनिफाई करेगा सेन्ट्रल इन्श्योरेन्स पूल। इतनी रकम तक अगर नुकसान हो जाता है तो सेन्ट्रल इन्श्योरेन्स पूल उस नुकसान के प्रति जिम्मेदार है उस एक्सटेन्ट तक, इस एक्सटेन्ट तक इन्श्योरेन्स पूल जिम्मेदार होता है तो कोई वजह नहीं है कि यह सवाल पैदा हो कि कहां से वसूल करेंगे, कैसे वसूल होगा। इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं।

इसके साथ साथ जो काम बढ़ जाता है,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

काम का लोड बढ़ जाता है तो उतने पैसे में ही वह कैसे काम करे, यह सवाल आता है। इस बात के लिए हमने निश्चय किया है कि जिस रोज से पटवारी काम करना शुरू कर देंगे, उस रोज से पन्द्रह रुपये माहवार उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जायगी।

इसके अलावा वे कहां रुपया रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसके लिए व्यवस्था की है कि हर पटवारी को एक सेफ दें, तिजौरी दें जिसे वह जमीन में या दीवार में गाड़ कर रख दें। इस सेफ के देने के बाद यह नियम बनाया है कि अगर उस पटवारी के पास पर्टीक्यूलर एक्सटेन्ट तक रकम हो जाती है तो उस एक्सटेन्ट तक रकम होते ही वह तहसील में जमा करा दे। दो हजार, तीन हजार तक की एक्सटेन्ट कायम कर रहे हैं, उस एक्सटेन्ट तक रकम होते ही पटवारी को तहसील में रकम जमा कर देनी चाहिए। तो जब इन्डेम्निटी के लिए आठ हजार की सीमा रखते हैं तो इस प्रकार की सम्भावना नहीं रहती कि इसके अन्दर गबन हो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of clarification, मैं यह पूछना चाहूंगा उप-मंत्री जी से कि जो यह इन्डेमनिटी बौंड वाली स्कीम आपने चलाई है वह ग्राम पंचायतों के सरपंचों पर नहीं चला सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरपंचों को इन्डीवीजुअल रूप से देने का सवाल नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पंचायतों पर नहीं चला सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायतों में नहीं चला सकते, क्योंकि पंचायतों में कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए पंचायतों को नहीं दे सकते।

मैं निवेदन कर रहा था, हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, गबन नहीं हो, सरकारी रुपये का गबन नहीं हो और रुपया वसूल हो जाय; उसके लिए आज की परिस्थितियों में कौन एजेन्सी हो, इस पर बहुत गहराई से विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि फिलहाल पटवार के सिवाय और एजेन्सी नहीं हो सकती। इसलिए यह व्यवस्था की है।

स्वतंत्र पार्टी से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप इस संस्था को समाप्त कर रहे हैं, यह संस्था हेरिडिटेरी है। हेरिडिटरी हक होने के नाते भी आप कम्पेन्सेशन नहीं दे रहे हैं और बिना कम्पेन्सेशन दिये हुए इस प्रथा को कैसे समाप्त करने जा रहे हैं ? मुझे इन दलीलों पर आश्चर्य हुआ; इसलिए आश्चर्य हुआ कि उनको इस संस्था का इतिहास मालूम नहीं है। आप लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन ३८ को देखेंगे तो उसको देखने से मालूम होगा कि हम एक लम्बरदार को अपॉइन्ट करते हैं तो हमें तीन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके अन्दर एक हेरिडिटेरी क्लेम जरूर आया है, उस हेरिडिटेरी क्लेम के बाद हमने रूल्स बनाये हैं लम्बरदारों के अपॉइन्टमेंट के और उनके अन्दर व्यवस्था है, जिसका सब-क्लॉज़

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(१) सेक्शन ३८ को है...

"If the Lambardar possesses the requisite additional qualifications, physical capacity and character and has the support of a large majority of the tenants and land-holders residing in the area, he shall have preference over others."

और उसकी क्वालिफिकेशन्स भी करीब १० हैं वे बताई गई हैं। तो इस बात की जानकारी देने के बाद भी माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि यह कोई हैरिडिटरी पोस्ट नहीं है और रूल्स के तहत इसका पालन होता है। इसको क्वालीफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। केवल एक ही बात है कि अगर कोई आदमी मर गया और उसका वारिस भी सब क्वालीफिकेशन्स जो कि एक लम्बरदार के लिए आवश्यक हैं, यदि वह रखता है, तो ऐसी हालत में दूसरों के मुकाबले में उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। इसलिए उनका ऑफिस हैरिटडेरी नहीं है। इस आधार पर कम्पेन्सेशन की बात नहीं उठती है। इस प्रकार लम्बरदारी प्रथा के बारे में जो इसका सब्स्टीट्यू रखा है वह मुनासिब और उचित है और सदन के सभी माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुकुल है।

अब सवाल उठता है कि इस अमेंडमेंट के साथ हमने दो-तीन मुद्दों पर और विचार किया। दो-तीन मुद्दे ऐसे नहीं हैं कि कोई नये इसमें थ्रस्ट ओपन कर दिए हों या जिनका अस्तित्व पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेन्सी एक्ट दोनों में कन्फर्मिटी लाने की गरज से, अनुभव ने हमें बताया कि इस चीज की कमी है जिसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पटवारघरों का क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक पटवारी सर्किल्स या पटवार-घर बनाने का प्रश्न है यह कोई इस सिस्टम के लागू होने से पैदा नहीं होता है। पटवारघर बनाने की योजना हमारी बहुत समय से चली आ रही है। हर साल इसके लिए प्रावधान रखते हैं और हमारा फेज्ड प्रोग्राम है उसके अनुसार पटवारघर बनाते हैं; लेकिन एमर्जेन्सी के अन्दर यह योजना दूसरे बिल्डिंग प्रोग्राम्स के साथ खत्म हो गई। अब फिर यह योजना रिवाइव कर दी गई है। जो पांच लाख रुपये का प्रावधान था, वह काम में लायेंगे। इन पटवारियों के लिए मकान नहीं बने हैं उन पटवारियों को ४ रुपया माहवार अलाउन्स देते हैं। उसके तहत वह किराये के मकान में रह सकता है हो सकता कहीं कम या ज्यादा पाते हों, लेकिन इसकी व्यवस्था मौजूद है।

तो अनुभव ने बताया कि जो सारी जमीनें नाजायज कब्जे में हैं—मिसाल के तौर पर चरागाह की बात करता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री एस. के. डे के चरागाह की बात कर दी इसीलिए उसी रेफरेन्स में मेरा स्पष्टीकरण तो बाद में होगा, लेकिन जिस दृष्टि से हमने यह क्लॉज़ रखा है, जो शब्द 'सुओ-मोटो' बढ़ाया हैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द इसलिए बढ़ाया है कि जो आज तक लोकल बॉडीज़ को ट्रांस्फर्स हुई हैं, मिसाल के तौर पर चरागाहों का मैनेजमेंट लोकल बॉडीज़ को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ट्रांस्फर हुआ। अनुभव ने बताया कि पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर दूसरे लोगों के चरागाहों की जमीन पर नाजायज़ कब्जा करवा दिया, लोगों से खेती करा दी, जबकि चरागाह की जमीन केवल जानवरों के चराने के लिए हैं। कानून है कि ग्राम पंचायत को एप्लाइ करे तब तहसीलदार कॉग्नीजेन्स ले सकता है, तो फिर क्या किया जाय ? यह एक बीमारी बन गई। इसको बढ़ने दिया जाय या रोका जाय ? सरकार इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती। इसलिए शब्द लिखे हैं, 'सुओ-मोटो'। ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज़ जिसे कहते हैं, वे भी सरकार को दर्ख्वास्त दे सकती हैं कि इस चरागाह की भूमि पर अमुक प्रकार के लोगों ने ट्रेसपास कर लिया है इसलिए कॉग्नीजेन्स लेकर इसको एविक्ट करायें। लेकिन अगर तहसीलदार को यह लगे कि ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज़ मिली हुई हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं करती हैं, उसको बेदखल नहीं कराते हैं, तो 'सुओ-मोटो' शब्द बढ़ने से तहसीलदार को अधिकार मिल जाता है कि तहसीलदार स्वयं भी ऐसी परिस्थितियों में एक्शन ले सकता है।

(६. ५३. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके अंदर एक बात जोड़ी वह यह कि लोकल बॉडी को इसका नोटिस तो देना चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं। यह 'सुओ-मोटो' की तरमीम इसी वजह से की गई है।

दूसरी तरमीम, माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात की की गई है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर रेफरेन्स के जो क्लॉजेज़ हैं उन क्लॉजेज़ में कमिश्नर को कोई भी चीज लीगेलिटी और प्रोप्राइटी पर हो सकती है, किसी रेकॉर्ड को कॉल फोर करना है और ऐसा करने के बाद वह सेटिस्फाई हो जाय तो रिफर कर सकता है। रेवेन्यू कमिश्नर की पोस्ट एबोलिश हो गई। सैटिलमेंट कमिश्नर को अधिकार है कि वह ऐसी किसी कानूनी पेचीदगी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिफर कर दें। लेकिन कलेक्टर को ऐसा अधिकार नहीं है, जब कि टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन २३२ के अन्दर कलेक्टर को रिफर करने का अधिकार है। इसलिए हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेन्सी एक्ट में कन्फर्मिटी लाने के लिए यह किया है। ऐसा सवाल यहां पर आया सेक्शन ९१ के बारे में। यह कहा गया कि नाजायज़ कब्जे के बारे में और पेनाल्टी के सिलसिले में जो क्लॉज़ इसमें रखा गया है। यह नया नहीं है। यह पहले भी था। फिर आप कहेंगे कि जब पहले था तो फिर नई बात क्या बढ़ाई है ? पहले था। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अलावा टीनेन्सी एक्ट में १८३ सेक्शन है उसके अन्दर जिस भाषा में यह क्लॉज़ है, उसी भाषा में इस क्लॉज़ को अमेंड करने के बाद रखा है। इसमें फर्क यह है कि कोई भी आदमी जो नाजायज़ कब्जा कर लेता है तो उसको बेदखल किया जाना चाहिए। बेदखली से रोकने का कोई प्रावधान न पहले था और न अब रखा है। बेदखली उसकी की जा सकती है। बेदखली करने के सिवा उससे पेनाल्टी भी ली

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जाती है, जितने अर्से से भी वह नाजायज़ कब्जे में रहा हो। यही प्रावधान है कि जो उस पर खड़ी फसल है उसको लेने का अधिकार रहे, बाकी से बेदखल कर दिया जाय और भविष्य में उसके कब्जे में न रहे। तो यह अधिकार कोई नया नहीं है, यह पहले भी था। हम यह भी प्रावधान रख सकते थे कि जिसने नाजायज़ कब्जा कर लिया है उसको खड़ी फसल से भी बेदखल किया जाय। जब खड़ी फसल से बेदखल करने की बात आई तो आवाज आती है कि यह गरीब किसानों की खेती है।

आप पेनाल्टी लेते हैं तो उसकी फसल को रहने दीजिए, यह नेशनल वैल्थ है। इस वजह से उसका विरोध किया जाता है। तो हमने सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान जैसा पहले था वैसे ही रहने दिया, लेकिन एक बात 'ईच एग्रीकल्चरल ईयर' बढ़ाई है। यह इसलिए बढ़ाया है कि अगर तीन साल तक या पांच साल तक नाजायज़ कब्ज़ा रखे तो अभी जो एन्युअल रेंट है उसका १५ गुना उससे वसूल किया जायगा, जबकि उसका नाजायज़ कब्ज़ा दो या तीन साल से है। हमारे टीनेन्सी एक्ट की धारा १८३ में जिस प्रकार की वर्डिंग्ज़ हैं वे हैं ईच एग्रीकल्चरल ईयर की पेनाल्टी ले सकते हैं। तो उसको और इसको, दोनों प्रावधानों में समन्वय लाने की दृष्टि से यह किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई रेफरेन्सेज़ हमारे सामने आए, कलेक्टर साहबान की तरफ से, लैंड रेवेन्यू में यह प्रावधान है और टीनेन्सी एक्ट में यह प्रावधान है, दोनों में समन्वय नहीं है। इसलिए समन्वय लाने की दृष्टि से इस सेक्शन में तरमीम की गई है।

जहां तक लम्बरदारी प्रथा का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह समाप्त की गई हो, ऐसी बात नहीं है। कितने अर्से के एडिमिन्स्ट्रेशन के अनुभव ने सरकार को बताया कि यह जो प्रथा है वह एक सोशियल ईविल है और इसके जो कीटाणु हैं इतने फैल जाते हैं समाज में कि किसी समय भी दुःखदाई हो सकते हैं।

(७. ०० म. प.)

पार्टी फिक्शन की भी बातें हो सकती हैं। दुनिया भर की बातें इसमें कही जाती हैं। इसलिये इसको समाप्त करना था। यदि इसके बाद भी सरकार को आर्थिक लाभ नहीं भी हो तो भी इसको समाप्त करने में देरी नहीं होनी चाहिये। जैसा मैंने कहा कि हम लम्बरदारों को ५ परसेन्ट कमीशन देते थे। अब हमको क्या खर्च होगा? ५ परसेन्ट के हिसाब से ४० लाख होता है और आम तौर पर बजट में ३० लाख रखते हैं, ३० लाख से कभी ऊपर रकम नहीं गई। इसलिये ३० लाख बजट में रखा है। जब हमने पटवारियों के १५ रुपया महीना बढ़ाया है। इस हिसाब से १२ लाख रुपया पटवारियों के पास जावेगा और कुछ तिजोरियों में भी चला जावेगा तो भी इस तरह से ओन दी होल मैं यह कहूंगा कि यह घाटे का प्रोपोज़िशन नहीं है। कोई खराब बात हो, उसकी जगह अच्छी बात का सब्स्टीट्यूशन होना चाहिये, इससे बुराइयें हैं, वे समाप्त हो जाती हैं और अगर समाप्त नहीं होती हैं तो बढ़ती तो नहीं हैं। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि लम्बरदारी प्रथा की समाप्ति का जो प्रावधान रखा है और जो दूसरे प्रावधानों के बारे में भी मैंने अभी निवेदन किया है, वे समयानुकूल हैं और आज की परिस्थितियों में जरूरी हैं। इसलिये इसमें कोई एम्बिग्युटी या complexity नहीं है जिसके लिये कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाए। इसलिये मैं इसका विरोध करते हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापिस ले लें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : श्री एस. के. डे वाला पोइन्ट आप चबा गये ? इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री एस. के. डे के बारे में बता देना चाहता हूं। इसके बारे में कई बार उत्तर दे दिया गया और बीसीयों बार आपने प्रश्न के जरिये और बजट की बहस के समय और अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हुई उस समय भी यह मुद्दा उठाया गया था और इसके बारे में उत्तर दे दिया गया था। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की इच्छा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने किसी जागीरदार से २०१४ में जमीन मोल ली। उस समय जागीरें रिज़्यूम नहीं हुई थीं। उन्होंने जागीर रिज़म्प्शन होने से पहले जमीन जागीरदार से ले ली थी। जमीन लेकर उन्होंने वहां खेती की थी। २०१४ में खेती की थी जिसकी गश्त गिरदावरी उनके नाम की है। उसके बाद जब २०१५ के अंत में सेटिलमेंट शुरू हुआ तो यह जमीन चारागाह के नाम पर दर्ज हो गई तो इसके बारे में.

एक माननीय सदस्य : इससे पहले क्या दर्ज थी ? यह जमीन इससे पहले चारागाह के काम आती थी यह नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं। मैंने कहा है कि २०१४ में उन्होंने उस जमीन पर खेती की है। उसकी इजारदारी की गई और कल्टीवेटरी पज़ेशन में आ गई। वे खेती करते रहे और उसके बाद यहां पर गंगाराम के दावे की नकल पढ़ कर एक माननीय सदस्य ने बताया और उन्होंने अखबार का हवाला दिया और बताया अखबार में से पढ़ कर कि दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने नाजायज़ कब्जा किया है। उसमें श्री एस. के. डे का नाम स्कोर आउट कर दिया गया है। उसका सूट अभी चल रहा है, उसमें श्री एस. के. डे का नाम नहीं है। इसके अलावा एसिस्टेन्ट कलेक्टर, जयपुर के पास इस बात का दावा किया गया कि इस जमीन को चारागाह घोषित किया जावे। वह तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था। उसके बाद डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया गया। उसके बाद असिस्टेन्ट कलेक्टर से यह फैसला हो गया कि यह चारागाह की जमीन नहीं है और आयन्दा भी चारागाह में घोषित नहीं हो सकती। दो तरह के दावे किये और दोनों में यह फैसला आ कि यह चारागाह की भूमि नहीं और आयन्दा भी चारागाह में घोषित नहीं की जा सकती और इस फैसले की पार्टी ने अपील नहीं की है और यह फैसला फाइनल हो गया। और जब असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत से फैसला हो गया और उसकी अपील नहीं की तो वह फैसला फाइनल हो जाता है और उस फैसले के हो जाने के बाद सरकार को उसमें इन्क्वायरी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

Page No 95

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह फैसला कब हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : No more questions please. There is no time.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! There is no time.

श्री विजयसिंह झाला : जो एक केन्द्रीय सरकार के मंत्री के प्रति भ्रष्टाचार का मामला उठा है उसका पूरा जवाब नहीं दे और चारागाह की भूमि के लिये....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९. ४. ६१ को फैसला हो गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे खुद खेती करते थे ?

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री लोग खेतियें करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष: Order please! Order!! आसन भी तो कुछ कहना चाहता है, वह भी तो सुनें ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय की तंगी को देखते हुए इसको जल्दी खत्म करने में सहयोग देंगे । अगर कोई प्रश्न रह जाते हैं तो अपने रूल्स के अनुसार और कई तरीके हैं । इस प्रकार प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : इसके बाद में जो विधेयक है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि कार्य-सलाहकार समिति ने जो कार्यक्रम बनाया है और जिसको माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है उसके अनुसार इसको आज ही पारित करना है ।

श्री विजयसिंह झाला : कब्जा गोचर भूमि पर करने का मामला है इसलिये इसमें और भी स्पष्टीकरण हो जावे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि बाकायदा दावा हुआ है और एसिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट से १९-४-६१ को दावा खारिज हो गया । आराजी श्री एस० के० डे के कब्जे में है । उसका नम्बर मुझे याद नहीं है । इसको चारागाह में शुमार नहीं किया, आयन्दा भी इसको चरागाह में घोषित नहीं किया जाए, यह फैसला हो गया । यह आप चाहें तो देख सकते हैं ।

(श्री विजयसिंह झाला बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! No more questions.

श्री विजयसिंह झाला : केवल एक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Now there can be no discussion.

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न यह है कि पटवारी ने अपनी बही में लिखा है

Page No 96

(श्री विजयसिंह झाला)

कि यह जमीन गिरदावरी में जबर्दस्ती लिखाई गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस पटवारी ने जो कार्यवाही की उसके खिलाफ अलग कार्यवाही चल रही है।

(श्री विजयसिंह झाला बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (एमेन्डमेंट) बिल, १६६३ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मुझे अपना एमेन्डमेंट विद्ड्रॉ करने की इजाज़त दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह इच्छा है कि इनको अपना संशोधन विद्ड्रा करने की अनुमति दी जाए।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : एक प्रश्न को आप बता दें तो मैं भी अपना संशोधन वापिस ले लेता हूँ। आपने कोलोनाइज़ेशन एरिया के सारे प्लॉट्स को नीलाम कर दिया है और वहां पर चारागाह के लिये जगह नहीं छोड़ी हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोटेक्टेड एरियाज़ में चारागाह नहीं रखे जाते हैं। इसके लिये अलग सर्क्यूलर है।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि यहां पर कई माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं जो अपने संशोधनों को विद्ड्रॉ कर सकें इसलिये सब एमेन्डमेंन्टस को एक साथ वोट पर रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये प्रश्न यह है कि प्रस्तुत बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाए।

(अस्वीकृत)

सभी संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २ से ५ तक कोई संशोधन नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के क्लॉजेज़ २ से ५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड २ से ५ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज् ६, श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज् ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज् ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज् ७ से ६ तक भी अमेंडमेंट नहीं है; इसलिये प्रश्न यह है कि क्लॉजेज् ७ से ६ तक विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज् ७ से ६ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड १०

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज् १० के अन्तिम पैराग्राफ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

"Provided further that when the Tehsildar takes action suo moto, he shall give a notice of the same to the local authority and the local authority shall be a necessary party in such proceedings."

मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि तहसीलदार को जो सुओ मोटो पॉवर्स दिये गये हैं बेदखली के, उसमें सिद्धान्त रूप से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यह है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया और मन्त्री महोदय ने भी स्वीकार किया कि उन्हें एतराज नहीं, जिन-जिन प्रोसीडिंग्ज़ में सुओ मोटो प्रोसिडिंग्ज़ तहसीलदार देवे उनमें लोकल ऑथोरिटीज़ को भी नेसेसरी पार्टी नोटिस में माना जाय। जो कारण मैंने पहले दिया कि लोकल ऑथोरिटीज़ ने ही अलॉटमेंट किया है तो वे ही तहसीलदार के सामने बता सकते हैं। इसलिये इस सारे कॉम्प्लीकेशन से बचने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट आवश्यक है। यह नहीं हुआ तो लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी होगी। लोकल ऑथोरिटीज़ ने लैंड अलॉट कर दी, तहसीलदार ने नोटिस दिया, लोग तहसीलदार को कहेंगे कि लोकल ऑथोरिटज़ ने अलॉटमेंट किया है। पर लोकल ऑथोरिटीज़ को नेसेरी पार्टी नहीं माना जायगा तो वह पार्टी जिसको बेदखल किया जा रहा है, तहसीलदार जिसको बेदखल करना चाहता है वह पार्टी तो लोकल आथोरिटीज़ को तहसीलदार के सामने लाकर खड़ा नहीं कर सकती। इसलिये यह अमेंडमेंट आवश्यक है। सुओ मोटो केसेज़ में इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने से जो कठिनाई लोगों को होने वाली है वह नहीं होगी।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

सम्बन्ध में तहसीलदार सुम्रो मोटो एक्शन लेना चाहे तो लोकल ग्राॅथेरिटीज् को भी नोटिस दे, यह मैं पहले अपनी बहस में बता चुका हूँ, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। पर आपत्ति इस बात में है कि लोकल ग्रॉथेरिटीज् को नेसेसरी पार्टी नोटिस में माना जाय। जो ट्रैसपास करता है वही नेसेसरी पार्टी समझा जाता है।

जिस काम के लिये जमीन दी जाती है वह उस काम में न लेकर दूसरे काम में ली जाती है तो वह स्वयं शिकायत करता है, शिकायत होने पर तहसीलदार सुम्रो मोटो एक्शन लेता है तो इसके लिये काफी है कि ग्राम पंचायत या लोकल बॉडी को नोटिस दे दे नेसेसरी पार्टी के रूप में, बनवाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसके एक भाग को जो इस प्रकार पढ़ा जाय : "and where the Tehsiidar proposes to act suo-moto he shall give notice of such intention to the local authority concerned"

यहां तक के प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ और बाकी का जो है :

"and the local authority shall be a necessary pary in such proceedings"

इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसमें मेरा निवेदन है कि नेसेसरी पार्टी नहीं तो पार्टी मान लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मान लीजिये चरागाह की जमीन है, उसमें हम एक्शन तभी लेंगे जब कि चरागाह की जमीन में खेती करने लगे। उनके मैनेजमेंट में जमीन दे रखी है तो उनको भी नोटिस दे दें, पर पार्टी के रूप में नहीं बनाना चाहते। इसलिये पीछे वाले पोर्शन के लिये मैं सहमत नहीं हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पीछे का पोर्शन है उसको मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है।

(विराम)

I hope it will be noted.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज, यथा-संशोधित, जैसा कि माननीय उप-मंत्री ने बताया, विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज् १०, यथा—संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज् ११, श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज् ११ में मैं यह संशोधन मूव करता हूं कि पटवारी के साथ-साथ जिन-जिन केसेज् में राजस्थान सरकार चाहे वहां ग्राम पंचायतों को भी रेवेन्यू की वसूली के अधिकार दे सकती है। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इस क्लॉज् के वर्डिंग्स में इस तरह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के मुकम्मिल अधिकार हैं क्योंकि वर्डिंग में इस तरह है :

"Provided that until the State Government directs otherwise".

इसमें स्टेट गवर्नमेंट जब भी अन्दरवाइज डाइरेक्ट कर देगी कि पटवारी के अलावा और कोई अधिकारी रेवेन्यू वसूल कर सकता है, यह बात मंत्री महोदय कह सकते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन में ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहते हैं। जब सिद्धान्त रूप में राजस्थान सरकार विशेष नोटिफिकेशन के जरिये किसी ग्राम पंचायत के लिये घोषित करे कि यह पंचायत रेवेन्यू की वसूली करेगी तो इसमें एतराज नहीं होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूं कि राजस्थान पंचायत एक्ट में इस तरह का प्रोविजन है जिसमें १० पर्सेन्ट कमिशन के आधार पर राजस्व की वसूली के लिए राज्य सरकार को दर्ख्वास्त दे तो राज्य सरकार उनकी दर्ख्वास्त को मंजूर कर सकती है। जब सिद्धान्ततः पंचायत एक्ट में स्वीकार कर रखा है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जब कि पटवारियों को रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार दे रहे हैं तो यह क्यों नहीं करें कि जिन-जिन केसेज में सरकार उचित समझेगी पंचायतों को रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार दे सकती है। इसलिए मैं मूव करता हूँ कि पंचायतों को जहां सरकार उचित समझे ये अधिकार देने चाहिए, यह जनरल रूल के तौर पर नहीं होगा पर, पंचायतों का मैनेजमेंट, वर्किंग, स्थिति और पिछली हिस्टरी को देख कर सरकार आवश्यक समझेगी तो नोटिफिकेशन जारी करेगी तभी कोई पंचायत रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सक्षम होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। कारण, इसके बजाय कि मैं कहूँ, उन्होंने खुद ने ही कह दिया है। हमने प्रावधान कर रखा है कि गवर्नमेंट चाहे तो अदरवाइज करके रेवेन्यू की वसूली करा सकती है। जब पहले ही बता दिया कि आज हम पटवारियों को यह अधिकार देना चाहते हैं; फिर कानून में यह भी व्यवस्था कर दी है कि किसी स्टेज पर इस नतीजे पर आये कि पटवारी के अलावा कोई और एजेंसी जिसमें ग्राम पंचायत भी और दूसरी कोई एजेंसी भी हो सकती है।

तो इस समय जो वर्डिंग्ज बिल में हैं उनको इसी प्रकार रखते हुए भी जो माननीय सदस्य के विचार हैं, जिस स्टेज पर गवर्नमेंट चाहेगी उसी स्टेज पर कर सकेगी। इसमें कोई कानून तरमीम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए मैं इस तरमीम का विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इसे विद्ड्रा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Do you withdraw it ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : I intend to press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने क्लॉज ११ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ११ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ १२ और १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ेज़ १२ और १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १२ और १३ विधेयक में अंग-रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फोर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

ये सभी विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, १९६३ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, १९६३ पारित किया गया।

जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर सूद सदावर्त फंड प्रशासन विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कार्य-सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन सदन में स्वीकार किया है उसके अनुसार आपकी कार्यवाही आज ही समाप्त होनी चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितना संक्षेप में आप भाषण करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा।

इसके साथ साथ में सदन से यह भी अनुमति लेना चाहता हूँ कि जब तक यह बिल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सदन का समय बढ़ा हुआ माना जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि जयपुर सूद सदावर्त्त फंड प्रशासन विधेयक, १९६३ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पढ़ने से और इसके हैडिंग के देखने से तो कोई विशेष बात नहीं आयी, लेकिन जब इसके विस्तार को देखा तो मुझे यह अनुभव हुआ कि राजस्थान में यह अपनी किस्म का पहला ही बिल है; जिसके लिए कहा गया कि बहुत ही सीधा है, असाधारण नहीं है। इस बिल के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई, जो इस बिल के उद्देश्य रखे गये हैं अगर उसे हर माननीय सदस्य पढ़ेगा तो उसको अनुभव होगा कि इस बिल को लाकर राजस्थान को तोड़ने की, डिसइन्टीग्रेट करने की शुरूआत की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर जो विधवाओं विकलांगों और अपाहिजों को सहायता देने का उद्देश्य है उससे किसी भी माननीय सदस्य को विरोध नहीं हो सकता। इस बिल के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था चाही गई है उसके अनुसार सूद सदावर्त्त फन्ड के लिए एक बोर्ड को कायम करेगी, अब तक जिसका प्रबन्ध सरकार करती थी अब वह एक बोर्ड के अधीन होगा। जयपुर जो पुरानी रियासत थी उसका ५,८०,८०८) रुपया है, उसकी एक निधि बनी हुई है; उससे असहाय, अबलाओं और विधवाओं को मदद मिलती रही है। यह बिल अपने आप में अच्छा है। कोई भी असहाय हो, दुःखी हो, दरिद्री हो, ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी तरह से मदद मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक बात जानना चाहता हूँ। जयपुर रियासत के राजस्थान में मर्ज हो जाने के बाद १२ साल तक सरकार व्यवस्था चलाती रही। अगर उस व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी रही हो तो वह उद्देश्य और कारणों में बताना चाहिए। क्या उस व्यवस्था में पैसे का दुरुपयोग हुआ ? अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है ? आप उस व्यवस्था को बदल रहे हैं और उसकी जगह नया प्रबन्ध कर रहे हैं; आखिर आप किस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं, यह सरकार को बताना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से जहां तक इस बिल की मन्शा है उससे कोई विरोध नहीं है, विरोध है इसकी रचना के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। इस बिल में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड से अध्यक्ष होंगे जयपुर नरेश, जो मौजूद हैं राज्य सरकार उनको स्वीकार करेगी। इसके अलावा जयपुर नरेश का अधिकार होगा; उनको अधिकार होगा एक हाउस होल्ड को नोमीनेट करने का। राज्य सरकार का रिटायर्ड अधिकारी उसमें होगा जिसको जयपुर नरेश स्वीकार करेंगे। इस तरह से पांच आदमियों का यह बोर्ड बनाया गया है जयपुर नरेश की मन्शा के अनुसार बोर्ड का गठन होगा। मैं जानना चाहूंगा ऐसे मामलों में जहां सरकार की एक निधि थी जिसके ब्याज के १०,०००)

Page No 102

(श्री रामकिशन)

रुपये आते थे, जिनसे गरीब लोगों की व्यवस्था की जाती थी, अब इसमें जयपुर नरेश को बीच में क्यों लाया गया बोर्ड के गठन में ? यह उद्देश्य में नहीं बतलाया गया है, या तो फन्ड को बढ़ाने के लिये आप जयपुर नरेश का सहयोग चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जयपुर नरेश को अध्यक्ष बनाया जायगा तो और धन आ जायगा, पूंजी आ जायगी। मैं इस पक्ष का नहीं हूँ। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी ?

सबसे खतरनाक बात जो इस बिल में है वह यह कि जो इस निधि से ब्याज की आमदनी होगी उसको जयपुर की रहने वाली विधवाओं, विकलांगों और गरीबों के मदद के लिये खर्च किया जायगा। इसका नतीजा क्या होगा; हर रियासत-जोधपुर, भरतपुर, अलवर-हर रियासत अपने यहां धर्मादा रखती थी, दान—खाता रखती थी। जब हम राजस्थान को एक करने की कोशिश कर रहे हैं; लेकिन मन से, भावना से और कार्यों से उदयपुर, भरतपुर, जयपुर आदि रियासतों को अलग अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं, कल ही उप-राजस्व मन्त्री महोदय ने उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल पर हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि संकड़ों सालों की नफरत निकाली जा रही है। लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था इस बिल द्वारा करने जा रहे हैं कि केवल जयपुर वालों को ही मदद मिले, असहाय विकलांग जो जयपुर रियासत में रहने वाले हैं उनको ही मदद मिले; यह भी तो संकुचित विचार-धारा का परिचायक है। विधवा, विकलांग दरिद्र कहीं का भी हो सबको मदद मिलनी चाहिये। अगर हम इस तरह का भेद-भाव रखते हैं तो राजस्थान की एकता की भावना नष्ट होती है। जयपुर नरेश बोर्ड के अध्यक्ष हों और जयपुर वालों को ही मदद देने का सवाल हो तो यह उनके अधिकार में ही रख दिया जाय, वे चाहे किसी को भी मदद दे सकते हैं। उसमें आप इस तरह की बन्दिश क्यों लगाते हैं ? केवल जयपुर के लोगों को ही मदद की जाय। देखने में तो यह मामला छोटा है, किन्तु इसका असर बहुत ही व्यापक होता है, इससे क्षेत्रीय भावना पनपती है। यदि यह बिल इसी तरह से पास हो जाता है तो कल और दूसरे ढंग से बात करेंगे ..

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मामला बहुत बड़ा है। इसमें राजस्थान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कल भरतपुर के लोग मांग करेंगे, हमारा पुराना पैसा इतना जमा था वह हमें दे दिया जाय, हम इसको भरतपुर ले जायेंगे, जोधपुर वाले जोधपुर ले जायेंगे, फिर एक राजस्थान बनाने की क्या जरूरत थी ? ४७ में जो आन्दोलन किया उसका क्या मकसद था। आज सुखाड़िया सरकार राजस्थान के टुकड़े-टुकड़े करने पर तुली हुई है; यह राजनैतिक टुकड़े ही नहीं, मन के भी टुकड़े करने की कोशिश है, जयपुर की विधवाओं और विकलांगों को मदद देंगे सम्बन्धी कानून लाकर। जहां तक विकलांगों, विधवाओं, असहाय लोगों की मदद करने का सवाल है हम भी चाहते हैं कि इसकी हर गांव, हर शहर और कस्बे के अन्दर व्यवस्था हो। हर दुखी दरिद्री चाहे किसी भी जगह का हो इस बोर्ड से मदद मिलनी चाहिये। यह जो

Page No 103

(श्री रामकिशन)

केवल जयपुर वालों के लिये प्रावधान रखा है वह खतरनाक है। इससे केवल पचास–चालीस आदमियों को ही मदद मिलेगी। इसके पीछे जो विचार-धारा है वह ठीक नहीं है। इससे राजस्थान के लिये एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि यह जो ६ लाख की निधि है उसका व्याज पन्द्रह-सोलह हजार आता होगा। दस हजार रुपया राज्य सरकार ग्रान्ट का देती है। इस तरह से तीस हजार रुपये की गरीबों की मदद के लिये रखते हैं। इसके लिये अलग बोर्ड बनायेंगे, उसके लिये सेक्रेटरी रखेंगे और कर्मचारी होंगे, उसका नतीजा क्या होगा कि अब तक राज्य सरकार जो तीस हजार रुपया गरीबों के लिये देती थी उसमें से चार-पांच हजार रुपया प्रशासन पर ही व्यय हो जायगा। हमारे यहां सदावर्त्त विभाग, देवस्थान विभाग है, इनके सेक्रेटरी हैं उन्हीं को यह काम सौंप दिया जाता तो यह खर्चा भी बच जाता। मैं नहीं समझता, राजस्थान सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी इस प्रकार का बिल लाने की ?

इसके अलावा खण्ड १९ और खण्ड ६ इस तरह के हैं कि इस बिल को चुपचाप तुरन्त ही मंत्री महोदय वापिस ले लें; इस पर बहस की जरूरत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

गरीब और विकलांगों को मदद देना यह बहुत आवश्यक है, लेकिन जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक ऐसी परम्परा रहेगी। आज सरकार सक्षम नहीं कि वह इनको रोजगार दे सके। आज जो यह दान आदि की व्यवस्था है वह ८० प्रतिशत पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में जो जयपुर के क्षेत्र के लोगों को ही मदद दी जाय, इस क्लॉज़ को निकाल दिया जाय।

केवल जयपुर क्षेत्र के लोग ही इसके मेम्बर रहेंगे, इसमें यह भी लिखा है कि वे भूतपूर्व जयपुर रियासत के नागरिक होंगे और वे ही प्रबन्ध-बोर्ड के मेम्बर होंगे। आप जयपुर नरेश को रखना चाहें रक्खें, मुझे नाराजी नहीं, पर पांच मेम्बर पुराने जयपुर रियासत के रक्खें यह गलत भावना है। इसका प्रदेश पर बुरा असर पड़ता है। अब पुरानी जयपुर रियासत रह कहां गई ? जब रियासत नहीं रही तो रियासत के नागरिक कहां रहे ? तो अगर इसको पारित ही किया जाना है तो इन क्लॉज़ेज़ को, इन बातों को निकाल कर पारित किया जा सकता है। नहीं तो यह एक जबर्दस्त, खतरनाक मामला है। यह एक बने राजस्थान में भेद के बीज बोएगा; सब अलग अलग सोचेंगे, पुरानी रियासतों के रूप में सोचेंगे और उसी के आधार पर नई नई मांग करेंगे। तो इस तरह आगे जाकर यह मामला बड़ा खतरनाक बन जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल को राज्य सरकार को वापिस ले लेना चाहिये।

इस बिल के द्वारा निश्चित रूप से एक बहुत गलत परम्परा को कायम किया जा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रहा है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस तरह से तो जितनी भूतपूर्व रियासतें थीं उनमें सभी में अलग अलग कामों के लिये बहुत से फण्ड थे। बीकानेर स्टेट जब राजस्थान में मर्ज हुई तो दो करोड़ का फण्ड था उसका, वाटर वर्क्स के लिये। पर मर्जर के बाद राजस्थान को सम्पति बन गई वह। बननी चाहिये थी।

इस तरह से ५.८० हजार के करीब यह सदावर्त्त का फण्ड है जिसे पिछले १३ वर्षों से राजस्थान सरकार एडमिनिस्टर करती रही। इसमें दो राय नहीं कि ये जो विडोज़ हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं या अपंग हैं उनको मदद दी जानी चाहिये और हमारे समाज कल्याण विभाग का काम भी यही है। इसी नीयत से इस विभाग की नियुक्ति भी हुई है। हमारे यहां एक सोश्यल वॉलन्टरी बोर्ड है जो सोश्यल वेलफेयर विभाग से अलग है। तो उस बोर्ड के और विभाग के दो-दो संस्थाओं के होते हुए भी हम जयपुर सदावर्त्त फण्ड के लिये अलग मशीनरी कायम करें और जो फण्ड आज दिन तक राज्य सरकार एडमिनिस्टर करती रही है उसके उस एडमिनिस्टर करने के अधिकार को दूसरों को दे दें, यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता।

हो सकता है कि किन्हीं राजनैतिक कारणों से यह बिल लाया गया हो, हो सकता है हमारी सरकार जयपुर महाराजा को और महारानी को प्लेकेट करना चाहती हो, उनकी खुशामद करना चाहती हो। यदि ऐसी बात है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी खुशामद से भी वे इस तरह खुश होने वाले नहीं है और उनकी कोई खुशी और मित्रता या कृपा आप इस बिल को पास करके हासिल भी नहीं कर सकते। बल्कि एक काम आप जरूर करेंगे। राजस्थान में प्रतिक्रियावादी कदम कायम करेंगे, गलत परम्परा को कायम करेंगे और इस सारे बिल में जो सबसे ज्यादा मेरे लिये घृणा की बात है वह यह है कि आपने इस एक्ट के द्वारा यह लिमिट कर दिया है कि इस फण्ड को, इस फण्ड के रुपये को केवल जयपुर की विडोज़ और डेस्टीट्यूट्स और अपंगों को ही दिया जायगा, केवल उनके लिये ही यह काम में लायी जा सकती है रकम। आप क्या यह समझते हैं कि जयपुर महाराजा का मनोविचार इतना संकुचित है कि दूसरे हिस्सों की विडोज़ को और डेस्टीट्यूट्स को और अपंगों को आप इसमें से एक पाई भी न दें और अगर वे देना भी चाहते होंगे तो अब जब कि आप इस प्रकार का एक्ट ला रहे हैं; उसके बाद वे नहीं दे सकेंगे। आप इसे उनके विचारों पर इसे छोड़ते तब भी गनीमत थी। अगर उनको अपनी पुरानी सीमाओं से ही मोह है तो दे देंगे, न कि अन्य क्षेत्रों वाले को नहीं देंगे। पर आप लॉ के द्वारा तो इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। जिनको आप यह फण्ड दे रहे हैं उनके प्रति भी आपके गलत विचार हैं। अपने संकुचित मनोविचार आप उन पर थोपना चाहते हैं।

ऐसी स्थिति में आप इस क्लॉज़ को हटाइये और कम से कम गलत परम्परा इस बिल के द्वारा कायम न करवाएं।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार लाखों लोगों को रोजी-रोटी देने का इन्तजाम करने की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सोचती है, सोश्यल वेलफेयर विभाग के द्वारा लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करती है और उनकी व्यवस्था करती है, वह सरकार अब १३ साल के बाद यह कहे कि एक छोटी सी ५,८० हजार की रकम की व्यवस्था वह नहीं कर सकती और उस छोटी सी रकम के लिये एक अलग से फण्ड बनाना चाहती है, उसके प्रबन्ध के लिये एक कमेटी या बोर्ड अलग बनाना चाहती है तो यह समझ में नहीं आती। निश्चित रूप से यह सरकार इतनी सक्षम तो है कि ५,८० हजार के इन्ट्रेस्ट और उस रकम को एडमिनिस्टर कर सकती है। उसने १३ साल तक किया भी है।

फिर मैं नहीं समझता कि इन पिछले १३ सालों में उसे क्या कठिनाइयां एडमिनिस्टर करने में आईं कि जिसके कारण यह बिल लाया जा रहा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे श्री रामकिशन जी ने कहा कि मुश्किल से इसका बीस हजार का इन्ट्रेस्ट आवेगा तो इतनी सी रकम के प्रबन्ध के लिये बिल लाना और उसके लिये कमेटी या बोर्ड बनाना और जयपुर के महाराजा को इसमें रखना और उनके द्वारा ही सिलेक्ट किये हुए व्यक्तियों को उसमें रखना, राजस्थान सरकार के अधिकारी भी वहां नहीं रह सकें, जिसको वे प्रिफर करें वे ही रहें, फिर वे चाहे रिटायर्ड हों या एक्टिव सर्विस में हों, फिर वे जो आपको कहें उस पर स्वीकृति देंगे आप। यह बिल्कुल गलत परम्परा कायम की जा रही है। गलत विचारों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इसलिये मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रोपर्टी को डाइवेस्ट करना गलत परम्परा है। जयपुर के रूलर को देना, यह भी गलत है। इस तरह आपने आज जयपुर रूलर के लिये किया है तो कल के दिन दूसरे रूलर भी क्लेम करेंगे और इस तरह से आगे जाकर एक नई परिस्थिति उपस्थित हो सकती है। यह सब मैं न तो जयपुर महाराज के प्रति मेरी कोई व्यक्तिगत वैमनस्य की भावना है इसलिये कह रहा हूँ, न इस जिले की पोलिटिकल पार्टीज़ से मेरा कोई झगड़ा है इसलिये कह रहा हूँ। एक मात्र स्वस्थ और अच्छी परम्पराएं बनाये रखने के लिये कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इसलिये करता हूँ कि जो धन किसी ट्रस्ट में दिया जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। वह जिस ध्येय या पर्पज़ के लिये दिया जाता है उसी पर्पज़ में उसे काम में लिया जाना चाहिये और जिस सीमा तक उसका उपयोग करने का पर्पज़ हो उसी सीमा तक उसका उपयोग किया जाना चाहिये।

(श्री विजयसिंह झाला)

ऐसी स्थिति में जो बातें कई माननीय सदस्यों ने कहीं वे इससे विपरीत जावेंगी।

इससे यह कहा गया कि इससे क्षेत्रीय भावना पनपेगी। अब केवल जयपुर और उदयपुर का नाम मात्र आ जाने से क्षेत्रीय भावना फैलने लगेगी तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता।

यह कहा जावे कि जयपुर की प्रोपर्टी भरतपुर की विधवाओं को भी दी जानी चाहिये तो मैं इसे भी क्षेत्रीय भावना मानूंगा। इसलिये कि जो देने वाला है वह चाहता है कि उसका उपयोग अमुक क्षेत्र में किया जाय, पर दूसरा उसे दूसरे क्षेत्र में भी देने की बात कहे तो दूसरा कहने वाला भी क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर कह रहा है, ऐसा मानना चाहिये। तो इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो पैसा जयपुर की विधवाओं की सहायता के निमित्त, उद्देश्य से खर्च करने के लिये दिया गया हो, उसे उसी काम के लिये उसी क्षेत्र में खर्च किया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूँ।

पर साथ ही साथ बोर्ड की व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जहां तक जयपुर के महाराजा के इसका सभापति होने का प्रावधान है मैं उसका समर्थन करता हूँ और इसलिये करता हूँ कि जो प्रोपर्टी जिसके घर से आई है उसी घर के मौजूदा व्यक्ति का आज यह अधिकार हो जाता है कि वह रुपया उसकी इच्छा से खर्च हो और वह यह देख सके कि जिस उद्देश्य से वह रुपया रखा गया है वह उसी उद्देश्य से खर्च हो रहा है या नहीं।

पर इसके साथ दूसरे जो पांच व्यक्ति मनोनीत किये जाने का प्रावधान है मैं उसका विरोध करता हूँ। प्रोपर्टी पब्लिक को दी गई वह पब्लिक की हो गई। इस बोर्ड को ऐसा न बनाया जाय कि आगे जाकर कुछ लिमिटेड व्यक्ति ही इसका फायदा उठा सकें और उसका सही उपयोग न हो सके, इसलिये सुझाव दूंगा कि कम से कम जयपुर नगरपालिका का अध्यक्ष इसमें अवश्य मेम्बर होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : चूंकि वे जनसंघ के हैं।

श्री विजयसिंह झाला : वे फिर चाहे जनसंघ के हों, कांग्रेस के हों, मेरी समझ में स्वतन्त्र पार्टी के भी आ सकते हैं, नहीं तो हमारे उदयपुर के पटेल महार साहब को सदस्य नियुक्त कर दिया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका हम भी समर्थन करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर में पटेल, नगरपालिका के हरिजनों पर जो व्यक्ति होता है वह पटेल कहलाता है। चूंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था इसलिये उदयपुर के पटेल की उपाधि दी है। तो उनको भी सदस्य अवश्यमेव रखना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं एक और सुझाव दूंगा कि इस बोर्ड में कम से कम विधान सभा के दो सदस्य भी हों। चाहे जयपुर के हों, यह मैं नहीं कहता कि उदयपुर के लें या हमारे निरंजननाथजी आचार्य को ही नियुक्त कर दिया जाये, यह मैं नहीं कहता; लेकिन जो जयपुर के चुनिन्दा सदस्य हैं वे जरूर लिये जायें।

(श्री विजयसिंह झाला)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो सहायता दी जा रही है १०,०००) रु० की, यह एक बड़ा फण्ड है। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर दस के बजाय बीस हजार की सहायता दी जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा रहे।

बार बार यह कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि उदयपुर वालों में क्षेत्रीय भावना ज्यादा है और हमारे उदयपुर के पटेल इसका जरूर समर्थन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं समझता हूँ कि जो क्लॉज १६ के अन्दर है सहायता देने का प्रावधान उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाये, यह इसमें और बढ़ाया जाये और खास करके ऐसे विद्यार्थी जो कि असहाय हों या जिनकी मातायें विधवा हैं और जिनके पास कोई और कमाई का साधन नहीं है, तो यह जरूर दायरा बढ़ना चाहिए क्योंकि नेत्रहीन, विधवायें और विकलांग और साथ ही साथ पढ़ने वालों में भी असहाय हैं उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान इसमें रखना चाहिए।

साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूँ कि बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं उनको बहुत ही सीमित कर दिया है। सीमित इसलिए कर दिया है कि छोटी छोटी सेंक्शन्स या जो भी सहायता बोर्ड देगा उसकी राज्य सरकार से स्वीकृत्ति लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें एक जो प्रावधान रखा गया है कि बोर्ड अपना बजट बनाकर राज्य सरकार को पेश करेगा और राज्य सरकार उसको स्वीकार करेगी। फिर ऐसी स्थिति में बोर्ड जो सहायता देगा उस पर अलग अलग सेंक्शन्स लेनी पड़ेंगी और मैं इसका विरोध करता हूँ। कम से कम जब राज्य सरकार बजट स्वीकार कर लेती है तो उसके आधार पर जितनी भी सहायता दी जाती है वह अधिकार बोर्ड के पास रहना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

साथ ही साथ क्लॉज १३ के अन्दर ऐसा प्रावधान कर दिया जो कि अवैधानिक है, जिससे जो विधेयक बनाया है उसका सारा महत्व ही मारा जाता है। आपने कहा कि बोर्ड द्वारा किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस कारण से कि उसके सदस्यों में कोई स्थान रिक्त है या इस कारण कि उसके विधान में कोई दोष या उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, अवैध नहीं की जायेगी। वैधानिक बोर्ड कोई कार्य करे और उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं करें, इसका मैं विरोध करूंगा। अत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि मान लो इसमें कोई खामियां हैं तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये ताकि उसके ऊपर विचार किया जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह राठोड़ ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल पेश हुआ है उसमें श्री सवाई रामसिंह जी और माधोसिंह जी ने अपने देहान्त के समय जो दान दिया था उस फण्ड के बारे में है। इसका कम्पोजीशन ऑफ बोर्ड है उसके लिए मैं पूर्ण अपनी सहमति प्रकट करता हूँ क्योंकि कम्पोजीशन ऑफ बोर्ड के अन्दर यह देखना जरूरी है कि जिन व्यक्तियों ने यह दान दिया था उनका फण्ड

(श्री गंगासिंह राठौड़)

उनके वन्शज ही कन्ट्रोल करें। ऐसी परिस्थिति में क्लॉज़ ६ के अन्दर जो प्रोवीज़न रखे हैं कि रूलर्स ऑफ जयपुर उसके प्रेसीडेन्ट होंगे और उनकी तरफ से ३ नोमीनेटेड आदमी होंगे और एक राज्य सरकार के द्वारा होगा तो मैं यह समझता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने यह दान दिया था उनकी मंशा भी पूरी होती है। परन्तु साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड के जरिये, जो बोर्ड के मेम्बर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि बोर्ड के मेम्बर्स, सिवाय एक के, सब फॉर्मर जयपुर स्टेट के होंगे। ऐसी परिस्थितियों में उनकी यह इच्छा रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा यह फण्ड जो फॉर्मर स्टेट के रहने वाले थे उन्हीं को मिले तो फिर इसका जुरिस्डिक्शन संकुचित क्यों रखा जाय ? किसी एक्ट के जरिये हमको यह नहीं करना चाहिए कि इस फंड के वितरण के जुरिस्डिक्शन को हम रेस्ट्रिक्ट करें। इस बिल के क्लॉज़ से स्वयं यह बोर्ड राजस्थान के किसी दूसरे हिस्से को भी मदद देना चाहे तो वह दे नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसके अन्दर जो जुरिस्डिक्शन संकुचित रूप में फॉर्मर जयपुर स्टेट का ही रखा है वह राजस्थान वाइड रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल ।

(अनुपस्थित)

उप-मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३ के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव किया है और जो विचार यहां पर इस बिल के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं उससे ऐसा लगता है कि इस बिल की सही धारणा का पूरा ज्ञान अभी नहीं हो पाया है। इसीलिए मैं इसकी हिस्ट्री माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ और क्या आवश्यकता हुई कि यह बिल सदन के सामने लाया गया। सन् १८८० में जब सवाई श्री माधोसिंह जी महाराजा जयपुर के थे और वे मरने लगे तो उन्होंने एक डैथ गिफ्ट की २ लाख ४६ हजार रुपये की और साथ ही साथ एक गांव भी दिया और बाद में सन् १९२२ में मानसिंह जी महाराजा हुए तो उन्होंने भी २ लाख १८ हजार रुपया दिया और एक गांव भी दिया। इस तरह से टोटल यह रुपया जिसको कि कलदार रुपया बनाने से ५ लाख ८० हजार हुआ और साथ ही साथ उन दो गांवों से जो अस्ट महादान में दिये थे वे वापिस सरकार ने रिज्यूम कर लिये और ५-५ हजार रुपये दोनों गांवों की इनकम मानकर १० हजार रुपया इसके लिए देना स्वीकार किया। यह आज की बात नहीं है, १९२२ के समय की बात है। उसके बाद में १९४२ के अन्दर ५ लाख ८० हजार रुपये को सिक्योरिटी जो उस समय में और आज भी इम्पार्टेड है इसकी सिक्योरिटी हुई और वह सूद सदावर्त्त के नाम से यह फण्ड चलता रहा। यद्यपि यह सारा रुपया महाराजा जयपुर का है और उसकी सिक्योरिटीज़ भी महाराजा जयपुर के नाम पर है और जब सिक्योरिटीज़ महाराजा जयपुर के नाम पर हैं तो सरकार जो १०,००० रुपये दोनों गांवों के देती है वह तो सक्सेसर गवर्नमेन्ट होने की वजह से देती

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। कोई गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से ग्रान्ट देने का प्रश्न हो उस प्रकार की बात नहीं है, बल्कि जो रिज्यूम्ड विलेजेज़ के कम्पन्सेशन का सवाल था उस समय की सरकार ने ५,००० रुपये प्रति गांव के हिसाब से १०,००० रुपये सालाना दोनों गांव के किये थे। तो इसकी आमदनी १६,००० रुपये के आसपास ब्याज से होती है और १०,००० रुपये दोनो गांवों के बदले दिये जाते हैं। इस तरह से २६,००० रुपये की आय इसकी है। क्योंकि यह रुपया उनका है और गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड है और इसकी व्यवस्था देवस्थान विभाग के अण्डर में कर रहे थे। हालांकि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है लेकिन सरकार इसकी व्यवस्था कर रही थी और सरकारी कर्मचारी इस काम को करते थे। इसके अन्दर काम क्या है; १३० पेटिये तो वहीं जयपुर की सरकार के समय के हैं और ५० पेटिये ऐसे है कि जो रोजमर्रा कोई गरीब, अपंग, लूला, लंगड़ा आये तो उसको दिये जाते हैं। तो scope of the expenditure is alike. अब सवाल यह आता है कि अपनी सरकार से कुछ नहीं जाता है, सरकार का फण्ड नहीं है और सरकार इसकी व्यवस्था करे तो इसके सम्बन्ध में एकाउन्टेन्ट जनरल की तरफ से कई बार एतराज आया। वह यह आया कि जब कन्सोलिडेटेट फण्ड की रकम नहीं है तो सरकार एकाउन्टेन्ट को अपने पास में रखने की और व्यवस्था की जिम्मेदारी ही क्यों लेती है, इसको अलग किया जाना चाहिए। जब अलग करने का प्रश्न आता है तो इसकी दो स्थितियां आ सकती हैं, एक तो यह कि ५,८०,०००) रु० की सिक्योरिटीज़ जो जयपुर के महाराजा के नाम पर है उसकी व्यवस्था वे करें, या एक बोर्ड बना दिया जाय, एक लेजिस्लेशन के जरिये इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि जो रुपया उनका है, जब वह एक निश्चित ढंग और निश्चित उद्देश्य के साथ में खर्च होता है इसी दृष्टि से जो बोर्ड की संख्या है उसमें प्रमुखता उनको देने का कोई कारण नहीं है। सरकार का कुछ लेना-देना नहीं है। न सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में से अब तक खर्चा होता था। यह उन्हीं का रुपया था और चाहे जिस तरह से खर्च करें यह उनका अधिकार था। उसके अनुसार १३० पेटिये दिये गये हैं और अब तक दिये जा रहे हैं, और इस बिल के लिए इस प्रकार की बात कहना कि सरकार एक बहुत बड़ी चीज जयपुर महाराजा को दे रही है और उसके पीछे कोई पोलिटिकल भावना हो, कोई सौदा कर लिया हो, ये सारी बातें नितान्त निराधार हैं। केवल उनका रुपया है, उनके नाम पर सिक्योरिटीज़ हैं अगर वे सिक्योरिटीज़ को हमारे नाम पर ट्रान्सफर नहीं करें और इस रुपये को हम जिस प्रकार चाहे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आखिर हम इसको क्यों रखें ? हिसाब-किताब की जिम्मेदारी क्यों रखें जब कि आना-जाना कुछ नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सूद सदावर्त्त बिल सदन के समक्ष रखा गया है, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई राजनैतिक सौदेबाजी नहीं है। इसलिए इस बैक ग्राउन्ड को जान लेने के बाद मुझे आशा है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे है उन्हें वापिस लेंगे और इस बिल को पारित करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैंने निवेदन किया था इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि जो पैनल इसमें रखा गया है उसमें तब्दीली की जाय।

श्री हरिराम घारू (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्रीजी और राजा साहब तो हैं ही लेकिन इसमें हरिजन नहीं है, हरिजन महिला कहीं नहीं है, तो उनको तो मिलना ही मुश्किल हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात के लिए उन पर ही छोड़ दिया गया है कि वे लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन शब्द कहने हैं जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर कहना चाहता हूँ। उन्होने पुरानी हिस्ट्री बतलाई कि वे जयपुर नरेशों ने दान दिया था। जयपुर रियासत थी तो जयपुर की जनता को देते थे, राजस्थान के नरेश होते तो राजस्थान की गरीब जनता को देते; उसमें कोई फर्क नहीं करते। तो मेरा विरोध केवल इसलिए है कि बोर्ड की व्यवस्था चाहे एच० एच० जयपुर में रखी जाय, लेकिन हिन्दुस्तान के लोग जरूर हंसेगे कि एक ऐसा विधेयक बना जिसमें गरीब-गरीब में फर्क किया गया है। चाहे वे जयपुर के लोगों को दें, लेकिन अगर यह क्लॉज रखा जाता है तो कम से कम हम तो इसका विरोध करते हैं और संशोधन वापिस लेने का सवाल नहीं है। चूंकि आपका बहुमत है; आप पास करके चले जायेंगे। हमारे होते हुए हम हमारे प्रदेश को तोड़ने वाली भावना वाला बिल पास नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस एमेंडमेंट को मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्वीकार नहीं करता हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : स्पष्ट रूप से कह दें कि स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि जिसका रुपया है और जिसको खर्च करने का अधिकार है उनकी इच्छा का भी हमें आदर करना होगा। उनकी स्वीकृति इस बात में आवश्यक होती। वे क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट के फॉर्म में आते हैं इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री रामकिशन : यह जयपुर नरेश की भावना के तहत कर रहे हैं तो उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वे दूसरे गरीबों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि....

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं। जिस समय यह ट्रस्ट बना था उस समय ही यह रुपया जो कुछ पहले माधोसिंह महाराज या महाराज रामसिंह ने जयपुर रियासत के नागरिकों के लिए प्रस्तुत किया था। उसमें परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि माननीय सदस्यों की मर्जी पर हो। इसलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए इसका समर्थन करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

Page No 111

श्री रामप्रसाद लड्ढा : For a minite, Sir, जिस क्लॉज़ के ऊपर माननीय सदस्यों को ऐतराज है वह क्लॉज़ यह है :

"the distribution of petias or daily doles in kind or in cash to not less than fifty blind, disabled or destitute persons......"

इसके आगे जो शब्द हैं : 'residing within the territories comprised in the former Jaipur Seate,' इन शब्दों को डिलीट करता हूँ। मेरी कोई आपत्ति नहीं है इसको डिलीट करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ...

श्री रामकिशन : दूसरा क्लॉज़ और है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो जो संशोधन रखे हैं वे आप वापिस लेते हैं ?

श्री रामकिशन : अब तो ले ही लेंगे। हम राजस्थान को तोड़ना नहीं चाहते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw my amendment.

श्री रामकिशन : जनमत जानने का जो सुझाव था वह वापिस लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि सब संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : In claus 16, sub-clause (iii) 'residing withine the territories comprised in the former Jaipur State' should be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : It may be noted.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ में जो माननीय उप-मंत्री ने संशोधन रखा है।....

श्री रामकिशन : संशोधन तो हमने रखा है; इतना तो अन्याय मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह जैसा भी संशोधन है उसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका एक कॉन्सीक्वेन्शयल एमेंडमेंट है सब क्लॉज़ (४) में। उसमें सिर्फ यह जो है, 'residing within those territories' यह भी डिलीट हो जाय। This is a consequential amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो एमेंडमेंट सब-क्लॉज़ (४) में माननीय उप मंत्री जी ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १९६३, as amended, may be passed.

श्री उपाध्यक्ष : Clauses will be moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के क्लॉजेज़ २ से लेकर २१ तक ये संशोधन जैसे २ हैं, विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ से २१, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल टाइटल, इनेक्टिंग,

फॉर्मूल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

ये सब विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर सूद सदावर्त्त एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १९६३ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

(विराम)

सदन की बैठक कल २।। बजे तक, I am sorry, सदन की बैठक सोमवार के २।। बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के म. प. ६. ५८ बजे, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३, सोमवार के मध्यान्ह पश्चात् २–३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्लॉट्स की खरीद ।

क्यारदा बांध से सिंचाई ।

कपासन में कृषि फार्म ।

शहरों में सैनिकों के लिये सस्ती भूमि ।

नगरपालिका मतदाता सूची नियम ।

रेंगर हरिजन बस्ती बनाने की योजना ।

शक्कर का कोटा ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मकानादि के लिये सहायता।

झुन्झुनू जिले की रिज्यूम की गई जागीरें ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्राप्त मन्दिरों से सोना ।

गंगानगर शुगर मिल में स्टाफ कम किया जाना ।

नरूआ संवला पर पुल ।

पशुपालन विकास कार्य ।

लालसोट ग्राम पंचायत का नगर-पालिका में परिवर्तन ।

स्कम्भ

१ नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्यों की शिकायत ।

राजस्थान स्टेट होटल में लकड़ी और कोक की खपत ।

भीमसागर प्रोजेक्ट ।

डी. एम. एन्ड एच. ओ. ऑफिस प्रतापगढ़ के कर्मचारी ।

मिलों में जबरन वर्कलोड लागू किया जाना

लूणकरणसर में पानी की समस्या ।

मन्त्रियों के बंगलों में इलेक्ट्रिकल एप्लाएन्सेज ।

रिक्शा के नये लाईसेंस ।

ट्रेक्टर की खरीद में अनियमितता ।

राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि के लिये दर्ख्वास्तें ।

अनाज के बढ़ते हुए दाम ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष ।

राजस्थान स्टेट होटल के बाहर के क्वार्टर ।

जंगल की लकड़ी बेचने का अधिकार ।

जगर बांध की नहरें ।

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड ।

लाखेरी आयुर्वेदिक औषधालय ।

२. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ८०

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने इस वर्ष केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित दशहरा तथा दिवाली की तिथियों में अन्तर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

३. विधायी कार्य

(१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६३ ८६

[The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1963]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को जन-मत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन निम्नांकित सदस्यों द्वारा किया गया :—

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(२) श्री विजयसिंह झाला
(३) श्री नाथूलाल करोल
(४) श्री जोधसिंह चौहान
(५) श्री मानसिंह महार एवं
(६) श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल

श्री चन्द्रसिंह बर्फा, सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन:—

(१) श्री जयलाल
(२) श्री रामकिशन
(३) श्री मानिकचन्द सुराणा
(४) श्री केदारनाथ शर्मा एवं
(५) श्री गंगासिंह (४५)

द्वारा किया गया ।

वाद-विवाद के पश्चात्, विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) जयपुर सूद सदावर्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३ २००

[The Jaipur Sud Sadabart Fund Administration Bill, 1963]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री रामकिशन तथा श्री विजयसिंह झाला ने क्रमश : विधेयक को जनमत जानने हेतु एवं उसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ७ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ की विषय-सूची

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्री-यूनिवर्सिटी की सन् १९६४ की परीक्षा में जनरल इंग्लिश के पार्ट 'ए' में ८० प्रतिशत अंक अनिवार्य रूप से लाने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव।

(२) आलनिया डेम (जिला कोटा) के निर्माण से डूब में आये ग्रामों सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना।

(३) कॉटन ट्रान्सपोर्ट एक्ट, १९६३ की धारा २८ के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान कॉटन ट्रान्सपोर्ट नियम, १९६३ के प्रारूप पर विचार।

(४) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ पर विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ का उत्तर देखिये)

List of the Electric articles issued to Ministers & Dy. Ministers, Government of Rajasthan, Jaipur on 11-9-63.

S.No. 1	Name of the Articles. 2	Quantity 3	Amount 4	Remarks. 5
	Shri Bhawani Shankar Nandwana, Dy. Minister :			
1.	Electric table fan.	1	120.75	
2.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
3.	Electric table lamp.	1	25.00	
4.	Electric refrigerator.	1	1,500.00	Approx.
5.	Electric tube light table lamp.	1	80.00	
	Total :-	5	2,225.75	
	Shrimati Prabha Mishra, Dy. Minister :			
1.	Electric refrigerator.	1	1,500.00	Approx.
2.	Electric Heater with 200 watt.	1	160.16	
3.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
4.	Electric Table lamp.	1	17.25	
5.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
6.	Electric Aircirculator, Pedestal fan.	1	387.00	
	Total:—	6	3,064.41	

1	2	3	4	
Shri Bhikabhai, Minister :				
1. Electric All purpose fan.		2	156.46	
2. Electric Pedestal fan.		1	184.00	
3. Electric Room Heater, 2000 Watt.		2	98.00	
4. Electric Refrigerator.		1	1,500.00	Approx.
	Total:-	6	1,938.46	
Shri Barkatullah Khan, Minister :				
1. Electric all purpose table fan.		2	156.50	
2. Electric lamp with electric shed.		1	63.00	
3. Electric lamp garden.		2	90.00	
4. Electric Refrigerator.		1	1,500.00	Approx.
	Total:-	6	1,809.50	
Shri Ram Prashad Ladha, Dy. Minister :				
1. Electric Room heater with 1,000 wt.		1	35.00	
2. Electric Refrigerator.		1	1,500.00	Approx,
3. Electric Table lamps.		2	50.00	
	Total:-	4	1,585.00	
Smt. Kamla Beniwal, Dy. Minister :				
1. Electric table fan.		1	120.75	
2. Electric Refrigerator.		1	1,500.00	Approx.
	Total:—	2	1,620.75	

1	2	3	4	5
	Shri Haribhau Upadhyay, Minister :			
1.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	Approx.
2.	Electric Tab'e lamp.	1	25.00	
3.	Electric Room Heater 2000 Watt.	1	60.00	
4.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
	Total:-	4	2,085.00	
	Shri B. K. Kaul, Minister :			
1.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	Approx
2.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
	Total:—	2	2,000.00	
	Shri Harish Chandra, Minister :			
1.	Electric Table fan.	2	241.50	
2.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	Approx.
3.	Electric Room Heaters 2000 Watt.	2	96.00	
4.	Electric Room Heaters 1000 Watt.	2	70.00	
5.	Electric Table lamp.	1	35.35	
	Total:—	8	1,944.85	
	Shri Nathuram Mirdha, Minister :			
1.	Electric table lamp.	1	25.00	
2.	Electric room heater 2000 watt,	1	49.00	

1	2	3	4	5
3.	Electric Room heater 1000 watt.	1	35.00	
4.	Electric table lamp.	1	120.75	
5.	Electric Refrigerator	1	1,500.00	Approx.
6.	Electric Table lamp.	1	120.75	
7.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
8.	Electric Table fan.	1	78.25	
	Total	8	2427.75	

Shri Mohanlal Sukhadia, Chief Minister :

1.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	Approx.
2.	Electric Room Cooler.	1	500.00	
3.	Electric Air Circulator.	1	387.00	
4.	Electrict Room Heater 2000 Watt.	1	49.00	
5.	Electric Pedestal lamps	2	60.00	
	Total	6	2,496.00	

Shri Dineshrai Dangi Dy. Minister:

1.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	
2.	Electric Table fan.	1	120.75	
	Total	2	1,620.75	

Shri Parashram Maderna Dy. Minister :

1.	Electric Refrigerator.	1	1,500.00	Approx.

1	2	3	4	5
2. Electric Room Cooler.		2	1,000.00	
	Total	3	2,500.00	
Shri Bhim Singh. Dy. Minister :				
1. Electric Room Cooler.		1	500.00	
	Total	1	500.00	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF DONERS
TO THE N. D. F.

S. No.	Name of the doners	Rs. 5,000 to less than Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/- and above
1	2	3	4
1.	Central Co-operative Bank Ltd., Bhilwara.	6,350	
2.	M/S Bhupal Mining Works, Bhilwara.	8,500	
3.	Pusalal Mansinghka (P) Ltd., Bhilwara.	8,000	
4.	Duduwala & Co., Bhilwara.	5,000	
5.	Labourers of M/s Duduwala & Co., Bhilwara.	5,000	
6.	Labourers of Mewar Textiles Mills Ltd., Bhilwara.		20,002
7.	Mewar Textiles Mills Ltd., Bhilwara.		20.002
8.	Cement Factory Lakheri (Bundi).		35,000
9.	Shri Hans Raj Surana of Churu.	6,000	
10.	Shri Sohanlal Dugar of Fatehpur.	7,000	
11.	Shri Jaskaran Kundlia of Sardar Shahar.	5,200	

1	2	3	4
12.	Mewar Sugar Mills Ltd.		25,000
13.	Modern Construction Co., Rawatbhata.		10,000
14,	Shri Goverdhan Das (Binani Binani Commercial Co., Bombay)		10,000
15.	Cloth Merchants Association, Bikaner.		10,002
16.	Municipal Board, Nokha.		51,000
17.	Shri Shetriya Prabardh Karini Committee, Shri Mahaveerji.	5,001	
18.	Central Co-operative Bank Ltd. Sawai Madhopur.		10,001
19.	Thakur Madan Singh of Danta.		1,00,000
20.	Ratan Lal Santoshi Lal Mehgayawala, Bharatpur.	Donated 5000/- but less than Rs. 10,000/- (Exact amount not known)	
21.	M/s Harcharan Lal & Sons New Mandi, Bharatpur.	do	
22.	M/s Munnalal Raghunath Prasad New Mandi, Bharatpur.	do	
23.	M/s Ayurved Sewashram, Udaipur.		12,101
24.	Zawar Mines, Udaipur.	5,000	
25.	Employees of Zawar Mines, Udaipur.	5,668	
26.	Shri N. K. Sanghi	5,000	
27.	Udaipur Cotton Mills Ltd.		10,000

1	2	3	4
28.	Gulam Abhas Ali.	5,000	
29.	Rao Khuman Singhji of Salumbar.	5,000	
30.	Employees of Municipal Council, Udaipur.		17,001
31.	Employees of Zawar Mines & Zinc Smelter, Udaipur.		20,354.77
32.	Maharana Bhopal Electric Supply Co. Ltd., Udaipur.		25,000
33.	Vidya Bhawan Society, Udaipur.	6,067.82	
34.	Vyapar Mandal, Dhan Mandi, Udaipur.		23,300
35.	Relief Society, Udaipur.		10,000
36.	M/s Didwana Industrial Bank Ltd., Didwana.		10,000
37.	M/s Kettlewell Ballen & Co. Ltd., Calcutta (through Didwana Industrial Bank Ltd., Didwana)		10,000
38.	M/s Ram Dutta Ramkishan Dundlod.	5,000	
39.	Seth Gopi Kishan Peerawal of Bagar.		10,000
40.	Birla Education Trust, Pilani		33,097.04
41.	Jodhpur Central Co-operative Bank Ltd., Jodhpur.		10,000
42.	Central Co-operative Bank Ltd., Pali.		41,000
43.	Pali Mills Ltd., Pali.		1,00,000

1	2	3	4
44.	Soap Stone Factory Dausa.	5,000	
45.	Gujrati Samaj, Jaipur.	5,001	
46.	Man Industries Corporation.	5,773	
47.	Imitation Merchants Association.	5,101	
48.	Universal Trading Co.	7,000	
49.	Rajasthan Industries Ltd.	6,000	
50.	Indian Press Exchange Ltd.	5,000	
51.	Shri Khailshanker Durlabhji Hemlata, Jaipur.		51,000
52.	Jaipur Chemist & Druggist, Jaipur.		14,000
53.	Secy. Chamber of Genuine Salt Distributers, Sambhar Lake,		10,825
54.	Shri G. D. Somani, Bombay.		20,000
55.	Shri N. R. Kamani, Jaipur.		1,00,000
56.	Managing Director, Metal Corporation of India, Calcutta.		20,001
57.	Bharat Scouts & Guids, Jaipur.		25,000
58.	Jaipur Development Co.		12,000
59.	Shekhawati General Traders Ltd.		11,000
60.	Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Kota.		10,000
61.	Bank of Rajasthan Ltd., Kota City.		20,000

1	2	3	4
62.	Jaipur Spinning & Weaving Mills Ltd., Jaipur.		37,000
63.	National Engineering Industries Ltd., Jaipur.		2,18,500
64.	University of Rajasthan, Jaipur.		31,000
65.	Rajasthan State Electricity Board.		31,937
66.	Bikaner Gipsums Ltd., Bikaner.		21,000
67.	Dholpur Glass Works.	6,636	
68.	Municipal Council, Jaiganj, Khedli.		16,800
69.	H. H. Maharaja Shri Harish Chandraji of Jhalawar, (Sent direct to NDF)		14,167
70.	H. H. of Shahpura (Sent direct to NDF.	9,000	
71.	H. H. Maharaja of Jaipur. (Sent direct to NDF)		2,00,000
72.	H. H. Maharaja of Alwar (Sent direct to NDF)		20,000
73.	H. H. Maharaja of Bikaner.		55,001
74.	H. H. Maharaja of Kishangarh (Sent direct to NDF)	6,200	
75.	H. H. Maharaja of Bharatpur	Donated Rs. 10,000/- and above. (Exact amount not known)	

1	2	3	4
76.	H. H. Rajmata of Dholpur. (Sent direct to NDF)	9,000	
77.	H. H. Maharao of Kota.		27,500
78.	H. H. Maharaja of Jodhpur.	5,000	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४० का उत्तर देखिए)

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की सूची

१.	श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया		अध्यक्षा
२.	श्री गौरीशंकर आचार्य	गंगानगर	सदस्य
३.	श्रीमती उर्मिला देवी	अजमेर	सदस्या
४.	श्रीमती आशारानी शर्मा	जयपुर	सदस्या
५.	श्रीमती के.पाल	जयपुर	सदस्या
६.	श्रीमती प्रेमकुमारी गोस्वामी	निम्बाहेड़ा	सदस्या
७.	श्री गौरीशंकर उपाध्याय	डूंगरपुर	सदस्य
८.	श्रीमती वीणा चौधरी	जोधपुर	सदस्या
९.	श्रीमती गौरी पुनिया	जोधपुर	सदस्या
१०.	श्रीमती रतनदेवी दम्माणी	बीकानेर	सदस्या
११.	कुमारी लीला त्रिपाठी	धौलपुर	सदस्या
१२.	कुमारी तारा आर्य	उदयपुर	सदस्या
१३.	श्रीमती सुशीला दशोतरा	उदयपुर	सदस्या
१४.	श्री कन्हैयालाल दूगड़	सरदारशहर	सदस्य
१५.	श्रीमती सरला माथुर	भीलवाड़ा	सदस्या
१६.	श्री रामसिंह विकार आयुक्त	जयपुर	सदस्य
१७.	श्री भगवतसिंह मेहता,मुख्य सचिव	जयपुर	सदस्य
१८.	श्री संचालक समाज कल्याण विभाग		सदस्य
१९.	श्री परमानन्द शर्मा	जयपुर	सदस्य

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	अन्तिम से ५	श्री मानिकचन्द	श्री मानिकचन्द सुराणा
३	,, ,, २	लडढा	लड्ढा
४	,, ,, ७	लडढा	लड्ढा
६	,, ,, ८	सूनाई	सुनाई
१०	,, ,, ६	मदेरना	मदेरणा
१३	१७	नगरपालिक	नगरपालिका
१७	७	मदेरना	मदेरणा
२१	शीर्षक	– १३ अगस्त	– १३ सितम्बर
३१	,,	– ३१ सितम्बर	– १३ सितम्बर
३१	शीर्ष	(श्री परसराम मेदरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
३२	६	श्री भेरोसिह	श्री भैरोंसिह
५६	२१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
८१ से ८६ तक	शीर्षक	अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर – १३ सितम्बर, ६३ – अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर	दशहरा तथा दिवाली – १३ सितम्बर, ६३ – ध्यान आकर्षित करना
८२	अन्तिम से ३	श्री मुरलीवर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१२६	१८	भेरी	मेरी
१२६	२०	करोल	करौल
१३१ से १३३ तक	शीर्ष	करोल	करौल
१४०	१२	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१५१	२	(उप-मंत्री	(उप-मंत्री
१५७	शीर्षक	– १९ सितम्बर,	– १३ सितम्बर,
१५७	अन्तिम से ८	यूर्मनेसिपेलिटीज़	म्यूनिसिपेलिटीज़
१६७	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
१७३	३	श्रीं	श्री
१८१		(श्री राम ाद लड्ढा	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२०५	१३	सेक्रेट्री	सेक्रेट्री
२१५	शीर्ष	(श्री गासिह राठौड़)	(श्री गंगासिह राठौड़)
२२	६	claus	clause
२२	७	withine	within
२२५	१	ग्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर